खण्ड–495, अंक–5
शुक्रवार, 23 माघ, शक संवत् 1937
(12 फरवरी, 2016 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2016)

(खण्ड 495 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2016

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–5
बुन्देलखण्ड की समस्या पर नियम–311 में दी गई सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग	7–10
प्रश्नोत्तर	10–74
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक साहित्य वितरण व्यवस्था की सूचना ...	74
वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण	75–108
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	108–109
जनपद शाहजहांपुर के ग्राम कबरा पश्चिमी, ब्लाक मिर्जापुर की स्रोत नदी की छाडपर पुल/रपटा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	110
बुन्देलखण्ड के पिछड़े जनपद बांदा के विभिन्न विकास खण्डों में सिंचाई की समस्या को देखते हुए राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	110–111
फिरोजाबाद में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु प्रस्तावित राजस्व विभाग की भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तानान्तरित कर यथाशीघ्र मेडिकल कालेज का निर्माण प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	111
खजनी विधान सभा क्षेत्र गोरखपुर के खजनी भैसा बाजार महादेवा सिकारीगंज के उच्चीकरण होने से जलभराव के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	112
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के 15 हजार की आबादी वाले बहुसंख्यक ग्राम पंचायत कारीकान धाता को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	112
जनपद सहारनपुर के गंगोह विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय खराब सड़कों एवं नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	112–113
जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सीवर लाइन एवं ध्वस्त सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	113
लखीमपुर के तहसील धौरहरा के अन्तर्गत ग्राम हरसिंहपुर से देवीपुरवा के मध्य नाले पर रपटा/पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	114

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद शाहजहांपुर के तिलहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निगोही तिलहर मार्ग पर ग्राम वीरसिंहपुर के आगे क्षतिग्रस्त सड़क का यथाशीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	114
जनपद गोरखपुर तहसील गोला विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के अन्तर्गत ग्राम खरवाइजखोर में बन्द विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	115
जनपद मथुरा के बल्देव विधान सभा क्षेत्र की ब्लाक राया एवं बल्देव की विभिन्न क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	115–116
प्रदेश के किसानों को गो–वंश (बछड़े, बैल) का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	116–117
जनपद आजमगढ़ निजामाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत दो निर्माणाधीन पुलों पर विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	117–118
जनपद पीलीभीत के अमरिया की जगह गजरौला कलां को नवीन तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	118–119
जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाग नगर के पत्थर बाडा में पेशकारों वाली गली तथा एस0डी0एम0 कालोनी में विद्युत कनेक्शनों के लिये तार, खम्भे एवं ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	119
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	119
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–02–2015 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	119
उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2015 (दिनांक 14 अगस्त, 2015 से 27 अगस्त, 2015 तक) नियम–301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ...	120
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन के वार्षिक लेखा वर्ष 2012–2013 (सदन के पटल पर रखा गया)	120
उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016	120

विषय			पृष्ठ–संख्या
(विधान परिषद् से वापसी की सूचना)...	...	...	
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2015–2016) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...	...	120

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के आलमनगर वार्ड के अन्तर्गत सुमईया विहार की कच्ची सड़क व नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री रंजीत पाण्डेय आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गई)	121
जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के कन्हैया माधौपुर वार्ड के समनान गार्डेन ट्यूबवेल के पास कच्ची सड़क व नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री विनोद आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गई)	121
जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के न्यू हैदरगंज द्वितीय वार्ड के हंसखेड़ा में साईं मन्दिर के पीछे की सड़क व जल निकासी हेतु नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री मुकेश पाण्डेय आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गई)	121
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद की ग्राम सभा अशरफपुर मिधौल, बड़ी मिधौल के मध्य सेंडा नाले पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सियाराम आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गई)	121
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के भेलसर–रुदौली वार्ड में जफराबाद–लखनऊ रेल सेक्शन किमी 1006/3–4 पर स्थित समपार संख्या–143 बी पर 02 लेन उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अजीत प्रताप सिंह आदि निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गई) ...	122
जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रुदौली की तहसील रुदौली में परिवहन निगम का डिपो बनाये जाने विषयक श्री सुरेश श्रीवास्तव आदि निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गई)	122
जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रुदौली के किसानों को सिंचाई हेतु स्थापित नौगवांडीह तथा रुदौली लघुडाल नहरों के आधुनिकीकरण कराने तथा सुचारु रूप से चलाने के लिये अलग	122

से फीडर बनाकर विद्युत आपूर्ति कराये जाने विषयक श्री तेज तिवारी आदि निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (प्रस्तुत की गई) ... ...

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ... ... 122—140

कार्य—स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 141

नियम—51 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... 141—142

विषय	पृष्ठ—संख्या

नोएडा स्थित डी0एन0डी0 टोल प्लाजा को टोल मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विमला बाथम द्वारा नियम—51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य... ... ... 142—145

उत्तर प्रदेश के भार एम0वी0 ग्रामीण चिकित्सकों को चिकित्सा मित्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुदेश शर्मा द्वारा नियम—51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ... 145

जनपद बुलन्दशहर के अनूप शहर को नये स्वीकृत ब्लाक अगोत की ग्राम पसौरा में भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा नियम—51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) 145

ऋषि वशिष्ठ सहकारी आवास समिति लि0 के अध्यक्ष एवं उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ की मिलीभगत से समिति के बैंक खाते में गबन किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शारदा प्रताप शुक्ला द्वारा नियम—51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ... ... 145—146

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी, 2016 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–300

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
5. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
8. अजीमुलहक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
9. अताउररहमान, श्री बरेली
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
11. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
12. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
14. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
15. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
16. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
17. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
18. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
19. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
20. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
21. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
22. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
23. अरूण कुमार, डा0 बरेली
24. अरुण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
25. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
26. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
27. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
28. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
29. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
30. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
31. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
32. आलमबदी, श्री आजमगढ़
33. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
34. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
35. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
36. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
37. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
38. इकबाल, श्री बिजनौर
39. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
40. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
41. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
42. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
43. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
44. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
45. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
46. उदयराज, श्री उन्नाव
47. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
48. उमाशंकर, श्री बलिया
49. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
50. उर्मिला देवी, श्रीमती महोबा
51. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
52. ओम कुमार, श्री बिजनौर

53. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
54. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
55. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
56. काली चरन सुमन, श्री आगरा
57. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
58. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
59. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
60. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
61. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
62. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
63. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
64. गजराज सिंह, श्री हापुड़
65. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
66. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
67. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
68. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
69. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
70. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
71. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
72. गोमती यादव, श्री लखनऊ
73. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
74. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
75. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
76. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
77. जगपाल, श्री सहारनपुर
78. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
79. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
80. जफर आलम, श्री अलीगढ़
81. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
82. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
83. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
84. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
85. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
86. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
87. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
88. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्रीबस्ती
89. ज्योत्सना श्रीरवास्तव, श्रीमती वाराणसी
90. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
91. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
92. त्रिलोकी राम, श्री अलीगढ़
93. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
94. दलजीत सिंह, श्री बांदा
95. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
96. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
97. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्रीझांसी
98. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
99. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
100. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
101. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
102. धर्मराज, श्री बाराबंकी
103. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
104. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
105. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
106. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
107. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
108. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
109. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
110. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
111. नारद राय, श्री बलिया
112. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
113. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
114. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
115. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
116. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
117. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
118. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
119. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित

120.पीतमराम, श्री पीलीभीत
121.पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
122.पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
123.प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
124.प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
125.प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
126.प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
127.प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
128.प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
129.फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
130.''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
131.फेरन लाल, श्री ललितपुर
132.बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
133.बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
134.बदलू खां, श्री उन्नाव
135.बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
136.बाबू खां, श्री हरदोई
137.बाबूलाल, श्री गोण्डा
138.बावन सिंह, श्री गोण्डा
139.बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
140.बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
141.बृजेश कुमार, श्री हरदोई
142.बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
143.बैजनाथ, श्री मऊ
144.ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
145.भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
146.भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
147.भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
148.मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
149.मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
150.मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
151.मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
152.मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
153.मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
154.ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
155.महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
156.महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
157.महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
158.महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
159.महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
160.माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
161.माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
162.माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
163.मानपाल सिंह, श्री कासगंज
164.मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
165.मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
166.मुहम्मद रमजान श्री श्रावस्ती
167.मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
168.मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
169.मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
170.मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
171.मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
172.मो0 रेहान, श्री लखनऊ
173.मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
174.मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
175.मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
176.मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
177.मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
178.यासर शाह, श्री बहराइच
179.योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
180.योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
181. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्रीगोण्डा
182.रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
183.रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
184.रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
185.रणजीत सुमन, श्री एटा

186.रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
187.रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
188.रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
189.रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
190.रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
191.रश्मि आर्य, डा0 झांसी
192.राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
193.आर0 के0 वर्मा, डा0 प्रतापगढ़
194.राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
195.राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
196.राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
197.राजकुमार रावत, श्री मथुरा
198.राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
199.राजमती, श्रीमती गोरखपुर
200.राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
201.राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
202.राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
203.राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
204.राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
205.राधे श्याम, श्री अमेठी
206.राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
207.राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
208.राम करन आर्य, श्री बस्ती
209.रामगोपाल, श्री बाराबंकी
210.राम गोविन्द, श्री बलिया
211.रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
212.रामपाल यादव, श्री सीतापुर
213.रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
214.राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
215.राम मगन, श्री बाराबंकी
216.राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
217.रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
218.रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
219.रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
220.राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
221.रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
222.रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
223.रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
224.रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
225.रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
226.रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
227.रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
228.लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
229.लक्ष्मी गौतम, श्रीमती सम्भल
230.लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
231.लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
232.वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
233.वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
234.वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
235.विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
236.विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
237.विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
238.विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
239.विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
240.विजय सिंह, श्री रामपुर
241. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
242. विनोद तिवारी, श्री महराजगंज
243.विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
244.विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
245.विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्ध नगर
246.विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
247.विशम्भर सिंह, श्री बांदा
248.वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
249.वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
250.वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
251.शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
252.शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
253.शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद

254.शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
255.शाकिर अली, श्री देवरिया
256.शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
257.शाह आलम उर्फ
गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
258.शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
259.शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
260.शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
261.शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
262.शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
263.शिवेन्द्र सिंह उर्फ
शिव बाबू, श्री महाराजगंज
264.शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
265.श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
266.श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
267.श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
268.संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
269.संजय कपूर, श्री रामपुर
270.संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
271.सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
272.सतीश कुमार निगम
'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
273.सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
274.सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
275.सत्य प्रकाश अग्रवाल
(कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
276.सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
277.सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
278.सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
279.सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
280.सियाराम सागर, डा0 बरेली
281.सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
282.सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
283.सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
284.सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
285.सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
286.सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
287.सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
288.सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
289.सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
290.सुरेश राणा, श्री शामली
291.सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
292.सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
293.सुल्तान बेग, श्री बरेली
294.सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
295.सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
296.सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
297.स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
298.हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ
रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
299.हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
300.हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अहमद हसन), माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव), राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री साहब सिंह सैनी) तथा खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राम सकल गूजर) भी सदन में उपस्थित थे।

बुन्देलखण्ड की समस्या पर नियम–311 में दी गई सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व राष्ट्रीय लोक दल के अनेक सदस्य माननीय अध्यक्ष के पीठासीन होने के पूर्व ही वेल में उपस्थित हो गए जिससे घोर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई)

(वेल में उपस्थित सदस्य बुन्देलखण्ड को अकालग्रस्त घोषित करो, बुन्देलखण्ड के जनपदों के किसानों का कर्ज एवं बिजली बिल माफ करो लिखी तख्तियां लहरा रहे थे)

(वेल से)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

बुन्देलखण्ड के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। न बिजली है न पानी है खाने का संकट है।

(इसी मध्य बहुजन समाज पार्टी के अनेक सदस्य वेल में आ गए)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी वहां पर आत्महत्याएं हो रही हैं।

(वेल में उपस्थित सदस्य जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है, के नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

मौर्या जी आपने बुन्देलखण्ड का विषय नियम–56 में दिया है जो स्वीकार हो गया है तो नियम–56 में आपकी बुन्देलखण्ड पर चर्चा होगी।

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी क्योंकि इन्हें मालूम है कि बजट में प्रोविजन होने जा रहा है इसलिए उंगली कटाकर शहीदों में शामिल होना चाह रहे हैं। आपको मालूम है कि कृपा होने जा रही है । लगता है कि यह लोग गवर्नमेन्ट प्रेस में किताब पढ़ आए हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह खबर सरकारी छापाखाने से लीक हुई है। इन्हें मालूम है कि क्या होने वाला है। मान्यवर, इन्हें छापाखाने से मालूम हो गया है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आप कह दीजिए कि यह खबर छापी नहीं जाएगी तो यह लोग चले जाएंगे। यह खबर मीडिया में नहीं जाएगी ऐसा कह दीजिए तो यह अपनी सीटों पर चले जाएंगे।

(इसी मध्य बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण अपने–अपने आसन पर चले गए)

श्री अध्यक्ष–

नावेद आप पढ़े–लिखे आदमी हो। एक मिनिस्टर के बेटे हो आप इस तरह की चीजें जानते हैं। कृपया अपने आसन पर जाएं। आज बुन्देलखण्ड के लिए नियम–56 में दिया है उसमें अपनी बात कह लीजिएगा। माथुर साहब आप अपने दल के सदस्यों को बुलाइए। इतने बड़े दल के सदस्य वापस चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण बैठे हैं केवल आप पांच–सात लोग व्यवधान पैदा करते हो। कल जब बुन्देलखण्ड के किसानों के लिए बात हो गई मुख्य मंत्री जी ने कह दिया फिर क्या उठा रहे हैं कुछ तो गरिमा का ध्यान रखें।

(वेल में उपस्थित कांग्रेस सदस्य बुन्देलखण्ड को सूखाग्रस्त घोषित करो–बुन्देलखण्ड को अकालग्रस्त घोषित करो का नारा लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

बुन्देलखण्ड में आपकी पूरी पार्टी लगी रही वर्षों आपकी सरकार रही वहां की समस्या का निदान नहीं कर पाए। आपकी पार्टी के सारे बड़े नेता बुन्देलखण्ड का दौरा करते थे फिर भी समस्या का निदान नहीं हुआ। आप वेल में आ गए। आप बैठें आपको मौका मिलेगा। लल्लू आप तो नान सीरियस आदमी हैं चलिए।

(व्यवधान जारी)

यह 16वीं विधान सभा का आखिरी बजट सत्र है सब निभ गया अब ऐसा न करो कि कोई कठोर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़े। आपसे निवेदन है कि आसन पर जाएं।

(व्यवधान के मध्य)

(वेल में उपस्थित सदस्य बुन्देलखण्ड को सूखाग्रस्त घोषित करने व फसल बीमा योजना का लाभ तथा ओलावृष्टि द्वारा हुए नुकसान का मुआवजा दिये जाने की मांग करते हुए नारे लगाने लगे।)

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है। नियम–311 में नोटिस दे रखा है। इस पर अभी चर्चा कराई जाये। नियम–56 में यह मामला आज शाम को पांच बजे आयेगा। सरकार इन मुद्दों को गम्भीरता से नहीं ले रही है। हम बराबर कह रहे हैं और हमारे नेता मा0 राहुल गांधी जी भी बराबर कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 राहुल गांधी जी या आपके सारे नेता बुन्देलखण्ड की समस्या के लिये लड़े। केन्द्र में आपकी सरकार थी और इसके बाद भी आप निदान नहीं कर पाये। अब यहां विधान सभा में लड़ने से क्या होगा। आप लोगों की बात आ गई है। बुन्देलखण्ड के लोग जान गये होंगे कि आप लोग वेल में आकर उनकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। सरकारी लड़ाई तो लड़े नहीं, अब लड़ रहे हैं। माथुर साहब, अब अपने मा0 सदस्यों को वापस बुलाइये। दस मिनट हो गये हैं। आज बजट प्रस्तुत किया जाना है, उसको पढ़ो, उसको

देखो कि उसमें क्या है, क्या नहीं है। जब कल आप बुन्देलखण्ड पर बोल चुके हैं तो फिर आज आपने उस विषय को क्यों उठा दिया ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 अध्यक्ष जी, इनसे इतना तो कहिये कि कम से कम नारा तो लगायें। यह नरम–नरम में सदन रोके हुये हैं, कुछ थके हैं। कुछ नारा तो लगायें। कुछ जिन्दाबाद–मुर्दाबाद करो तो। कुछ आवाज तो निकालो और जोर से, मजा नहीं आया। कुछ पता हीं नहीं चला। आपमें नारा लगाने का दम ही नहीं है। नारा लगाने का दम है नहीं, अधिकार कहां से लोगे। मुर्दा लोग किसी को क्या अधिकार दिलवायेंगे, पहले जिन्दा बनो। मुर्दे कब्रिस्तान और श्मशान के लिये होते हैं, जिन्दों के लिये नहीं होते हैं। जिन्दगी का सबूत दो। अरे जिन्दगी का सबूत दो। मुर्दा लोग कुछ नहीं दे सकते।

मान्यवर, आवाज में बिल्कुल दम नहीं है। कोई मजा नहीं है, बिल्कुल पटाखा फुस्स। मान्यवर, कुछ भी तो नहीं है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, कल आपके माननीय नेता ने बुन्देलखण्ड पर अपनी बात रखी थी।

वह आपके दलीय नेता हैं, उन्होंने कल बुन्देलखण्ड पर अपनी बात रखी थी। काफी बातें अनुपूरक बजट में भी की गयी थी और यह बात सभी लोगों ने नियम–56 में दी है और नियम–56 में बुन्देलखण्ड पर बात करने के लिए स्वीकार कर लिया गया है तो अभी जब नियम–56 की बात आयेगी तो उस पर आपके नेता बोलेंगे, उस पर बात होगी, सरकार जवाब देगी। क्यों अब आप इतना समय बाधित कर रहे हैं, प्रश्न आ जाता। विपक्ष का ही प्रश्न होता है, कम से कम इतना तो समझिए, आप अपने अधिकारों का हनन क्यों करते हो ? विपक्ष का प्रश्न होता है और प्रश्न के उत्तर के माध्यम से सरकार की कार्यवाहियों पर सरकार को घेरा जाता है, उस अधिकार को आप छोड़ करके नारा लगाने चले आए हैं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, आपसे हम न्याय की अपेक्षा करते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अध्यक्ष जी, यह तय करके आए हैं कि आज सदन नहीं चलने देंगे। यह नहीं जायेंगे। जाना भी नहीं चाहिए, बिना अपनी बात मनवाये कैसे चले जायें ? मान्यवर, यह जो कहते हैं, करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माथुर साहब, मा0 सदस्य वापस जाना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि वहीं रहो। बुन्देलखण्ड की समस्या जब केन्द्र में आपकी सरकार थी तब तो खत्म नहीं कर पाये और आज यहां आए हैं। आप लोग अपने स्थान पर चलें।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने 08 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया था लेकिन वर्तमान सरकार कुछ नहीं कर रही है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह नहीं जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

हम सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित करते हैं।

(10 मिनट के लिए सदन स्थगित)

(घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 14 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित कर दी।)

(11 बजकर 24 मिनट पर डिप्टी मार्शल, विधान सभा ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया है।)

(11 बजकर 34 मिनट पर डिप्टी मार्शल, विधान सभा ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 15 मिनट तक बढ़ा दिया है।)

(12 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के वेल में खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग चलो। ऐसा है हमने माननीय मौर्य जी, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी और आपके सभी नेताओं का, जो नियम–56 और नियम–311 सब आया था सबको नियम–52 में परिवर्तित करके उस पर एक घण्टे की चर्चा स्वीकार कर ली है। अब आप लोग चलें।

(वेल में आए हुए सदस्यगण अपने–अपने आसन पर चले गए)

प्रश्नोत्तर

नत्थी 'क'

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बढ़ते कुपोषण की रोकथाम हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोके जाने विषयक

''01–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बच्चों तथा माताओं को कुपोषण रहित बनाये जाने हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है और अति कुपोषित बच्चे व माताओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार विभाग को

भ्रष्टाचार मुक्त करने एवं उद्देश्य की सफल पूर्ति हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

जी नहीं।

बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नवम्बर, 2014 को राज्य पोषण मिशन का गठन किया गया है। राज्य पोषण मिशन द्वारा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग तथा बेसिक शिक्षा विभाग के समन्वय से महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की रोकथाम हेतु प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

''02–श्री सतीश महाना–

ख03सरे शुक्रवार के लिये स्थगित,

नोट :–उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

तारांकित प्रश्न

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराने विषयक

'01–श्री नदीम जावेद, डा0 अरुण कुमार, श्री रामचन्द्र यादव, श्री मनीष असीजा, श्री लोकेन्द्र सिंह तथा श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन0एफ0एस0ए0) के तहत गरीबों की मदद के लिये सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के कितने जनपदों में लाभार्थियों का चयन कर लिया गया है तथा कितने जनपद शेष हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि निर्धारित समय–सीमा के अन्दर शेष बचे सभी जनपदों में लाभार्थियों का चयन कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री कमाल अख्तर)–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन0एफ0एस0ए0) के तहत गरीबों की मदद के लिये सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में लाभार्थियों का चयन कर लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में नये राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने की समय–सीमा के निर्धारण विषयक

'01–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने के लिये कोई समय–सीमा निर्धारित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश की जनता को नये राशन कार्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर–

विभाग द्वारा लाभार्थियों/आवेदनकर्ता को नियमानुसार नवीन राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। नवीन राशन कार्ड निर्गत किये जाने पर कोई रोक नहीं है।

प्रदेश में दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 तक 29839975 राशन कार्डों का वितरण कार्डधारकों में कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के कांच उद्योग को निर्यात प्रोत्साहन हेतु विषय विशेषज्ञों की समिति बनाये जाने विषयक

'02–श्री मनीष असीजा–

क्या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विश्व प्रसिद्ध कांच उद्योग के कांच उत्पादों को निर्यात प्रोत्साहन के लिये विषय विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नितिन अग्रवाल)–

प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा विपणन विकास सहायता हेतु फ्रेट प्रतिपूर्ति योजना एम0डी0ए0 योजना संचालित है।

जनपद फिरोजाबाद के कांच उद्योग से जुड़े निर्यातकों को उपरोक्त योजनाओं से लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त एसाइड योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में निर्यात प्रोत्साहन के उद्देश्य से फिरोजाबाद के कांच उद्योग के निर्यातकों हेतु कामन फैसिलिटी सेन्टर फार ग्लास इण्डस्ट्री तथा कामन फैसिलिटी सेंटर फार पैकेजिंग लेवलिंग एण्ड डिजाइनिंग की 02 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बाजारों में दालों के भाव को नियंत्रित किये जाने विषयक

'03–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बाजारों में दालों का भाव रु0 65–70.00 प्रति किलोग्राम से बढ़कर रु0 200.00 प्रति किलोग्राम हो जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार दालों के आसमान छूते भावों को नियंत्रित करने की कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर–

जी हां।

जी हां।

राज्य सरकार द्वारा दालों के मूल्य नियंत्रण हेतु निम्न कार्य योजना बनाई गयी हैं :–

1–राज्य स्तर पर खाद्यायुक्त की अध्यक्षता में, मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ''मूल्य नियंत्रण प्रकोष्ठ'' स्थापित किया गया है।

2–दालों पर संग्रह सीमा लागू की गयी है।

3–जमाखोरी व कालाबाजारी के विरुद्ध जिलाधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है।

4–रिटेल आउटलेट खुलवाकर उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को दालों का वितरण किया जाता है।

5–कर्मचारी कल्याण निगम के माध्यम से आयातित अरहर दाल का वितरण उचित मूल्य पर कराया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के निजी मेडिकल कालेजों द्वारा मनमानी फीस वसूले जाने पर अंकुश लगाने विषयक

'04–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के निजी मेडिकल कालेज एम0बी0बी0एस0 के छात्रों से मनमानी फीस वसूल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मनमानी फीस वसूली पर अंकुश लगाते हुये इसको नियंत्रित करने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

उ0 प्र0 निजी व्यवसायिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा–4 (1) के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा विभाग के कार्यालय आदेश दिनांक 29–10–2014 द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं फीस नियमन के लिये समिति गठित की गयी है। उक्त समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के आदेश दिनांक 16–09–2015 द्वारा प्रदेश के 06 डेण्टल कालेजों एवं 01 मेडिकल कालेज की फीस निर्धारित की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा में मदर डेयरी के दूध में डिटर्जेंट की मिलावट की जांच की रिपोर्ट की मांग

'05–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहीत अधिकारी द्वारा मदर डेयरी के दूध में डिटर्जेंट आदि मिलाने की घटना प्रकाश में लायी गयी है ? यदि हां, तो इस प्रकरण में

जांच रिपोर्ट क्या है तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं औषधि मंत्री (श्री इकबाल महमूद)–

जी हां।

दूध के नमूने की जांच में डिटर्जेंट उपस्थित पाये जाने के कारण उसे असुरक्षित घोषित करते हुए सम्बन्धित खाद्य कारोबारी के विरुद्ध मा0 न्यायालय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा (प्रथम) में परिवाद दिनांक 20–07–2015 को तथा अनुपूरक परिवाद दिनांक 31–07–2015 दाखिल किया गया, जो कि मुकदमा संख्या–650/15 पर दर्ज है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नकली दूध एवं दूध से बने पदार्थों पर सरकार की ओर से अंकुश लगाने विषयक

'06–श्री सतीश महाना–

क्या खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नकली दूध एवं दूध से बने पदार्थों अथवा दूध में मिलावट के कितने प्रकरण मार्च, 2012 से 29 अक्टूबर, 2015 तक सरकार के संज्ञान में आये हैं ? क्या सरकार द्वारा नकली दूध एवं दूध की मिलावट पर अंकुश लगाने हेतु कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इकबाल महमूद–

प्रदेश में दिनांक 01–03–2012 से 21–10–2015 तक दूध के कुल 8331 नमूने संग्रहीत किये गये, जिसमें से 02 नमूने नकली तथा 3036 मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये। उक्त अवधि में दूध से बने खाद्य पदार्थों के 13548 नमूने संग्रहीत किये गये, जिसमें से 05 नमूने नकली तथा 4191 नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये।

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम/विनियम, 2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत निरीक्षण, छापों एवं विशेष अभियान के माध्यम से प्रभावी प्रवर्तन की कार्रवाई की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बेरोजगारों को निश्चित समय–सीमा के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिये जाने विषयक

'07–श्री सुरेश राणा–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के संकट को देखते हुये 2012 से अब तक कितने बेरोजगारों को प्रदेश

सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया गया है ? क्या सरकार एक निश्चित समयावधि के अन्दर बेरोजगारी भत्ता देगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)–

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में कुल 1159398 एवं वर्ष 2013–14 में कुल 1261524 लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया गया है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2015–2016 में बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सौर ऊर्जा से उत्पादित सौर ऊर्जा की क्षमता एवं प्रति यूनिट लागत की जानकारी

'08–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की कुल कितनी क्षमता है और उसके सापेक्ष वर्तमान में कितनी सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादित हो रही है तथा प्रति यूनिट उसकी लागत कितनी है ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में प्रख्यापित सौर ऊर्जा नीति–2013 के अन्तर्गत 500 मेगावाट क्षमता लक्षित है। उक्त के सापेक्ष 500 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का आवंटन हो चुका है। इसमें से 90 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं की स्थापना परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा स्वयं क्रय की गयी भूमि पर स्वयं की लागत से की गयी है।

उक्त 90 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत को यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा रु0 8.44 से रु0 9.33 प्रति यूनिट की दर से क्रय की जा रही है।

प्रदेश की बढ़ती ऊर्जा की मांग के आधार पर सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन करवाने की मांग

'09–श्री रामचन्द्र यादव तथा श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए सभी मकानों एवं प्रतिष्ठानों सहित सरकारी कार्यालयों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन करने के लिये क्या सरकार कोई योजना बनाने पर विचार करेगी ? नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए सभी मकानों एवं प्रतिष्ठानों सहित सरकारी कार्यालयों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन करने के लिये

भवनों की छतों पर ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित कर विद्युत उत्पादन हेतु रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट नीति–2014 माह सितम्बर, 2014 में प्रतिपादित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

'10–डा0 अरुण कुमार–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

प्रदेश के कारागारों में मिलाई, रिहाई, मशक्कत कटाई आदि में भ्रष्टाचार को रोकने की मांग

'11–श्री दलवीर सिंह

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कारागारों में मिलाई, रिहाई, मशक्कत कटाई आदि में भ्रष्टाचार की शिकायतें सरकार की संज्ञान में आयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा कारागारों में उक्त भ्रष्टाचार रोकने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया)–

जी हां।

उक्त प्रकृति के भष्टाचार को रोकने हेतु महानिरीक्षक, कारागार द्वारा समस्त कारागारों के वरिष्ठ अधीक्षकों/अधीक्षकों को अर्द्ध शा0 पत्र संख्या–11911–86/लो0शि0, दिनांक 30–03–15 एवं समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, कारागार को अर्द्ध शा0 पत्र संख्या–11987–93/लो0शि0, दिनांक 30–03–15 द्वारा कड़े निर्देश निर्गत किये गये हैं

प्रश्न नहीं उठता।

'12–श्री वीरपाल राठी

ख्03सरे शुक्रवार के लिये स्थगित,

प्रदेश के जनपद बुलन्दशहर में रोजगार की कमी होने के कारण युवाओं के पलायन पर रोक लगाने की मांग

'13–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में कितने लोगों को रोजगार प्रदान किये गये ? क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में रोजगार की कमी के कारण युवाओं का निरन्तर पलायन हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने हेतु कोई योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर–

प्रदेश के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से विगत तीन वर्षों–वर्ष 2012 में 490, वर्ष 2013 में 2032 एवं वर्ष 2014 में 2436 बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों की सूचनायें नियोजकों को उनकी आवश्यकता एवं अपेक्षानुसार उपलब्ध करायी जाती है।

प्रदेश के बेरोजगार व्यक्तियों के लिये कैरियर काउन्सिलिंग के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के लिये साक्षात्कार आदि हेतु प्रशिक्षित किया जाता है तथा प्रत्येक मण्डल एवं जनपद स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जाता है।

समाज के निर्बल वर्ग के बेरोजगारों की रोजगारपरकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में 52 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित है, जहां पर आशुलिपि, सचिवीय पद्धति, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिन्दी तथा कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रदेश के रोडवेज डिपो के आय में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में नीति बनाये जाने की मांग

'14–श्री नदीम जावेद–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के घाटे में चल रहे रोडवेज डिपों में आय की बढ़ोत्तरी तथा संचालन में गुणवत्ता के सुधार हेतु सरकार ने कोई नीति बनायी है ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यासर शाह)–

इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित नही की गयी है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम स्वायत्तशासी संस्था है। इस सम्बन्ध में परिवहन निगम निदेशक मण्डल द्वारा समय–समय पर विचार किया जाता है और उनके द्वारा यथावश्यक निर्देश जारी किये जाते हैं।

परिवहन निगम द्वारा संचालन में गुणवत्ता तथा आय की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में ई–टिकटिंग–आनलाइन अग्रिम आरक्षण, कम्प्यूटर काउण्टर बुकिंग, ई0टी0एम0 आधारित टिकटिंग, स्मार्ट कार्ड आधारित प्रीपेड ट्रेवल कार्ड/पास, जी0पी0एस0 आधारित ट्रैकिंग प्रणाली आदि योजना में लागू किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पंचायत चुनावों में धन बल के दुरुपयोग पर अंकुश लगवाने की मांग

'15–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पंचायत चुनावों में भारी मात्रा में हो रहे धन बल के दुरुपयोग के कारण चुनावों की निष्पक्षता पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर अंकुश लगाने हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

पंचायत चुनाव में धन बल के दुरुपयोग की कोई सूचना/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के किसी भी जनपद के जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) से पंचायत निर्वाचन में धन बल के दुरुपयोग के सम्बन्ध में कोई सूचना/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

'16–श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी)–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

प्रदेश में धान की खरीद पर ठोस कार्य योजना तैयार करने की मांग

'17–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2015–16 में धान खरीद का लक्ष्य क्या था तथा लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 28–12–2015 तक कुल कितना धान खरीदा गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि यदि खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो उसका कारण क्या है ? क्या सरकार ने खरीद लक्ष्य पूरा करने के लिए कोई ठोस कार्य योजना तैयार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर–

जी हां।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2015–16 हेतु जारी धान क्रय नीति में धान खरीद हेतु नामित एजेन्सी, भारतीय खाद्य निगम का लक्ष्य 12 लाख मी0 टन एवं अन्य राज्य क्रय एजेन्सीज का लक्ष्य 30 लाख मी0 टन कुल 42 लाख मी0 टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2015–16 में धान की खरीद में नामित क्रय एजेन्सियों द्वारा दिनांक 28–12–2015 तक कूल 11,34,228.52 मी0 टन धान की खरीद की गयी है, जिसमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा 44,233.84 मी0 टन एवं अन्य क्रय एजेन्सियों द्वारा 10,89,994.68 मी0 टन धान खरीद की गयी है।

सम्प्रति धान खरीद प्रगति पर है, इसलिये इस सम्बन्ध में कारण बताने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जी हां।

1–खरीफ विपणन वर्ष 2015–16 में धान की खरीद हेतु जारी धान क्रय नीति में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रदेश में स्थापित 2428 क्रय केन्द्रों के माध्यम से कृषकों से धान खरीद की जा रही है। इसके अतिरिक्त कमीशन एजेन्ट्स के माध्यम से भी कृषक हित में धान खरीद की जा रही है।

2–कृषकों से उतराई एवं छनाई का भुगतान नहीं लिया जा रहा है।

3–धान खरीद के प्रचार–प्रसार हेतु समाचार–पत्र, रेडियो, पोस्टर, पम्पलेट, एफ0एम0 रेडियो तथा आकाशवाणी का उपयोग किया जा रहा है।

4–कृषकों का भुगतान 48 घण्टे के अन्दर आर0टी0जी0एस0 एवं एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जा रहा है।

5–धान खरीद का अनुश्रवण जिला/मण्डलीय/मुख्यालय पर नियमित रूप से किया जा रहा है।

6–धान खरीद निरीक्षण के लिये नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है। नोडल अधिकारी समय–समय पर सम्भागों का भ्रमण कर धान खरीद में आने वाली समस्याओं का निराकरण करा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के अनुसार वाहन पर निर्धारित वजन के सम्बन्ध में प्रभावी कार्य योजना की मांग

'18–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के मुताबिक वाहन पर निर्धारित से ज्यादा वजन होने पर सड़क की उम्र घटने के साथ ही सड़क हादसों की बढ़ती संख्या की तरफ मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों का बार–बार ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सड़कों की क्षति और हादसों को रोकने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यासर शाह–

जी हां।

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–113, 114 एवं 194 में क्षमता से अधिक माल ढोने को रोकने हेतु व्यवस्था विद्यमान है।

उक्त के अतिरिक्त ओवरलोड माल वाहन पकड़े जाने पर प्रिवेंशन आफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट, 1984 की धारा–3 (2) ई के अन्तर्गत सम्बन्धित थाने में वाहन स्वामी/चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का प्राविधान है।

उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा ओवरलोड जनभार वाहनों को रोकने के लिये निरन्तर चेकिंग की जाती है तथा समय–समय पर विशेष चेकिंग अभियान भी चलाये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी से हो रहे नवयुवकों के पलायन को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने की मांग

01—श्री जय प्रकाश निषाद—

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए नवयुवक भारी संख्या में प्रदेश से पलायन कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या बेरोजगार युवकों का पलायन रोकने हेतु सरकार कोई प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर—

जी नहीं।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों की सूचनायें नियोजकों को उनकी आवश्यकता एवं अपेक्षानुसार उपलब्ध करायी जाती है।

प्रदेश के बेरोजगार व्यक्तियों के लिये कैरियर काउन्सिलिंग के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के लिये साक्षात्कार आदि हेतु प्रशिक्षित किया जाता है तथा प्रत्येक मण्डल एवं जनपद स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जाता है।

समाज के निर्बल वर्ग के बेरोजगारों की रोजगारपरकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में 52 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित है, जहां पर आशुलिपि, सचिवीय पद्धति, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिन्दी तथा कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला फिरोजाबाद के कांच की चूड़ियों के कारखानों में कार्यरत पंजीकृत असंगठित मजदूरों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर0एस0बी0वाई0) का लाभ देने विषयक

02—श्री मनीष असीजा—

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद के कांच की चूड़ी एवं अन्य कांच उत्पादों के कारखानों में बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र के मजदूर कार्य करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि असंगठित क्षेत्र के उक्त श्रमिकों जो अधिकांशतः भूमिहीन एवं गरीब हैं, को सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर0एस0बी0वाई0) के अन्तर्गत पंजीकृत कर स्वास्थ्य सुरक्षा कवर (स्वास्थ्य कार्ड) मुहैया कराने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर—

जी हां।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर0एस0बी0वाई0) बी0पी0एल0 परिवारों तथा 11 अतिरिक्त श्रेणी के कर्मकारों हेतु संचालित है। कांच की चूड़ी व अन्य कांच उत्पाद कार्य भारत सरकार द्वारा इन 11 श्रेणियों में वर्तमान में सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जिला सहारनपुर में उ0 प्र0 परिवहन निगम प्राइवेट बसों एवं बस स्टैण्ड के कारण लग रहे जाम को निजात हेतु शहर से बाहर स्थापित किया जाना

03–श्री राजीव गुम्बर–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर सहारनपुर में उ0प्र0 परिवहन निगम एवं प्राइवेट बसों का बस स्टैण्ड नगर के बीच में होने के कारण जाम की समस्या से मार्ग घन्टों बाधित रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में इन बस स्टैण्डों को शहर से बाहर उपयुक्त स्थानों पर स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यासर शाह–

जी नहीं।

रोडवेज की बसों के कारण जाम की स्थिति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, रोडवेज की बसों के कारण जाम की स्थिति नहीं है।

लखनऊ बस स्टेशनों पर लगे आर0 ओ0 की भांति अन्य जनपदों के बस स्टेशनों पर लगवाया जाना

04–श्री सुदेश शर्मा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी रोडवेज बस स्टेशनों पर लखनऊ के आलमबाग बस स्टैण्ड की भांति शुद्ध पानी की उपलब्धता हेतु आर0ओ0 लगवाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यासर शाह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 परिवहन निगम द्वारा बस स्टेशनों पर यात्रियों को स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु वाटर प्यूरीफायर की व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीब, बी0पी0एल0, अन्त्योदय कार्ड धारकों को अनाज, मिट्टी का तेल तथा चीनी वितरण में हो रही अनियमितता के कारण लाभ न मिल पाना

05—श्री जय प्रकाश निषाद—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबों, बी0पी0एल0 तथा अन्त्योदय, कार्ड धारकों को अनाज, मिट्टी का तेल तथा चीनी वितरण से अनियमितता के कारण समुचित लाभ न मिल पाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर—

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाभार्थियों को अनाज, मिट्टी तेल एवं चीनी प्राप्त न होने की शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गुणवत्ता को उच्चीकृत करने की दृष्टि से त्रिस्तरीय चेकिंग व्यवस्था लागू है, जिसके अन्तर्गत प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है। प्रवर्तन कार्यवाही के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2015 से नवम्बर, 2015 तक 22355 छापे/निरीक्षण किये गये, जिसके अन्तर्गत 332 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी, 114 व्यक्तियों को गिरफ्तार तथा 416 व्यक्तियों को अभियोजित किया गया, 1806 उचित दर दुकानों को निलम्बित एवं 937 उचित दर दुकानों को निरस्त किया गया, रु0 156.32 लाख की प्रतिभूति की राशि जब्त की गयी एवं रु0 556.32 लाख की आवश्यक वस्तुएं जब्त की गयी हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रदेश में खनन की नीति का निर्धारण

06—श्री नदीम जावेद—

क्या भू—तत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रदेश में खनन के लिए उचित नीति बनाई जाए ताकि पर्यावरण को नुकसान किये बिना विकास कार्य कराये जा सकें ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त के अनुसरण में खनन नीति को नये सिरे से परिभाषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भू—तत्व एवं खनिकर्म मंत्री (श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति)—

जी हां।

नियमावली, 1963 में आवश्यक संशोधन किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा राशन कार्ड बनाये जाने हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू किये जाने के उपरान्त उपभोक्ता के राशन कार्ड न उपलब्ध कराने विषयक

07–श्री नदीम जावेद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा राशन कार्ड जारी करने एवं ऑनलाइन करने की प्रक्रिया विगत 2 वर्ष पूर्व शुरू की गई थी परन्तु अभी तक उपभोक्ताओं को राशनकार्ड उपलब्ध नहीं हो पाये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा सभी उपभोक्ताओं को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर–

प्रदेश में कम्प्यूटराइजेशन के अन्तर्गत दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 तक समस्त योजनाओं के राशन कार्डों के डाटा डिजिटाइजेशन का कार्य 87.07 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है तथा 29839975 राशन कार्डों का वितरण कार्डधारकों में कराया जा चुका है। शेष राशन कार्डों के निर्गत करने की प्रक्रिया प्रगतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

08–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त,

जनपद–गौतमबुद्धनगर तथा बुलन्दशहर में हरियाणा से डीजल की तस्करी तथा हरियाणा तथा दिल्ली में डीजल के रेट कम होने के कारण होने वाली तस्करी को रोकने हेतु कार्य योजना की जानकारी

09–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2014 में जनपद–गौतमबुद्धनगर तथा बुलन्दशहर में हरियाणा से डीजल की तस्करी करने के कुछ मामले सरकार के संज्ञान में आये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उन मामलों में क्या कार्रवाई की गयी ? क्या सरकार हरियाणा तथा दिल्ली में डीजल के रेट कम होने के कारण होने वाली तस्करी को रोकने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर–

जिलापूर्ति अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर तथा जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से प्राप्त आख्यानुसार गौतमबुद्ध नगर तथा बुलन्दशहर में हरियाण से डीजल की तस्करी करने का कोई प्रमाणित मामला प्रकाश में नहीं आया है।

उपरोक्तानुसार।

तस्करी को रोकने हेतु नियमित रूप से प्रवर्तन का कार्य किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश सं0–2105/33–3–2014–100 (21)/2014, दि0 2–9–2014 द्वारा अन्त्येष्टि स्थलों का चयन की प्रक्रिया की जानकारी

10—श्री जय प्रकाश निषाद—

विधान सभा के तृतीय सत्र 2014 के प्रथम शुक्रवार के अता0 प्रश्न संख्या—92 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0—2105/33—3—2014—100 (21)/2014, दि0 2—9—2014 के द्वारा अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु विस्तृत दिशा निर्देशानुसार गठित चयन समिति के माध्यम से अन्त्येष्टि स्थलों की चयन प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी है ? यदि हां, तो उसकी प्रगति विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

शासनादेश सं0—2105/33—3—2014—100 (21)/2014, दि0 2—9—2014 के निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014—15 में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में कुल 755 अन्त्येष्टि स्थल चयनित किये गये जिसके सापेक्ष 583 अन्त्येष्टि स्थलों का निर्माण पूर्ण हो गया है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2015—16 में कुल 755 अन्त्येष्टि स्थल चयनित किये गये जिसके सापेक्ष 155 अन्त्येष्टि स्थलों का निर्माण पूर्ण हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद सहित प्रदेश की जेलों की बैरिकों में कैदियों के अनुपात के अनुसार सुख—सुविधा उपलब्ध कराया जाना

11—श्री रामचन्द्र यादव—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद सहित प्रदेश की जेलों की बैरिकों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखने से उनको खाने—पीने, रहने एवं शौच आदि में काफी परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार कैदियों की संख्या के अनुपात में सुविधा बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया—

जी नहीं।

बन्दियों को खाने, पीने, रहने एवं शौच आदि की समुचित सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

कारागारों में क्षमता से अधिक बंदी निरुद्ध किये जा रहे हैं। किन्तु बंदियों को खाने—पीने, शौच आदि की समुचित व्यवस्था की जाती है।

प्रदेश में अरहर की दाल की काला बाजारी से हो रही कीमतों में बेतहाशा वृद्धि रोकने तथा कीमतों पर काबू पाने की नीति

12—श्री नदीम जावेद—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में अरहर की दाल की काला बाजारी के कारण कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो

क्या सरकार दाल की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए कोई नीति बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर–

जी नहीं।

कालाबाजारी के कारण अरहर की दालों की कीमत में वृद्धि नहीं हो रही है, बल्कि उत्पादन की कमी के कारण कीमतों में वृद्धि हुई है।

जी हां।

1–राज्य स्तर पर खाद्यायुक्त की अध्यक्षता में, मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ''मूल्य नियंत्रण प्रकोष्ठ'' स्थापित किया गया है।

2–दालों पर संग्रह सीमा लागू की गयी है।

3–जमाखोरी व कालाबाजारी के विरुद्ध जिलाधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है।

4–रिटेल आउटलेट खुलवाकर उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को दालों का वितरण किया जाता है।

5–कर्मचारी कल्याण निगम के माध्यम से आयातित अरहर दाल का वितरण उचित मूल्य पर कराया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

देवरिया जिले के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर के ग्राम भलुअनीदूबे में रात्रि के समय अंधेरे के कारण चोरी व डकैती से निजात दिलाने हेतु सोलर लाइट का लगाया जाना

13–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर के ग्राम भलुअनीदूबे में रात्रि के समय अत्यन्त अंधेरा होने के कारण चोरी व डकैती आदि की समस्या रहती है जिससे ग्रामवासियों को जानमाल एवं आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त गांव में सोलर लाइट लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सोलर लाइट लगाने की कोई योजना पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित नहीं की जाती है।

रेशम कीट पालन को प्रदेश में युद्ध स्तर पर चालू किया जाना

14–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या रेशम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन–किन जनपदों में रेशम कीट पालन किया जा रहा है ? क्या सरकार उस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर लागू करने हेतु प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

रेशम एवं वस्त्रोद्योग अर्थ एवं संख्या, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री (श्री महबूब अली)–

रेशम कीटपालन का कार्य प्रदेश के निम्नांकित जनपदों में संचालित किया जा रहा है।

(क) शहतूती 46 जनपद

कुशीनगर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, मऊ, महराजगंज, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, संतरविदासनगर, मिर्जापुर, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, मैनपुरी, आगरा, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, बदायूं, मुरादाबाद, अमरोहा, फिरोजाबाद, मथुरा, मेरठ, शामली, बिजनौर, सहारनपुर, हापुड़ एवं फर्रुखाबाद।

(ख) टसर–13 जनपद

सोनभद्र, चन्दौली, मिर्जापुर, फतेहपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा, रायबरेली, हरदोई, जालौन, चित्रकूट, बांदा एवं कन्नौज।

(ग) अरण्डी–08 जनपद

कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, जालौन, उन्नाव एवं फतेहपुर में संचालित किया जा रहा है।

प्रदेश में रेशम उत्पादन की सम्भावना वाले सभी जनपदों में रेशम विकास का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इन जनपदों में कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी एवं विस्तारित करने हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

लागू नहीं होता है।

लागू नहीं होता है।

प्रदेश के ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत त्रिस्तरीय व्यवस्था को गति देने ग्राम पंचायतों की तर्ज पर क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव

15–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के इस त्रिस्तरीय व्यवस्था को गति देने हेतु ग्राम पंचायतों की तर्ज पर क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव कराने हेतु सरकार कोई नीति निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से की गयी व्यवस्था के अनुसार (अनुच्छेद–243–ग), ग्राम स्तर पर अध्यक्ष (प्रधान) के निर्वाचन की रीति निर्धारित करने का अधिकार राज्य को दिया गया है और इस व्यवस्था के क्रम में राज्य में ग्राम प्रधान का प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति रखी गयी है। किन्तु मध्यवर्ती स्तर (क्षेत्र पंचायत) का जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में यह प्राविधान किया गया है कि क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायतों के अध्यक्ष, उस पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जायेगा।

अतः क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव, ग्राम पंचायत की तर्ज पर कराना सम्भव नहीं है।

लखनऊ एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0 को उच्चीकृत कर नये विभाग को बनाये जाने हेतु सरकार की कार्य योजना

16–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ को उच्चीकृत कर एवं नये विभाग बनाने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? क्या उक्त संस्थान में गरीबों के लिए मुफ्त चिकित्सा की कोई व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में इमरजेन्सी मेडिसिन विभाग की स्थापना किये जाने की कार्ययोजना विचाराधीन है।

जी हां।

एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ में बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारकों/लावारिस/ विपन्न मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु नियमावली, 2013 के अन्तर्गत असाध्य रोगों (कैंसर, हृदय रोग, लीवर, किडनी एवं मौसमी महामारी) से पीड़ित मरीज जिन्हें चिकित्सालय में भर्ती कर उपचार की आवश्यकता हो, को निःशुल्क उपचार की सुविधा अनुमन्य है। असाध्य रोग नियमावली के अन्तर्गत लाभार्थियों की श्रेणी में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों एवं बी0पी0एल0 सूची के सदस्यों के साथ–साथ सवा तीन एकड़ तक की जोत के कृषक अथवा जिनकी आय रु0 35000.00 (रुपये पैंतीस हजार मात्र) वार्षिक से कम हो एवं सेवारत राज्य कर्मचारी सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र घोरावल के ग्राम मुसहा के सभी मार्ग कच्चे एवं क्षतिग्रस्त मार्गों का डामरीकरण कराया जाना

17—श्री अली यूसूफ अली—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र घोरावल के ग्राम मुसहा के सभी मार्ग कच्चे एवं क्षतिग्रस्त होने से नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम के मार्गों का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पंचायती राज विभाग में गांव के अन्दर मार्गों का डामरीकरण कराये जाने की कोई योजना नहीं है।

जनपद बस्ती के रुधौली ब्लाक पंचायत पिपरा कला में जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाना

18—श्री संजय प्रताप जयसवाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के रुधौली ब्लाक की ग्राम पंचायत पिपरा कला में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण जलजमाव तथा जलजनित बीमारियों का भी खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत पिपरा कला में जल निकासी की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत ग्राम पंचायत में पूर्व से ही जल निकासी की व्यवस्था है।

लखनऊ में स्थापित कैसरबाग, चारबाग बस अड्डों को शहरों के बाहर स्थापित करने तथा गोरखपुर की तरफ से आने वाली बसों हेतु पालिटेक्निक के आस—पास बस डिपो बनाया जाना

19—श्री नदीम जावेद—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में स्थापित कैसरबाग, चारबाग बस अड्डों को शहर के बाहर स्थापित करने तथा गोरखपुर की तरफ से आने वाली बसों हेतु पालिटेक्निक के आस—पास बस डिपो बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यासर शाह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कैसरबाग एवं चारबाग बस स्टेशन यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से अत्यन्त उपयुक्त स्थान है। फलस्वरूप यात्रियों को उक्त स्थान पर पहुंचना अत्यन्त सुविधाजनक है, जिसके दृष्टिगत कैसरबाग एवं चारबाग बस स्टेशनों को शहर से बाहर स्थापित करना जनहित में नहीं है। पालिटेक्निक के निकट निगम की कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः बस स्टेशन का निर्माण सम्भव नहीं है।

20—श्री राकेश बाबू—

ख्2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0—199 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

प्रदेश में भू—तत्व व खनन माफियों के द्वारा मौरंग बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग

21—श्री जय प्रकाश निषाद—

क्या भू—तत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खनन माफियों के द्वारा मौरंग बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने एवं इसके लिए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु कोई कारगर उपाय करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति—

जी हां।

शासनादेश संख्या—7130/86—2011—371/2011, दिनांक 01—11—2011 द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिये जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, प्रभागीय वन अधिकारी, उप जिलाधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, खान अधिकारी, सदस्य होते हैं।

गठित समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2014—15 में कुल 8241 छापे मारे गये, जिसमें से 233 मामलों में एफ0आई0आर0 दर्ज कराया गया। 199 मामलों में सक्षम न्यायालय में केस दायर किये गये हैं तथा 6172 मामलों में शमन की कार्रवाई करते हुए कुल 2043.19 लाख रुपया वसूल की गयी है।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2015—16 में माह नवम्बर, 2015 तक 8081 छापे मारे गये, जिसमें से 68 मामलों में एफ0आई0आर0 दर्ज कराया गया तथा 51 मामलों में सक्षम न्यायालय में केस दायर किये गये हैं तथा 7962 मामलों में शमन की कार्रवाई करते हुए 2154.22 लाख रुपया वसूल की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

22—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

खदिनांक 11—02—2016 को अता0प्र0सं0—15 द्वारा उत्तरित,

प्रदेश में कानपुर महानगर में निर्धन एवं गरीबी रेखा के नीचे निराश्रित विधवाओं, विकलांगों एवं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को बी0पी0एल0 कार्ड उपलब्ध कराया जाना

23–श्री सतीश महाना–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सहित कानपुर महानगर में निर्धन एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के बी0पी0एल0 कार्ड कब से बनना प्रारम्भ होंगे ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सभी निराश्रित विधवाओं, विकलांगों एवं झुग्गी–झोपड़ियों में रहने वालों को बी0पी0एल0 कार्ड दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर–

प्रदेश सहित कानपुर महानगर में निर्धन एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों में से मानक के आधार पर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार चिन्हित कर पात्र परिवारों के बी0पी0एल0 कार्ड बनाये जा चुके हैं। इसके अन्तर्गत प्रदेश में बी0पी0एल0 के 6584500 एवं अन्त्योदय योजना के 4094500 कार्ड व कानपुर नगर में बी0पी0एल0 के 102161 एवं अन्त्योदय के 63148 कार्ड बनाये गये हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत इस श्रेणी के लोगों को मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर पात्र गृहस्थी के अन्तर्गत आच्छादित करने का प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में एक हजार से अधिक बेड वाले सरकारी अस्पतालों में जहां जमीन व अन्य सुविधाएं होने पर मेडिकल कालेज एवं ट्रामा सेण्टर बनाया जाना

24–डा0 अरुण कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डल मुख्यालय, बरेली में एक हजार से अधिक बेड वाले सरकारी अस्पतालों में जहां जमीन एवं अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, मेडिकल कालेज एवं ट्रामा सेण्टर बनाये जाने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

बरेली मण्डल के अन्तर्गत बदायूं जिला मुख्यालय पर राजकीय मेडिकल कालेज निर्माणाधीन होने एवं राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत मण्डल मुख्यालय बरेली में मेडिकल कालेज एवं ट्रामा सेन्टर स्थापित किए जाने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में पद विहीन चिकित्सालयों में पद सृजित कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना

25–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं तथा कितने चिकित्सालय पद विहीन हैं और कितने चिकित्सालयों पर पद सृजित हैं ? क्या सरकार पद विहीन चिकित्सालयों में पद सृजित कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में वर्तमान में 2106 आयुर्वेदिक चिकित्सालय कार्यरत है। वर्तमान में 48 चिकित्सालय पद विहीन हैं, शेष सभी आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में मानक के अनुरूप पद उपलब्ध है।

वर्तमान में पदविहीन चिकित्सालयों में समीप के चिकित्सालयों से कार्मिकों को सम्बद्ध कर चिकित्सा व्यवस्था संचालित की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

26–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

ख्1ले बुधवार के अता0प्र0सं0–194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 2012, 2013, 2014 व 2015 में प्रदेश के कुल कितने कार्ड होल्डरों का डिजिटिलाइजेशन का कार्य किया गया है की जानकारी

27–प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 2012, 2013, 2014 व 2015 प्रदेश में कुल कितने कार्ड होल्डर हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि भारत सरकार द्वारा कार्डों के डिजिटिलाइजेशन की कोई समय सीमा निर्धारित की है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा क्या निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत डिजिटिलाइजेशन का कार्य पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर–

जी हां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2012 में 44765728, वर्ष 2013 में 44732801, वर्ष 2014 में 44950191 एवं वर्ष 2015 में 44955726 राशन कार्ड होल्डर हैं।

दिनांक 20 जनवरी, 2016 तक 87.39 प्रतिशत राशन कार्डों के डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। बी0पी0एल0 तथा अन्त्योदय श्रेणी के राशन कार्डों का डिजिटाइजेशन का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण हो चुका है। लाभार्थियों के डाटा का डिजिटाइजेशन कराकर राशन कार्ड जारी किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है। प्रथम चरण में इसे 28 जनपदों में माह जनवरी, 2016 से लागू कर दिया गया हैं तथा शेष 47 जनपदों में इसे माह मार्च, 2016 से लागू किया जाना है। इसके अन्तर्गत दिनांक 20

जनवरी, 2016 तक 03.037 करोड़ लाभार्थियों के चिन्हांकन का कार्य पूर्ण कर, उनके डाटा बेस का डिजिटाइजेशन कर लिया गया है।

जौनपुर मुख्यालय से तहसील मुख्यालयों तथा जौनपुर मुख्यालय से केराकत चन्दवक मार्ग एवं शाहगंज मार्ग पर परिवहन विभाग की बसों का संचालन कराया जाना

28–श्री नदीम जावेद–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर मुख्यालय से तहसील मुख्यालयों तक तथा जौनपुर मुख्यालय से केराकत–चन्दवक मार्ग एवं शाहगंज मार्ग पर परिवहन विभाग की बसों का संचालन आवश्यकता से कम होने के कारण डग्गामार वाहनों की मनमानी बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों पर परिवहन निगम के बसों का संचालन/फेरा बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यासर शाह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नांकित मार्गों पर यात्रियों की उपलब्धता के आधार पर बसों का संचालन किया जा रहा है।

जनपद अलीगढ़ के ग्राम गभाना में जिला पंचायत के श्री लक्ष्मीराज इण्टर कालेज के सामने क्षतिग्रस्त मार्ग का मरम्मत कराया जाना

29–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के ग्राम गभाना में जिला पंचायत के श्री लक्ष्मीराज इण्टर कालेज के सामने का मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत का प्रस्ताव जिला पंचायत की आगामी बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के देवसैनी से रसूलपुर तक का एवं सोमना खैर हसनपुर तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराया जाना

30–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के देवसैनी से रसूलपुर तक का एवं सोमना खैर हसनपुर मार्ग क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार

जनहित में इन मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

देवसैनी से रसूलपुर तक एवं सोमना खैर हसनपुर मार्ग की मरम्मत का प्रस्ताव जिला पंचायत की आगामी बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद तहसील सदर के ग्राम सभा सोफीपुर की 42 एकड़ (200 बीघा) भूमि पर गौशाला हेतु आवंटन के बावजूद अन्य कार्य हेतु प्रयोग किये जाने का प्रकरण

31–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद, तहसील सदर के ग्राम सभा सोफीपुर की 42 एकड़ (200 बीघा) भूमि का आवंटन गौशाला के लिए किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त भूमि का उपयोग गौशाला के रूप में न कर अन्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषियों के विरुद्ध सरकार दण्डात्मक कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न में जनपद फिरोजाबाद तहसील सदर के किसी ग्राम सभा का उल्लेख नहीं है लेकिन प्रकरण ग्राम पंचायत सौफीपुर का प्रतीत होता है। सोफीपुर ग्राम सभा की भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है। सन् 1366 फसली से 1368 फसली खतौनी में जगन्नाथ प्रसाद लहरी पुत्र सियाराम मैनेजर गौशाला निवासी मौहल्ला दुली फिरोजाबाद अंकित प्रविष्टि संदिग्ध प्रतीत होती है, जिसके सम्बन्ध में धारा 33/39 एल0आर0 एक्ट में उप जिलाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरीचौरा राप्ती नदी तथा गोर्रा नदी पर अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराया जाना

32–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी–चौरा के अन्तर्गत गोर्रा तथा राप्ती नदियों के किनारों पर शासनादेश संख्या–2105/33–3–2014–100 (21)/2014, दि0 2–9–2014 के अन्तर्गत सरकार द्वारा अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी हुआ है ? यदि हां, तो उक्त का निर्माण कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर मेडिकल कालेज में निर्माणधीन 500 बेड वाले बाल चिकित्सा का संचालन कराया जाना

33–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मेडिकल कालेज में निर्माणाधीन 500 बेडेड बाल चिकित्सा संस्थान में क्या–क्या कार्य कराये जाने हैं एवं संस्थान के संचालन के लिए सरकार ने क्या नीति निर्धारित की है ? क्या इसके लिए पदों के सृजन और नियुक्ति तथा बजटीय प्रावधान की व्यवस्था कर ली गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 बेडेड जी14 तल वाले बाल चिकित्सा संस्थान में पीडियाट्रिक्स, कार्डियोथोरेसिक, पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक्स यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक्स न्यूरो सर्जरी, पीडियाट्रिक्स न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक्स गेस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी, पीडियाट्रिक्स मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स रेसपेरेटरी मेडिसिन, रेडियोलॉजी, पैथालोजी आदि विभाग स्थापित किए जायेंगे। इसमें साइड डेवलपमेन्ट/रोड/बाउण्ड्रीवाल/चिकित्सालय लण्ड्री/सी0एस0एस0डी0 की भी व्यवस्था किए जाने का प्राविधान है। संस्थान को शासकीय नियमों के अन्तर्गत संचालित किया जायेगा।

निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पद सृजन तथा नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में रु0 60.00 करोड़ का बजटीय प्राविधान किया गया है।

प्रदेश में बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए रोजगार सृजन की नीति बनाया जाना

34–श्री नदीम जावेद–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेरोजगारी के दृष्टिगत रोजगार सृजन की सरकार की क्या कोई नीति है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर–

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत सेवायोजन कार्यालयों मे पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों की सूचनायें नियोजकों को, उनकी आवश्यकता एवं अपेक्षानुसार,

उपलब्ध करायी जाती है। प्रदेश के बेरोजगार व्यक्तियों के लिए कैरियर काउन्सिलिंग के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के लिए साक्षात्कार आदि हेतु प्रशिक्षित किया जाता है तथा प्रत्येक मण्डल एवं जनपद स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जाता है।

समाज के निर्बल वर्ग के बेरोजगारों की रोजगारपरकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में 52 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित है, जहां पर आशुलिपि, सचिवीय पद्धति, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिन्दी तथा कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

गोरखपुर में प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए नीति निर्धारित कराया जाना

35—डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर सहित प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

गोरखपुर सहित प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कालेजों में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए शैक्षिक श्रेणी के प्रवक्ता एवं आचार्य के पदों को लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने की कार्रवाई की जा रही हैं। उक्त के अतिरिक्त शैक्षणिक संवर्ग के पदों को संविदा पर भरे जाने एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्सिंग से भरे जाने की कार्यवाही जी जा रही है। इसके अतिरिक्त तृतीय श्रेणी/तकनीकी श्रेणी के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयन की कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में स्थित श्रम न्यायालय, उ0प्र0 औद्योगिक न्याधिकरण, इलाहाबाद को लखनऊ में स्थानान्तरित कर कार्यालय को खाली कराने का प्रकरण

36—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम न्यायालय, उ0प्र0 औद्योगिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद को इलाहाबाद से लखनऊ में स्थानांन्तरित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि विभागाध्यक्ष आल इंडस्ट्रियल ट्रिबुनल एवं लेबर कोर्ट उ0प्र0, द्वितीय लखनऊ ने मुख्यालय इलाहाबाद से लखनऊ सभी मामले तथा कर्मचारियों को स्थानांतरित करके

कार्यालय को खाली करने हेतु आदेशित किया है ? यदि हां, तो शासन ने इस पर कोई कार्रवाई की ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभागाध्यक्ष, औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, उ0प्र, इलाहाबाद द्वारा अपने आदेश संख्या–441(1)रजि0औ0न्या0स्था0–15 दिनांक 27–07–2015 द्वारा रजिस्ट्रार कार्यालय इलाहाबाद से लखनऊ शिफ्ट/स्थानान्तरित करने के आदेश निर्गत किए गए थे, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 12–08–2015 द्वारा स्थगित कर दिया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में वर्ष 2014–2015 एवं 2015–2016 से नवम्बर, 2015 तक बन्द कैदियों की मृत्यु जेल के अन्दर होने के कारण मृत कैदियों के पारीवारीजनों को मुआवजा का प्राविधान किया जाना

37–श्री सुदेश शर्मा–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 14–15 एवं 15–16 से नवम्बर, 15 तक कितने बंद कैदियों की मृत्यु जेल के अंदर हो गयी है ? क्या सरकार के द्वारा जेल में बंद मृत कैदियों के परिवारीजनों को कोई मुआवजा देने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो शासन ने इस पर कोई कार्रवाई की ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया–

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध कुल बन्दियों में से 340 बन्दियों की मृत्यु वर्ष 2014–15 में एवं 223 बन्दियों की मृत्यु वर्ष 2015–16 में (30 नवम्बर, 2015 तक) जेल के अन्दर हुई है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कारागार में निरुद्ध बंदियों की सामान्यतया मृत्यु होने के उपरान्त मृत बंदियों के परिजनों को सरकार द्वारा मुआवजा दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रदेश की जेलों में बंद सजायाफ्ता कैदियों को अपने पारिवारीजनों से दूरभाष पर वार्ता हेतु दिल्ली की तिहाड़ जेल के अनुरूप प्रदेश की जेलों में भी पी0सी0ओ0 की सुविधा उपलब्ध कराया जाना

38–श्री सुदेश शर्मा–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जेलों में बंद सजायाफ्ता कैदियों को अपने परिवारी जनों से दूरभाष पर वार्ता हेतु दिल्ली की तिहाड़ जेल के

अनुरूप प्रदेश की जेलों में भी पी0सी0ओ0 की सुविधा उपलब्ध कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

39–श्री बब्बन सिंह चौहान–

ख्2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0–200 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा दुलहीपुर (करवत मौजा) वि0खं0 नियामताबाद में कच्चे मार्ग का निर्माण कराया जाना

40–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा दुलहीपुर (करवत मौजा) वि0ख0 नियामताबाद में एफ0सी0आई0 गेट से सुनील श्रीवास्तव के घर से होते हुए जगरनाथ राम के घर तक कच्चे मार्ग को बनवाने के सम्बन्ध में प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ग–5 एन–140574, दि0 15–06–2015, जिलाधिकारी, जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जिलाधिकारी, चन्दौली द्वारा खण्ड विकास अधिकारी, नियामताबाद को प्रश्नगत कार्य पूर्ण कराने के लिये पत्र प्रेषित किया गया। खण्ड विकास अधिकारी, नियामताबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत कार्य ग्राम पंचायत के वर्ष 2015–16 की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र ग्राम भरछा विकास खण्ड नियामताबाद में अपूर्ण रास्ते को पूर्ण कराया जाना

41–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा भरछा, विकास खण्ड नियामताबाद में रमेश मौर्या के घर से अजय कुमार के घर तक अपूर्ण रास्ते को पूर्ण कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ग–5एन0–140580, दिनांक 23–06–2015, जिलाधिकारी, जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यो का प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में अनिवार्य रूप से आर्डर कराया जाना

42—श्री जय प्रकाश निषाद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों का आडिट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कराने की सरकार द्वारा व्यवस्था की गयी है ? परन्तु बहुत से ग्राम पंचायतों का आडिट वित्तीय वर्ष 2010—11 तक पूर्ण नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में अनिवार्य रूप से आडिट कराने हेतु कोई प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को बढ़ावा दिया जाना

43—श्री जय प्रकाश निषाद—

क्या हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आवश्यक सुविधाओं के अभाव में हथकरघा उद्योग बंद होने के कगार पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये कोई ठोस कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली—

जी नहीं।

हथकरघा उद्योग के उत्थान एवं प्रोत्साहन हेतु प्रदेश शासन निरन्तर प्रयत्नशील है। इस हेतु बुनकर पेंशन योजना, बुनकर उत्पादों की लोकप्रियता में वृद्धि हेतु मेला/प्रदर्शनी का आयोजन, मेगा क्लस्टर योजना/क्लस्टर विकास योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघा योजना संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वितरित राशन कार्डो में गलत नाम पता आदि का सत्यापन कराया जाना

44—श्री वीरपाल राठी—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वितरित हो रहे राशन कार्डों में किये जाने वाले गलत नाम, पता व जाति, अंकित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे दूर करने हेतु कोई प्रक्रिया अपनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर–

विभाग द्वारा त्रुटिरहित राशन कार्ड वितरित करने का पूर्ण प्रयास किया जाता है किन्तु यदि त्रुटिवश राशन कार्डों में गलत नाम, पता व जाति अंकित हो जाती है तो प्राप्त शिकायतों/आवेदनों के अनुसार वांछित संशोधन कर दिया जाता है।

त्रुटि सुधार हेतु कार्डधारक जन सेवा केन्द्रों मे ऑनलाइन अथवा सम्बन्धित क्षेत्र के आपूर्ति कार्यालय में आवेदन कर सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

45–श्री दलवीर सिंह–

ख्उसरे बुधवार के अता0प्र0सं0–190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

प्रदेश में वर्ष 2014–2015 एवं 2015–2016 में दि0 20–11–2015 तक खनन से प्राप्त राजस्व की तथा बुन्देलखण्ड के विकास हेतु आरक्षित राजस्व की जानकारी

46–श्री सुदेश शर्मा–

क्या भू–तत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 14–15 एवं 15–16 में दिनांक 20–11–15 तक खनन से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है तथा बुन्देलखण्ड में कुल कितना खनन राजस्व प्राप्त हुआ ? क्या सरकार बतायेगी कि खनन से प्राप्त बुन्देलखण्ड राजस्व का कितना हिस्सा बुन्देलखण्ड के विकास हेतु आरक्षित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति–

प्रदेश में एवं बुन्देलखण्ड से खनन से प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नवत् हैं :––

	वित्तीय वर्ष 2014–15 (लाख रु0 में)	वित्तीय वर्ष 2015–16 (30 नवम्बर, 2015 तक) (लाख रु0 में)
सम्पूर्ण प्रदेश	102927.76	64258.09
बुन्देलखण्ड	28283.96	19102.15

खनिजों से प्राप्त राजस्व का कोई हिस्सा बुन्देलखण्ड के विकास हेतु आरक्षित नहीं है।

खनिजों से प्राप्त राजस्व का उपयोग प्रदेश के सर्वांगीण विकास में होता है।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सभा कटेसर वि0 खण्ड नियामताबाद को चक्रानुक्रम में ग्राम प्रधान पद को सुरक्षित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

47–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा कटेशर वि0ख0 नियामताबाद को चक्रानुक्रम में ग्राम प्रधान पद को सुरक्षित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ग–140480, दि0 03–08–15 जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2015 हेतु शासनादेश संख्या–2559/33–3–2015–96–2015 टी0सी0 दिनांक 16–09–2015 के द्वारा निर्गत शासनादेशानुसार निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण की अन्तिम सूची का प्रकाशन दिनांक 08–10–2015 को किया जा चुका है। मा0 श्री बब्बन सिंह चौहान, मा0 सदस्य विधान सभा, क्षेत्र मुगलसराय का पत्र संख्या ग–140480 दिनांक 03–08–2015 मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कटेसर को चक्रानुक्रम के क्रम में ग्राम प्रधान पद को सुरक्षित करने से सम्बन्धित पत्र प्राप्त हुआ। ग्राम सभा कटेसर में भी ग्राम प्रधान पद के आरक्षण पर कार्रवाई उपरोक्त शासनादेश के अनुसार सम्पन्न हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मैंगी के बिक्री के रोक के बाद पुनः बिक्री करने में मानको की स्थिति की जानकारी

48–श्री नदीम जावेद–

क्या खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने गत लगभग 4 माह पूर्व मिलावट के कारण मैगी पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था परन्तु अब माह नवम्बर, 2015 में इसे पुनः बाजार में उतारने की अनुमति दे दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मैगी ने निर्धारित सभी मानकों को पूरा कर लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इकबाल महमूद–

जी नहीं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 05–06–2015 द्वारा मैगी नूडल्स से सम्बन्धित 09 उत्पादों के विनिर्माण, प्रसंस्करण, आयात, वितरण एवं विक्रय पर सम्पूर्ण भारत वर्ष में रोक लगायी थी, जिसका अनुपालन प्रदेश में भी किया गया। मैगी की बाजार में पुनः बिक्री के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, मुम्बई द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–09–2015 का अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट, लखनऊ में मरीजों के इलाज हेतु बेडस तथा डाक्टरों को सुनिश्चित कराया जाना

49—श्री त्रिभुवन राम—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट, लखनऊ में वर्तमान में मरीजों के इलाज हेतु कितने बेड्स उपलब्ध हैं विभिन्न संकायों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कुल कितने डाक्टर कार्यरत हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि कार्डियो सर्जरी, हृदय, न्यूरो सर्जरी किडनी तथा गेस्ट्रो में बेड्स की कमी के कारण बहुत से मरीज समय से चिकित्सा/सर्जरी के अभाव में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संस्थान में बेड्स के बढ़ाने तथा डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट, लखनऊ में कुल 971 बेड उपलब्ध हैं। विभिन्न संकायों हेतु कुल 324 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष कुल 189 डाक्टर कार्यरत हैं।

संस्थान में आपातकालीन मेडिसिन विभाग को क्रियाशील करने हेतु हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। आपातकालीन मेडिसिन विभाग में लगभग 200 बेड बनाया जाना प्रस्तावित है, जिससे सम्बन्धित विभागों के बिस्तरों की आवश्यकता पूर्ण होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त न्यू ओ0पी0डी0 भवन के बनकर तैयार हो जाने के उपरान्त लगभग 180 बेड बनाकर प्रभावी कर दिया जायेगा।

वर्तमान में आपातकालीन मेडिसिन विभाग में लगभग 28 बेड को क्रियाशील करने हेतु कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

संस्थान के विभिन्न विभागों में गत वर्ष 2011—12 एवं वर्ष 2013—14 में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही की गयी है एवं वर्तमान में आवश्यकतानुसार संकाय सदस्यों की भर्ती/नियुक्ति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अनाज के भण्डारण गोदामों की कमी होने के कारण अनाजों की अच्छी तरह रख—रखाव की व्यवस्था ठीक कराया जाना

50—श्री जय प्रकाश निषाद—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनाज के भण्डारण गोदामों की कमी होने के कारण अनाज का अच्छी तरह रख—रखाव की व्यवस्था न होने के कारण काफी मात्रा में अनाज सड़ जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार अनाज

को सड़ने से बचाने के लिए उचित कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर–

जी नहीं।

प्रदेश में अनाज भण्डारण हेतु गोदामों की कमी नहीं है और न ही रख–रखाव की व्यवस्था के कारण अनाज सड़ने की कोई शिकायत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रत्येक गांवों में अन्तरिम सड़के बनाई जाने की सरकार की नीति की जानकारी

51–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक गांवों में अंतरिम सड़कें बनाई जाने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायतें अपनी कार्ययोजना बनाकर गांव के अन्दर सड़क निर्माण कराने हेतु सक्षम हैं।

जनपद गोरखपुर में विगत वर्षों में मेडिकल कालेज में मस्तिष्क ज्वर ए0ई0एस0 से बीमार मरीजों की संख्या एवं मृत्यु दर को कम करने का सरकार का उपाय

52–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 20–11–2015 तक में गोरखपुर मेडिकल कालेज में मस्तिष्क ज्वर ए0ई0एस0 के कितने मरीज भरती किये गये एवं इनमें बीमारी के कारण क्या थे ? क्या सरकार मरीजों की मृत्यु दर और विकलांगता दर का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वर्ष	कुल भर्ती
2012	2517
2013	2111

2014	2208
2015	1757

बाल रोग विभाग में भर्ती ए0ई0एस0 के मरीजों में लक्ष्णों एवं जांचों के आधार पर बीमारी का कारण निम्न पाया गया :––

जे0ई0–6 से 8 प्रतिशत,

टाईफाइड, मलेरिया, टी0बी0, मेनेजाईटिस एवं वैक्टेरियल मेनेनजाईटिस आदि–10 प्रतिशत से कम।

वर्ष	मृत्यु दर
2012	21.90 प्रतिशत
2013	29.18 प्रतिशत
2014	28.12 प्रतिशत
2015	25.38 प्रतिशत

ए0ई0एस0 के उपचार के उपरान्त विभाग द्वारा जिन मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, उनमें से 2 से 5 प्रतिशत मरीजों में गम्भीर विकलांगता थी एवं 15 से 20 प्रतिशत मरीजों में आंशिक विकलांगता पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के मेडिकल कालेज में मस्तिष्क ज्वर के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अलग से बजट का प्राविधान करने विषयक

53–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मेडिकल कालेज में मस्तिष्क ज्वर के मरीजों की बड़ी संख्या के मद्देनजर क्या अलग से कोई बजटीय प्रावधान किये हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

मेडिकल कालेज, गोरखपुर में ए0ई0एस0/जे0ई0/डेंगू एवं सामान्य मरीजों हेतु औषधि तथा रसायन मद में कालेज पक्ष में रु0 1,50,00,000/– एवं चिकित्सालय पक्ष में रु0 4,84,00,000/–, इस प्रकार कुल रु0 6,34,00,000/– की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त पुनर्विनियोग के द्वारा धनराशि रु0 1,00,00,000/– की व्यवस्था की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत कुशल कारीगरों को प्रोत्साहन के क्षेत्र के लिए विशेष योजना को तैयार किया जाना

54–श्री मनीष असीजा–

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति–2014 में फिरोजाबाद के कांच की चूड़ी उद्योग व्यापार एवं इसके कुशल कारीगरों के प्रोत्साहन के लिये कोई विशेष योजना तैयार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल–

उ0प्र0 हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति–2014 प्रदेश के समस्त हस्तशिल्पयों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रोत्साहन हेतु प्रख्यापित की गयी है। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ी उद्योग व्यापार एवं इसके कुशल कारीगरों के प्रोत्साहन के लिए पृथक से कोई विशेष योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण हेतु कौशल उन्नयन योजना एवं निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना तथा विपणन में सहायता हेतु हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर में विश्व विख्यात इत्र कारोबार को पुनः स्थापित किया जाना

55–श्री नदीम जावेद–

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व में विख्यात जनपद जौनपुर का इत्र कारोबार नयी आर्थिक नीतियों के पश्चात् समाप्ति के कगार पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कारोबार को पुनः स्थापित करने हेतु कोई योजना लायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल–

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बक्शा, विकास खण्ड सिकरारा के कुछ गांव तथा शहरी क्षेत्र से लगे हुए गांव चाचकपुर में बेल, चमेली, गुलाब एवं केवड़ा की खेती हुआ करती थी तथा इसके आधार पर परम्परागत तकनीक से कतिपय परिवारों द्वारा इत्र का उत्पादन किया जाता था। फूलों की खेती बन्द हो जाने एवं चन्दन की अनुपलब्धता तथा इत्र के निर्माण में लाभ न होने एवं अधिक लागत के कारण इत्र उद्योग प्रभावित होने लगा और लगभग 35–40 वर्ष पूर्व यह उद्योग बन्द हो गया। वर्तमान में जनपद जौनपुर में इत्र निर्माण करने वाली कोई इकाई पंजीकृत नहीं है।

इत्र उद्योग को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए कोई पृथक योजना का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, बल्कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में समस्त प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही है, जिनमें तकनीकी उन्नयन योजना, उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुरस्कार योजना, सूक्ष्म लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना, हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना, हस्तशिल्प पेंशन योजना, हस्तशिल्प कौशल विकास उन्नयन योजना, हस्तशिल्प पुरस्कार योजना, अनु0 जाति/जनजाति व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण योजना, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इत्यादि क्रियान्वित की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में नागरिकों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर दवरई स्थित जिला मुख्यालय आने के लिए सुभाष तिराहे से दवरई तक सिटी बस सर्विस की सेवा आरम्भ किया जाना

56–श्री मनीष असीजा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद के नागरिकों को नगर फिरोजाबाद से 8 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दवरई स्थित जिला मुख्यालय आने के लिये कोई सार्वजनिक यातायात उपलब्ध न होने के कारण आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार नागरिकों की असुविधा के दृष्टिगत सुभाष तिराहे से दवरई तक सिटी बस सर्विस की सेवा आरम्भ करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यासर शाह–

बस स्टेशन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद नगर के अन्दर स्थित है, जहां से शिकोहाबाद–आगरा मार्ग की बसें फिरोजाबाद बस स्टेशन एवं दवरई जिला मुख्यालय को जोड़ती हैं, जहां से निगम की बस सेवायें उपलब्ध हैं।

जी नहीं। फिरोजाबाद नगर में नगर बस चलाये जाने की कोई योजना नहीं है क्योंकि यह जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत परिकल्पित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में एम0बी0बी0एस0 एवं एम0डी0एम0एस0 विशेषज्ञ चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने के लिए आर्म फोर्स की तरह सरकारी योजना का बाण्ड भराये जाने की योजना की जानकारी

57–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कालेजों में एम0बी0बी0एस0 एवं एम0डी0एम0एस0 के विशेषज्ञ चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने पर सरकार का प्रति छात्र कितना धन व्यय होता है ? क्या सरकार इनकी शिक्षा प्रारम्भ कराने के पूर्व आर्म फोर्स की तर्ज पर निश्चित अवधि के लिये सरकारी सेवा का बाण्ड भराने की योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश के सरकारी मेडिकल कालेज विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् छात्रों हेतु शासन द्वारा आवंटित बजट के आधार पर विषयगत चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने में प्रति छात्र लगभग रु0 13.34 लाख प्रतिवर्ष का व्ययभार आता है।

जी नहीं।

वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण अंचल में कार्यरत पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0 में 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है और उनसे निश्चित अवधि 10 वर्ष की सरकारी सेवा करने या 01 करोड़ रुपये के

भुगतान का बाण्ड भराने की योजना संचालित है। इसके दृष्टिगत सभी चिकित्सकों से बाण्ड भराने की आवश्यकता नहीं पायी गयी है।

जनपद गोरखपुर में मेडिकल कालेजो में मस्तिष्क ज्वर के मरीजों के जांच से निदान और इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना

58–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मेडिकल कालेज में मस्तिष्क ज्वर के मरीजों के जांच निदान और इलाज के लिये क्या–क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ? क्या सरकार द्वारा इन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर के मरीजों की समस्त जांच निःशुल्क एन0आई0वी0 गोरखपुर, माईक्रोबायलॉजी एवं पैथालॉजी विभाग तथा रेडियोलॉजी विभाग आदि से करायी जाती है तथा इनका समस्त इलाज बाल रोग विभाग एवं मेडिसिन विभाग की ओ0पी0डी0/इन्डोर तथा आई0सी0यू0 में निःशुल्क किया जाता है।

उपलब्ध संसाधनों से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, बाल रोग विभाग द्वारा टीकाकरण एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम सम्पन्न किये जा रहे है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सा शिक्षा संस्थान में निदेशक पर नियुक्ति का प्रकरण

59–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सा शिक्षा संस्थान लखनऊ में निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिये क्या योग्यता निर्धारित की गई है ? क्या सरकार उक्त पद पर सिर्फ विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति करने का प्रावधान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ के बायलाज के प्रस्तर–33(5) के अनुसार निदेशक पद के लिए एम0सी0आई0 द्वारा समय–समय पर निर्धारित अर्हता निर्धारित है।

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार निदेशक पद के लिए एम0सी0आई0 द्वारा निर्धारित अर्हता ही प्रभावी है।

प्रदेश के सरकारी मेडिकल कालेजों में बी0ए0एम0एस0 और एम0डी0 (ए0वाई0) की शिक्षा के दौरान एलोपैथी चिकित्सा के उपरान्त आयुर्वेदिक चिकित्सा, एलोपैथिक पद्धति संचयनित चिकित्सकों को चिकित्सा का अधिकार प्रदान करना

60–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कालेजों में बी0ए0एम0एस0 और एम0डी0 (ए0वाई0) की शिक्षा के दौरान क्या एलोपैथी चिकित्सा पद्धति की भी शिक्षा और परीक्षा ली जाती है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वैधानिक रूप से इस परीक्षा के उपरान्त, आयुर्वेदिक चिकित्सक, एलोपैथी पद्धति से चिकित्सा का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां। भारत सरकार के भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के अधिनियम में प्रदत्त शक्तियो के अधीन बी0ए0एम0एस0 व एम0डी0(आयुर्वेद) के पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है, जिसमें आवश्यकता अनुरूप एलोपैथिक विषयों का समावेश रहता है तथा एलोपैथिक विषयों का अध्ययन/अध्यापन एवं परीक्षा महाविद्यालयों द्वारा सम्पादित कराया जाता है।

जी हां। भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश से स्थायी पंजीकृत हो जाने के पश्चात् उ0प्र0 शासन की अधिसूचना 3/71–आयुष–1–2015–वि0प0–8/2011 दिनांक 09 अक्टूबर, 2015 के अधीन अवधारित अनुसूची के अन्तर्गत इंगित औषधियों को आयुर्वेद विधा के पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा लिखे जाने का अधिकार प्राप्त होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा गोरखपुर में नये आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराया जाना

61–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा गोरखपुर में नये आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना के लिये मांगी गयी निःशुल्क भूमि सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में प्रस्तावित एम्स की स्थापना के सम्बन्ध में ग्राम–खुटन खास, तहसील–सदर, गोरखपुर में चिन्हित भूमि (कुल क्षेत्रफल लगभग 234.71 एकड़) का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तावित विषयगत भूमि के सम्बन्ध में मा0 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार के पत्र दिनांक 24 दिसम्बर, 2015 द्वारा कतिपय अपेक्षायें की गई हैं, जिसके सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है।

प्रदेश में हथकरघा वस्त्रोद्योग में लगे कर्मकारों के जीवनस्तर की ठीक करने की सरकार की नीति

62–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हथकरघा उद्योग में लगे कर्मकारों के जीवन स्तर के सुधार हेतु सरकार ने कोई नई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

हथकरघा उद्योग में लगे कर्मकारों के जीवन स्तर के सुधार एवं रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति–2014 घोषित की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनायें पूर्व से ही संचालित की जा रही है :––

1–बुनकर बहबूदी फण्ड।

2–पावरलूम उद्योग का विकास (एस0सी0पी0 योजना)।

3–जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना।

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा सेन्ट्रल शेयर स्कीम राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तरीय क्लस्टर एवं मेला प्रदर्शनी, एक्सपों के आयोजन की योजना प्रदेश में चल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के कांच चूड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को उचित बाजार दर पर कैरोसिन उपलब्ध कराया जाना

63–श्री मनीष असीजा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के कांच चूड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को उचित बाजार दर पर कैरोसिन आयल उपलब्ध न होने के कारण मजबूरन उन्हें कालाबाजारी में महंगे दर पर खरीदना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के श्रमिकों को उचित मूल्य पर कैरोसिन आयल उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर–

जनपद फिरोजाबाद के कांच चूड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों द्वारा कालाबाजारी में महगें दर पर मिट्टी का तेल नहीं खरीदा जाता है। केरोसीन रिस्ट्रिक्शन आन यूज एण्ड फिक्सेशन आफ सीलिंग प्राइज आर्डर 1993 के प्रावधानों के अनुसार मिट्टी के तेल का वितरण राशन कार्ड धारकों को सिर्फ प्रकाश एवं भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सा शिक्षा संस्थान में संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान, लखनऊ की भांति प्रदेश विधान सभा के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की नीति

64–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में स्थापित हो रहे डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सा शिक्षा संस्थान में संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान लखनऊ की तर्ज पर प्रदेश विधान सभा के प्रतिनिधियों की नियुक्ति का कोई प्रावधान करने के लिये शासन ने क्या कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्यक विचारोपरान्त इसका प्राविधान नहीं रखा गया।

जनपद अलीगढ़ के ग्राम तालिब नगर, कलुआ, गोधा ग्राम विसरा रावट मुकुटमुर से अलीगढ़ हेतु यात्रियों की सुविधा के लिये बस का संचालन

65–श्री दलवीर सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद अलीगढ़ के ग्राम तालिबनगर, कलुआ, गोधा ग्राम विसरा रावट मुकुटपुर से जिला मुख्यालय अलीगढ़ के लिये यात्रियों की सुविधा हेतु लोहिया बस सेवा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यासर शाह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

1–अलीगढ़ से ग्राम तालिबनगर मार्ग– अलीगढ़ से तालिबनगर मार्ग पर जाने में कासिमपुर पावर हाउस के समीप रेलवे पुल से बड़ी बस नहीं निकल पाती है। उक्त मार्ग पर पूर्व से निगम की मिनी बस संचालित करायी गयी थी। वर्तमान में क्षेत्र के अन्तर्गत निगम को मिनी बस उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में निगम की बड़ी बस का संचालन संभव नहीं है।

2–अलीगढ़ से कलुआ मार्ग– कलुआ ग्राम अलीगढ़ से दिल्ली मुख्य मार्ग पर 13 कि0मी0 पर स्थित पचपेड़ा नामक स्थान से 04 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है, जो कि सिंगल मार्ग है। निजी बसों के संचालन के कारण निगम बस का संचालन सार्थक नहीं है।

3–अलीगढ़ से ग्राम गोधा मार्ग– अतरौली से गोधा तक 12 कि0मी0 का भाग अराष्ट्रीयकृत है। अतरौली से गोधा ग्राम की सड़क सिंगल गड्ढायुक्त खराब है, जो बस संचालन योग्य नहीं है।

4–अलीगढ़ से बिसरा रावट मुकुटपुर मार्ग– बिसरा ग्राम अलीगढ़ से मुख्य मार्ग दिल्ली पर 24 कि0मी0 की दूरी पर स्थिति सोमना मोड़ से खैर मार्ग पर पश्चिम की तरफ 04 कि0मी0 पर है। वर्तमान में सोमना मोड़ रेलवे ओवरब्रिज निर्माणाधीन होने के कारण बिसरा ग्राम तक निगम बस संचालित नहीं हो सकती।

अलीगढ़ से रावट, अलीगढ़–दिल्ली मुख्य मार्ग पर 13 कि0मी0 पर स्थित पचपेड़ा नामक स्थान से दक्षिण की तरफ 06 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। रावट ग्राम से 02 कि0मी0 पूर्व ही एक लिंक रोड पर 02 कि0मी0 की दूरी पर मुकुटपुर ग्राम स्थित है। इन ग्रामों को बस सेवा संचालन मुख्य मार्ग से लिंक रोड में सकरे मोड़ के कारण संभव नहीं है।

प्रदेश में लघु उद्योगों की बढ़ावा देने हेतु उद्यमिता विकास संस्थान के देखरेख में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किया जाना

66–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये क्या सरकार द्वारा उद्यमिता विकास संस्थान की देखरेख में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित करने की कोई नीति बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल–

प्रदेश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये उद्योग निदेशालय द्वारा उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ के माध्यम से उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन जनपद स्थित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों द्वारा पूरे प्रदेश में किया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्रामीण तथा शहरी सभी क्षेत्रों के युवकों एवं युवतियों को समान रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के आयुर्वेदिक चिकित्सा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाना

67–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की सेवायें काफी प्रचलित हैं परन्तु जनता में जागरूकता की कमी के कारण इसका उपयोग

जनता के बीच में कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता शिविरों का आयोजन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन समय–समय पर किया जाता है।

68–श्री रोशन लाल वर्मा–

ख्3सरे बुधवार के अता0प्र0सं0–191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।,

69–श्री रोशन लाल वर्मा–

ख्3सरे बुधवार के अता0प्र0सं0–192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।,

आगरा से फिरोजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–2 पर इटावा मैनपुरी, फर्रुखाबाद तक प्राइवेट बसों के संचालन को रोका जाना

70–श्री मनीष असीजा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा से फिरोजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–2 पर इटावा मैनपुरी, फर्रुखाबाद तक हजारों प्राइवेट बसें बिना परमिट के राजमार्ग पर अवैध रूप से सवारियां ढोकर राज्य परिवहन निगम को बहुत भारी मात्रा में राजस्व की हानि पहुंचाने के साथ–साथ सवारियों की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे गम्भीरतापूर्वक संज्ञान में लेकर बिना परमिट के अवैध रूप से चल रही बसों को तत्काल रोकने एवं इनके अवैध संचालकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यासर शाह–

आगरा से फिरोजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग–2 पर आगरा सम्भाग के जनपद मैनपुरी तक अनधिकृत रूप से संचालित बसों के प्रति नियमानुसार समयबद्ध रूप से परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाकर निरन्तर प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त आगरा से फिरोजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–2 पर इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद तक बिना परमिट अवैध रूप से सवारियों ढ़ोने पर राज्य परिवहन निगम को राजस्व हानि के सम्बन्ध में इस मार्ग पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

71–श्री जय प्रकाश निषाद–

ख्1ले सोमवार के अता0प्र0सं0–46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।,

प्रदेश में सौर ऊर्जा पावर ग्रिड स्थापित करने सम्बन्धित प्रकरण

72–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली की समस्या के दृष्टिगत क्या सरकार सौर ऊर्जा पावर ग्रिड स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति–2013 प्रख्यापित की गयी है। यह नीति मार्च, 2017 तक प्रभावी रहेगी तथा इस नीति के अन्तर्गत कुल 500 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना लक्षित है। सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत 500 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं का आवंटन किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में कोटला से फिरोजाबाद तक टैम्पो/आटो रिक्शा चलाया जाना

73–श्री राकेश बाबू–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में कोटला से फिरोजाबाद तक जनता की सुविधा हेतु टैम्पू व आटो रिक्शा चलाने के लिये सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यासर शाह–

कोटला से फिरोजाबाद मार्ग की दूरी 14 किलोमीटर है। जनता की सुविधा हेतु सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, आगरा द्वारा फिरोजाबाद केन्द्र से 16 किलोमीटर की परिधि हेतु 1060 सीएनजी आटो रिक्शा के कान्ट्रैक्ट कैरिज परमिट जारी किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ के हरदुआगंज, कासिमपुर, हेरत मार्ग पर ओवर लोडिंग के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना

74–श्री दलवीर सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष में जनपद अलीगढ़ के हरदुआगंज, कासिमपुर, छेरत मार्ग पर हरदुआगंज रेलवे स्टेशन से लोड होने वाले कितने किलकर की ओवर लोडिंग में पकड़े गये तथा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है ? क्या सरकार वाहनों की ओवर लोडिंग को रोकने के लिये कोई कारगर योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यासर शाह–

हरदुआगंज क्षेत्र में क्लिंकर वाहनों की ओवरलोडिंग के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिगत दैनिक प्रवर्तन कार्रवाई एवं समय–समय पर अन्तर्सम्भागीय विशेष चेकिंग अभियान चलाकर प्रवर्तन कार्रवाई की गयी। उक्त के फलस्वरूप इस क्षेत्र में गत वर्ष (2014–15) में 28 ओवरलोड वाहनों को निरुद्ध किया गया, जिनमें 9,75,200/– प्रशमन शुल्क के रूप में वसूल किया गया तथा वर्तमान वर्ष (2015–16) में दिनांक

28–12–2015 तक 24 ओवरलोड वाहनों को निरुद्ध किया गया, जिनमें 8,01,650/– रुपये प्रशमन शुल्क के रूप में वसूला गया।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–113, 114 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रवर्तन दलों द्वारा ओवरलोडिंग भार वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। परिवहन आयुक्त, उ0 प्र0 द्वारा ओवरलोड वाहनों के संचालन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से समय–समय पर अन्तर्सम्भागीय तथा अन्तर्परिक्षेत्रीय चेकिंग भी करायी जाती है। शासन द्वारा माल उद्धम क्षेत्रों एवं सरकारी संस्थानों जैसे–मण्डी समिति, भारतीय खाद्य निगम, चीनी मिल, लोक निर्माण विभाग, एन0एच0ए0आई0 सिंचाई विभाग, पी0सी0एफ0, सीमेन्ट प्लाण्ट आदि विभागों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले वाहनों द्वारा ओवरलोडिंग न किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश भी जारी किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद अलीगढ़ के गभाना मार्ग से गुजरने वाली सरकारी बसें गभाना बस स्टैण्ड होकर जाने की व्यवस्था करने विषयक

75–श्री दलवीर सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के गभाना मार्ग से गुजरने वाली सरकारी बसें गभाना बस स्टैण्ड पर न जाकर गभाना बाई पास से गन्तव्य को निकल जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग से जाने वाली सभी सरकारी बसों को यात्रियों की सुविधा हेतु गभाना बस स्टैण्ड पर होकर जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यासर शाह–

जनपद अलीगढ़ के गभाना मार्ग से गुजरने वाली निगम की लम्बी दूरी की बस सेवाओं को छोड़कर अन्य समस्त बस सेवायें यात्रियों की सुविधा हेतु गभाना बस स्टेशन होकर जाती है।

उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अलीगढ़ क्षेत्र से दो कर्मी तैनात हैं, उनके पर्यवेक्षण में बसों का संचालन गभाना बस स्टैण्ड से होकर सुनिश्चित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में राशन कार्ड धारकों एवं नये राशन कार्ड धारकों को भी डिजिटालाइज कार्डों का वितरण करने की मांग

76–श्री मनीष असीजा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में कितने राशन कार्ड धारकों को नये डिजिटलाइज राशन कार्डों का वितरण किया जा चुका है

तथा शेष बचे राशन धारकों को डिजिटलाइज राशन कार्डों का वितरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर–

नगर फिरोजाबाद के फीड किये गये कुल 133517 राशन कार्डों को डिजिटाइज्ड करते हुए शत–प्रतिशत वितरण सम्बन्धित लाभार्थियों को किया जा चुका है। वितरण हेतु कोई डिजिटाइज्ड राशन कार्ड शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नगर फिरोजाबाद के विश्व विख्यात कांच उत्पादों के प्रचार–प्रसार एवं निर्यात प्रोत्साहन हेतु ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस–वे पर एक्सपो मार्ट की स्थापना किया जाना

77–श्री मनीष असीजा–

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर फिरोजाबाद के विश्व विख्यात कांच उत्पादों के प्रचार–प्रसार एवं निर्यात प्रोत्साहन हेतु फिरोजाबाद से होकर गुजरने वाला आगरा–लखनऊ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस–वे पर एक ग्लास एक्सपो मार्ट की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के पास मार्च, 2015 से लम्बित है ? यदि हां, तो उस कार्य का निस्तारण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल–

प्रश्नगत प्रस्ताव दिनांक 13–08–2015 को प्राप्त हुआ है।

प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में आयुक्त एवं निदेशक उद्योग को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) एवं औचित्य उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सोलर स्ट्रीट लाइट की बैटरी चोरी के सम्बन्ध में संयंत्र की सुरक्षा का उत्तरदायित्व लाभार्थी संस्था/ग्राम पंचायत को सौंपा जाना

78–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 विधान सभा के द्वितीय सत्र 2015 के पहले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–23 के उत्तर के संदर्भ में मा0 मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सोलर स्ट्रीट लाइट की बैटरी चोरी के सम्बन्ध में संयंत्र की सुरक्षा का उत्तरदायित्व लाभार्थी संस्था/ग्राम पंचायत का निर्धारित करने सम्बन्धी आदेश कब जारी किया गया ? क्या सरकार उक्त आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

संयंत्र की स्थापना के उपरान्त संयंत्र की सुरक्षा एवं देख–रेख हेतु लाभार्थी संस्था ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित कर दिया जाता है, जिसके लिये एक प्रारूप निर्धारित

किया गया है। इस प्रारूप में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संयंत्रों की देख–रेख एवं सुरक्षा का उत्तरदायित्व लाभार्थी संस्था–ग्राम पंचायत का होना निर्धारित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

79–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

ख्2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0–179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद फिरोजाबाद से जलेसर मार्ग पर आटो रिक्शा व टैम्पो की व्यवस्था किया जाना

80–श्री राकेश बाबू–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में फिरोजाबाद से जलेसर के लिये मार्ग पर प्राइवेट बसों के स्वामियों द्वारा टैम्पू व आटो रिक्शा का संचालन नहीं होने दिया जाता है जिससे जनता को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां,तो क्या सरकार उपरोक्त मार्ग पर आटो रिक्शा व टैम्पू के संचालन हेतु कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यासर शाह–

जनपद फिरोजाबाद में फिरोजाबाद से जलेसर मार्ग की दूरी 35 कि0मी0 है, जिस पर 11 स्थायी परमिट सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, आगरा द्वारा स्वीकृत किये गये हैं तथा मार्ग पर परमिट से आच्छादित बसों का निरन्तर संचालन होता है। इसके अतिरिक्त फिरोजाबाद केन्द्र से 16 कि0मी0 की परिधि हेतु सी0एन0जी0 आटो रिक्शा के कान्ट्रेक्ट कैरिज के रूप में 1060 परमिट जारी किये गये हैं। मार्ग पर जन सामान्य को आवागमन में कोई असुविधा होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

मार्ग पर पर्याप्त यातायात का साधन उपलब्ध है।

सेन्ट्रल कारागार वाराणसी में निरुद्ध श्री मैनुद्दीन पुत्र श्री सगीर अहमद को छोड़ने विषयक पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

81–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेन्ट्रल कारागार वाराणसी में निरुद्ध श्री मैनुद्दीन पुत्र श्री सगीर अहमद को छोड़ने विषयक जिला प्रोवेशन अधिकारी, आजमगढ़ का पत्र सं0–1676–77, दि0 28 अगस्त, 2015 महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक कार्रवाई न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया–

जी हां। केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध बन्दी मैनुद्दीन पुत्र श्री सगीर का फार्म–ए के आधार पर समय पूर्व रिहाई का प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ के पत्र संख्या–1676–77, दिनांक 28–08–2015 कारागार मुख्यालय में दिनांक 07–09–2015 को प्राप्त हुआ।

जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव के साथ सिद्धदोष बन्दी मैनुद्दीन के सहअभियुक्तों का विवरण, अद्यतन जेल रिपोर्ट, मा0 उच्चतम न्यायालय व मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के क्रि0मि0 रिट याचिका संख्या–48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 23–07–2015 के प्रस्तर–1 से 4 में उल्लिखित शर्तों से आच्छादित होने अथवा न होने के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध न होने के कारण, कारागार मुख्यालय के पत्र सं0–50270/प्रो0–3/2015, दिनांक 29–12–2015 द्वारा वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी से मांगी गयी थी, जो उनके पत्र संख्या–02/ए0आर0–2, दिनांक 03–01–2016 द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। बन्दी की फार्म–ए के आधार पर समय पूर्व रिहाई के प्रस्ताव को प्रोबेशन बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रचलित है।

प्रदेश में चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन में पथकर वसूले जाने की स्पष्ट नीति का निर्धारण किया जाना

82–श्री सुदेश शर्मा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन में पथकर (रोड टैक्स) किस आधार पर निर्धारित किया जाता है ? क्या यह सही है कि करों की धनराशि पर भी पथकर वसूला जाता है ? क्या सरकार इस हेतु कोई स्पष्ट नीति निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यासर शाह–

चार पहिया वाहनों के अन्तर्गत गैर परिवहन वाहन (निजी वाहन) एवं परिवहन वाहन (व्यवसायिक वाहन) दोनों श्रेणी के वाहन आते हैं, जिसके कर निर्धारण का आधार निम्नवत् है :–

(क) गैर परिवहन वाहन के अन्तर्गत आने वाले वाहनों का कर निर्धारण वाहन के मूल्य एवं उनके वातानुकूलित होने/न होने के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(ख) परिवहन वाहन के अन्तर्गत आने वाले यात्री वाहनों के कर का निर्धारण वाहन की सीट क्षमता प्रत्येक सीट के आधार पर किया जाता है तथा

माल वाहनों के कर का निर्धारण प्रत्येक मीट्रिक टन भार माल सहित के लिये या आंशिक भाग के लिये, के आधार पर किया जाता है।

कर की गणना गैर परिवहन वाहन के उस मूल्य पर की जाती है, जिसका भुगतान क्रेता द्वारा वाहन के विक्रेता/डीलर को किया जाता है, जिसमें वैट की धनराशि भी सम्मिलित है।

चूंकि कर निर्धारण की स्पष्ट नीति पहले से ही विद्यमान है। अतः किसी अन्य नीति निर्धारण की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

83–श्री सुदेश शर्मा–

ख्एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त,

जनपद चित्रकूट की तहसील राजापुर के ग्राम नांदिन कुर्मियान में सफाई कर्मी के न आने से व्याप्त गन्दगी की समस्या

84–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट की तहसील राजापुर के ग्राम नांदिन कुर्मियान में सफाई कर्मी के न आने से गांव में भीषण गन्दगी व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या का निदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट की तहसील राजापुर के ग्राम नांदिन कुर्मियान में दो सफाई कर्मी की नियमित तैनाती है। तात्कालिक रूप से सात अतिरिक्त सफाई कर्मियों को निकटवर्ती ग्रामों से सम्बद्ध करके ग्राम नांदिन कुर्मियान में साफ–सफाई का कार्य किया गया है। ग्राम में गन्दगी व्याप्त नहीं है।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल को अनुपात के आधार पर आवंटित किया जाना

85–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की आवश्यकता कहीं अधिक है जबकि मिट्टी के तेल का आवंटन दोनों क्षेत्रों में समान अनुपात में किया जाता है ? यदि हां, तो क्या

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा मिट्टी के तेल का आवंटन अधिक किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर–

जी नहीं।

प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुरूप ही राशन कार्ड विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जाते हैं तथा मिट्टी तेल का आवंटन भी इन्हीं प्रचलित राशन कार्डों की संख्या के अनुरूप किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर सल्टौआ गोपालपुर में बरगदवा, बहादुरपुर के बगियापार तथा लक्ष्मणपुर में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जाना

86–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रूधौली, जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर सल्टौआ गोपालपुर में क्रमशः बरगदवा, बहादुरपुर के बगियापार तथा लक्ष्मणपुर में दिये गये धन से वर्ष 2014–15 में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाना था ? यदि हां, तो क्या सरकार अवगत करायेगी कि धन मिलने के बाद भी सामुदायिक शौचालयों का निर्माण अब तक न कराने का क्या कारण है ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

ग्राम पंचायत–बरगदवा, विकास खण्ड–रामनगर में सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल पर विवाद होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु दी गयी धनराशि वापस कर दिया गया है। विकास खण्ड–सल्टौआ गोपालपुर के ग्राम पंचायत–लक्ष्मणपुर में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। मात्र रंगाई–पुताई अवशेष है। विकास खण्ड–बहादुरपुर के ग्राम पंचायत–बगियापार में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य लिंटर स्तर तक पूर्ण कर लिया गया है।

जनपद जौनपुर के जिला कारागार में कैदियों के लिये शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराया जाना

87–श्री नदीम जावेद–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के जिला कारागार में कैदियों के लिये शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार कैदियों की संख्या के आधार पर जौनपुर जिला कारागार में मिनरल वाटर प्लान्ट लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया–

जिला कारागार, जौनपुर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है।

प्रदेश की 39 कारागारों में आर0ओ0 लगाये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसमें जिला कारागार, जौनपुर भी शामिल है।

जिला कारागार, जौनपुर में आर0ओ0 प्लान्ट की स्थापना का कार्य दिनांक 31–03–2016 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विभिन्न कारागारों में 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध एवं आशक्त बन्दियों को चिन्हित कर समय पूर्व रिहाई किया जाना

88–श्री दीपक पटेल–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे के प्रदेश के विभिन्न कारागारों में 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध एवं आशक्त कितने बन्दी हैं जो वृद्धावस्था एवं गम्भीर बीमारी के कारण सरकार व कारागारों पर बोझ साबित हो रहे हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी बन्दियों को चिन्हित कर इनकी समयपूर्व रिहाई पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया–

प्रदेश के विभिन्न कारागारों में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व अशक्त बन्दियों की कुल संख्या–322 है जिसमें आजीवन कारावास, सीमित अवधि के दण्ड से दण्डित तथा विचाराधीन बन्दियों की क्रमशः संख्या–262, 15 तथा 45 है। अधिकांश बन्दी ब्लड प्रेशर, शुगर, नेत्र रोग अथवा अन्य गम्भीर बीमारियों से ग्रसित है। जिनका उपचार कारागार चिकित्सालय अथवा विशिष्ट चिकित्सालयों में आवश्यकतानुसार किया जाता है।

ऐसे बन्दियों की समयपूर्व रिहाई के प्रकरण यू0पी0 प्रिजनेर्स रिलीज आन प्रोबेशन ऐक्ट–1938 की धारा–2 के अन्तर्गत लाइसेन्स/फार्म–ए, दण्ड प्रक्रिया संहिता–1973 की धारा–432 सपठित उ0 प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर–198ए के अन्तर्गत नामिनल रोल, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–432 सपठित उ0 प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर–195, 196 तथा 197 के अन्तर्गत इनफरमिटी रोल एवं संविधान के अनुच्छेद–161 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अधीन किसी भी अवधि की सजा काट चुके सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई हेतु गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। सीमित अवधि के दण्ड से दण्डित बन्दियों की समयपूर्व रिहाई उक्त प्रोबेशन ऐक्ट के अन्तर्गत लाइसेन्स/फार्म–ए पर की जाती है। यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। विचाराधीन बन्दियों की समयपूर्व रिहाई का प्राविधान नहीं है। मा0 न्यायालयों द्वारा रिहा किये जाने के आदेश प्राप्त होने पर, उन्हें कारागार से रिहा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद नगर में राजकीय परिवहन निगम के बस स्टेशन का परिसर की मरम्मत किया जाना

89–श्री मनीष असीजा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद नगर में राजकीय परिवहन निगम के बस स्टेशन का परिसर क्षतिग्रस्त होने के कारण यात्रियों को

कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यासर शाह–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद नगर में राजकीय परिवहन निगम के बस स्टेशन परिसर की मरम्मत दिनांक 08–10–2014 को करा दी गयी है।

भारत सरकार द्वारा सहायतित इस्टेबिलिस्मेन्ट आफ न्यू मेडिकल कालेजस् अटैच्ड विद इक्साईटिंग डिस्ट्रिक/रिफराय हास्पिटल हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

90–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा सहायतित इस्टेबिलिस्मेन्ट आफ न्यू मेडिकल कालेजस् अटैच्ड विद इक्साईटिंग डिस्ट्रिक/रिफराय हास्पिटल हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय उप जिलाधिकारी, सदर, फैजाबाद के पत्र संख्या–मिया/र0का0/मेडिकल कालेज भूमि चयन/2015, दिनांक 20 जून, 2015 द्वारा ग्राम गंजा परगना हवेली, अवध, तहसील सदर, जिला फैजाबाद स्थित माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 के स्वामित्व की संलग्न सूची के भू–खण्ड कुल 52 किता क्षेत्रफल 7.178 हेक्टेयर अर्थात् 17.57 एकड़ भूमि का चयन मेडिकल कालेज के निर्माण का प्रस्ताव जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। उप जिलाधिकारी, सदर फैजाबाद के पत्र दिनांक 20–06–2015 के क्रम में जिलाधिकारी, फैजाबाद के पत्र संख्या–2008/भू0व्य0/मेडिकल कालेज स्थापना/2015, दिनांक 24–06–2015 द्वारा प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रश्नगत भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। माध्यमिमक शिक्षा विभाग की भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने हेतु कार्रवाई गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

91–श्री रोशन लाल वर्मा–

ख्उसरे बुधवार के अता0प्र0सं0–193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

92–श्री रोशन लाल वर्मा–

ख्उसरे बुधवार के अता0प्र0सं0–194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद फिरोजाबाद में लाखों की संख्या में कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रमिकों के कार्य कौशल को बढ़ाने हेतु सरकारी कार्यक्रमों को चलाया जाना

93—श्री मनीष असीजा—

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कांच की चूड़ी एवं अन्य कांच उत्पादों के उत्पादन करने वाले औद्योगिक नगर फिरोजाबाद में लाखों की संख्या में कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रमिकों के कार्य कौशल विकास एवं उन्नयन के लिये कोई कार्यक्रम चला रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल—

प्रदेश सरकार द्वारा दिसम्बर, 2014 में कौशल विकास योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत कांच विनिर्माण एवं सम्बन्धित अन्य क्षेत्रों में कौशल विकास एवं उन्नयन हेतु सी0डी0जी0आई0 (सेन्टर फार डेवलपमेन्ट आफ ग्लास इण्डस्ट्रीज) को जी0टी0पी0 (गवर्नमेन्ट ट्रेनिंग प्रोवाइडर) बनाते हुए एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये गये हैं तथा सी0डी0जी0आई0 द्वारा कांच निर्माण क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है।

हस्त शिल्पियों के प्रशिक्षण हेतु कौशल उन्नयन योजना एवं निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना संचालित है। इसके अतिरिक्त विपणन में सहायता हेतु हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना भी संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, छेरत के स्वीकृत स्टाफ के पदों के सापेक्ष तैनाती

94—श्री दलवीर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, छेरत के स्टाफ में स्वीकृत पदों के सापेक्ष तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जनपद अलीगढ़ के राजकीय होम्यापैथिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, छेरत अभी निर्माणाधीन है। अतः अभी तैनाती का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला अलीगढ़ के कारागार में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कारागार में मानक के अनुरूप तैनाती कराया जाना

95—श्री दलवीर सिंह—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार अलीगढ़ में स्वीकृत पदों के सापेक्ष स्टाफ की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कारागार में मानक के अनुरूप स्टाफ की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया–

हां, जिला कारागार, अलीगढ़ में विभिन्न श्रेणी के कुल 166 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष 135 पद भरे हैं तथा 31 पद रिक्त हैं।

कारागारों में विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रचलित है। भर्ती के उपरान्त जिला कारागार, अलीगढ़ में रिक्त पदों को यथासम्भव भरे जाने की कार्रवाई की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला कारागार अलीगढ़ में हाथरस जिला के भी बन्दी होने के कारण जेल में क्षमता से अधिक बन्दी होने के कारण जनपद हाथरस में कारागार का निर्माण कराया जाना

96–श्री दलवीर सिंह–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार अलीगढ़ में हाथरस जिला के भी बन्दी होने के कारण जेल में क्षमता से अधिक बन्दी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद हाथरस के बन्दियों के लिए उनके गृह जनपद में शीघ्र कारागार का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया–

जी हां।

जी हां।

प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विचाराधीन है। अतः समय–सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला कारागार अलीगढ़ में अति विशिष्ट दर्जा प्राप्त बन्दियों के लिए अलग विशिष्ट बैरक की व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना

97–श्री दलवीर सिंह–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार अलीगढ़ में अति विशिष्ट दर्जा प्राप्त बन्दियों के लिए अलग विशिष्ट बैरक की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कारागार में विशिष्ट बैरक की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में कारागारों में विशिष्ट बैरकों के निर्माण करने की कोई व्यवस्था नहीं है, फलस्वरूप कारागारों में विशिष्ट बैरकों का निर्माण नहीं कराया जाता है।

98–श्री रामचन्द्र यादव–

ख्2सरे मंगलवार के अता0प्र0सं0–196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत डिजीटिलाइजेशन कार्य समाप्त करने की अन्तिम तिथि निर्धारित करना

99–प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2012, 2013, 2014 व 2015 प्रदेश में कुल कितने कार्ड होल्डर है एवं उनमें से कितने कार्ड का डिजीटिलाइजेशन हो चुका है ? क्या सरकार द्वारा डिजीटिलाइजेशन का कार्य समाप्त करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो कौन सी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर–

जी हां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2012 में 44765728, वर्ष 2013 में 44732801, वर्ष 2014 में 44950191 एवं वर्ष 2015 में 44955726 राशन कार्ड होल्डर है। दिनांक 20 जनवरी, 2016 तक 87.39 प्रतिशत राशन कार्डों के डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। बी0पी0एल0 तथा अन्त्योदय श्रेणी के राशन कार्डों का डिजिटाइजेशन का कार्य शत–प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

लाभार्थियों के डाटा का डिजिटाइजेशन कराकर राशन कार्ड जारी किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है। प्रथम चरण में इसे 28 जनपदों में माह जनवरी, 2016 से लागू कर दिया गया है तथा शेष 47 जनपदों में इसे माह मार्च, 2016 से लागू किया जाना है। इसके अन्तर्गत दिनांक 20 जनवरी, 2016 तक 03.037 करोड़ लाभार्थियों के चिन्हांकन का कार्य पूर्ण कर उनके डाटा बेस का डिजिटाइजेशन कर लिया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2015–2016 के लिये धान खरीद का रखा गया लक्ष्य तथा धान की खरीद की जानकारी

100–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2015–2016 के लिये धान खरीद का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? यदि हां, तो उसके सापेक्ष दिनांक 7–12–2015 तक कितनी धान की खरीद की गयी ?

श्री कमाल अख्तर–

जी हां।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2015–16 हेतु जारी धान क्रय नीति में धान खरीद हेतु नामित एजेन्सी, भारतीय खाद्य निगम का लक्ष्य 12 लाख मी0 टन एवं अन्य राज्य क्रय एजेन्सीज का लक्ष्य 30 लाख मी0 टन कुल 42 लाख मी0 टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2015–16 में धान की खरीद में नामित क्रय एजेन्सियों द्वारा 07–12–2015 तक कुल 6,85,692.64 मी0 टन धान की खरीद की गयी है, जिसमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा 26,699.69 मी0 टन एवं अन्य खरीद एजेन्सियों द्वारा 6,58,992.95 मी0 टन धान खरीद की गयी है।

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत आने वाले कतिपय ग्रामों में जिला पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों का टेण्डर किस समाचार–पत्र में प्रकाशित किया गया की जानकारी

101–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत आने वाले गांव गांगरौल, शेरपुर मजरा गांगरौल, वैर अजय नगर सैदमपुर, कुटवाया तथा अनायतपुर गांवों में जिला पंचायत बुलन्दशहर द्वारा अगस्त, 2015 के उपरान्त दिनांक 7–12–2015 तक कोई निर्माण कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो उनके टेण्डर जिला पंचायत द्वारा कब स्वीकृत किये गये तथा उनका प्रकाशन कब तथा किस समाचार पत्र में किया गया था ?

श्री अखिलेश यादव–

ग्राम गांगरौल, शेरपुर, वैर, अजय नगर एवं कुटवाया में निर्माण कार्य कराया गया है। शेष ग्राम सैदमपुर एवं अनायतपुर में प्रश्नगत अवधि में कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया है।

जिला पंचायत द्वारा उक्त ग्रामों के टेण्डर दिनांक 31–08–2015 को स्वीकृत किये गये थे। टेण्डरों का प्रकाशन दिनांक 23–08–2015 तथा 24–08–2015 को दैनिक समाचार–पत्र हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में किया गया था।

उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था में कार्यरत कर्मियों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ा कर 60 वर्ष किया जाना

102–श्री मनीष असीजा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों एवं निगमों में कार्यरत कर्मियों की भांति उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था में कार्यरत कर्मियों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ा कर 60 वर्ष किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर–

उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था में कार्यरत कर्मियों की अधिवर्षता आयु शासनादेश संख्या–72/201/84–डे0ई0–14–नि0–09/2012, दिनांक 25 फरवरी, 2014 द्वारा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ से जनपद इलाहाबाद मुख्यालय को जोड़ने वाले मार्ग पर रोडवेज बस सेवा का संचालन कराया जाना

103–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ मुख्यालय से विकास भवन कटरामेदनीगंज मान्धाता, कटरा, गुलाब सिंह, कल्यानपुर, सोरांव होते हुये जनपद इलाहाबाद मुख्यालय को जोड़ने वाले मार्ग पर कोई रोडवेज बस सेवा संचालित नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग पर रोडवेज बस सेवा संचालित कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यासर शाह–

प्रश्नांकित मार्ग पर दिनांक 05–02–2016 से सेवा प्रारम्भ करा दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में आयुर्वेदिक फारमेसिस्ट के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई किया जाना

104–प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयुर्वेदिक फारमेसिस्ट के रिक्त पदों की भर्ती हेतु आधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेज दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। आयुर्वेद निदेशालय के पत्र संख्या–1468/18ए–90/99/31/अधि0, दिनांक 03–02–2016 द्वारा अधियाचन सचिव, उ0 प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उ0 प्र0 लखनऊ को भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

105–डा0 आर0 के0 वर्मा–

ख्उसरे बुधवार के अता0प्र0सं0–195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद बलिया के क्षेत्र बैरिया में आयुर्वेदिक विभाग के चिकित्सालयों में डाक्टरों/स्टाफ का मानक के अनुरूप तैनाती किया जाना

106–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बैरिया, जनपद बलिया में आयुर्वेदिक विभाग के चिकित्सालयों में डाक्टर एवं स्टाफ की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पतालों में डाक्टरों एवं स्टाफ की मानकानुसार तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

विधान सभा क्षेत्र बैरिया, जनपद बलिया में 08 चिकित्सालय संचालित है, उक्त चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारी के अतिरिक्त शेष स्टाफ मानक अनुसार हैं।

रिक्त पदों को भरा जाना सतत् प्रक्रिया है तथा इन्हें भरे जाने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दिनांक 6 सितम्बर, 2015 को ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के चुनाव के स्थगित करने के कारणों की जानकारी

107–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 6 सितम्बर, 2015 को ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के चुनाव स्थगित कर दिये गये थे ? यदि हां, तो ऐसा किस कारण से किया गया ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पंचायत चुनाव में अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य करने की सरकार की नीति

108–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पंचायत चुनाव में अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को अनिवार्य करने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

पंचायतों से संबंधित भारतीय संविधान के भाग–9 एवं उ0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम में इसका कोई प्राविधान नहीं है।

जिला कारागार कानपुर में कैदियों की रखने की व्यवस्था के सापेक्ष अतिरिक्त कैदियों को बन्द करने की स्थिति को देखते हुए अन्य कारागार में स्थानान्तरित करने विषयक जानकारी

109–श्री सतीश महाना–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार कानपुर में नियमानुसार कितने कैदियों को रखने की व्यवस्था है एवं इसके सापेक्ष वर्तमान में कितने कैदी बंद हैं ? क्या उक्त कारागार को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक स्थानान्तरित कर दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया–

जिला कारागार, कानपुर नगर की बंदी क्षमता 1245 है, जिसके सापेक्ष दिनांक 02–01–2016 की स्थिति के अनुसार 2286 बंदी निरुद्ध थे।

जी हां।

नवीन जिला कारागार, कानपुर नगर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त पुरानी कारागार स्थानान्तरित कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर मेडिकल कालेज में एम0सी0आई0 के मानक के अनुसार स्वीकृत पदों पर नियुक्त कार्मिकों के विवरण की जानकारी

110–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मेडिकल कालेज में एम0सी0आई0 के मानक के अनुसार स्वीकृत चिकित्सक, स्टाफ नर्स, वार्ड ब्वाय और वार्ड स्वीपर के पदों के सापेक्ष नियमित नियुक्ति संविदा तथा प्रति नियुक्ति पर कितने कर्मी कार्यरत हैं ? क्या सरकार द्वारा रिक्त पदों की कमी को दूर करने के लिए कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री अखिलेश यादव–

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में एम0सी0आई0 मानक के अनुसार स्वीकृत पद एवं उन पर नियमित, संविदा तथा प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	चिकित्सा शिक्षक	123	नियमित 61	15
			सेवा स्थानान्तरण 10	
			संविदा 37	
2	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक	1	––	1
	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	1	––	1
	चिकित्सा अधीक्षक	2	2	––
	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	4	4	––
	रक्त कोष अधिकारी	1	––	1
3	स्टाफ नर्स	84	84	––
4	वार्ड ब्वाय	77	29	48
5	स्वीपर	111	69	42

गोरखपुर सहित प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कालेजों में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिये शैक्षिक श्रेणी के प्रवक्ता एवं आचार्य के पदों को लोक सेवा

आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त शैक्षणिक संवर्ग के पदों को संविदा पर भरे जाने एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को आउटसोर्सिंग से भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है। तृतीय श्रेणी/तकनीकी श्रेणी के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु उ0 प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयन की कार्रवाई की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी के फार्मासिस्ट एवं नर्सिंग पद की प्रवेश परीक्षा में हेराफेरी तथा भ्रष्टाचार संबंधी प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने विषयक पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

111—श्री जय प्रकाश निषाद

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 नेता, विरोधी दल, विधान सभा, उ0प्र0 का पत्र संख्या—2016/ ने0वि0द0/2013, दिनांक 22—11—2013 जो आयुर्वेदिक तथा यूनानी के फार्मासिस्ट एवं नर्सिंग पद की प्रवेश परीक्षा में हेराफेरी तथा भ्रष्टाचार संबंधी प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने विषयक है, मुख्य सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जी हां।

प्रश्नगत शिकायतों की प्रारम्भिक जांच निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन) उ0 प्र0, लखनऊ से करायी गयी। जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त गुण—दोष के आधार पर कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में नगला भाऊ स्थित औद्योगिक आस्थान पर खाली/निष्प्रयोजित भूमि पर मजदूरों की सुविधा हेतु रैन बसेरा, सार्वजनिक शौचालय तथा ठण्डे पानी की मशीन को लगाया जाना

112—श्री मनीष असीजा—

क्या सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में नगला भाऊ स्थित औद्योगिक आस्थान पर खाली/निष्प्रयोजित पड़ी भूमि पर गरीब/ मेहनतकश मजदूरों की सुविधा हेतु रैन बसेरा, सार्वजनिक शौचालय एवं ठंडे पानी की मशीन लगाने का कार्य सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल—

जी नहीं।

औद्योगिक आस्थानों की स्थापना एवं विकास, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये किया गया है। औद्योगिक आस्थान की भूमि का प्रयोग गैर औद्योगिक प्रयोजन हेतु नहीं किया जाता है। औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मिकों और मजदूरों को यह सुविधा कार्यालय समय (वर्किंग आवर्स) में सम्बन्धित इकाइयों द्वारा प्रदान की जाती है।

जनपद फिरोजाबाद नगला भाऊ स्थित औद्योगिक आस्थान की सड़कों की मरम्मत तथा ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

113–श्री मनीष असीजा–

क्या सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नगला भाऊ स्थित औद्योगिक आस्थान, जिसमें वर्तमान में 52 बड़ी इकाइयां संचालित हैं, की सड़कें बहुत क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं एवं ड्रेनेज सिस्टम भी खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त के निर्माण संबंधी एस्टीमेट जिसकी कुल लागत रु0 206.036 लाख है, का प्रस्ताव एवं प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या–ख–5 नं0–560385, दिनांक 29–10–2014 अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नितिन अग्रवाल–

जी हां।

जी हां।

अवस्थापना विकास कोष प्रबन्धन समिति की द्वितीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मरम्मत आदि के लिये इस कोष से धनराशि दिया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

यू0पी0 नेडा द्वारा सप्लाई की जा रही सोलर लाइटों की कीमत अधिक होने से कीमतों को कम कराने सम्बन्धी प्रकरण

114–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 नेडा द्वारा सप्लाई की जा रही सोलर लाइटें, जिसमें 12 वाट की एल0ई0डी0 ट्यूब 75 वाट का पैनल तथा 75 एम्पीयर की बैटरी (5 साल की गारण्टी सहित) 21,140/– रु0 में सप्लाई की जा रही हैं, जबकि अच्छी से अच्छी कम्पनियों की सोलर लाइटें इसी क्षमता का पैनल व बैटरी सहित पांच साल की गारण्टी के साथ लगभग 15,000/– रु0 में बाजार में मिल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार नेडा द्वारा सप्लाई की जा रही सोलर लाइटों की कीमतों को कम कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा अनुबन्ध में निर्धारित मानकों के अनुसार सिविल कार्य (पोल की गाउटिंग) कराया जा रहा है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम0एन0आर0ई0) भारत सरकार द्वारा संयंत्र हेतु निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय मानकों एवं राष्ट्रीय बी0आई0एस0 मानकों की निर्माता फर्मों द्वारा ई–निविदा में प्रतिभाग किया जाता है। संयंत्र एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार की निर्धारित टेस्ट लैब से टेस्टेड एवं प्रमाणित होते हैं। इन संयंत्रों की आपूर्ति व स्थापना हेतु ई–निविदा के माध्यम से फर्मों का चयन यू0पी0 नेडा द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। इन सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों में 12 वाट की एल0ई0डी0 ल्यूमिनरी तथा 12 वोल्ट 75 एम्पीयर घण्टा की बैटरी एवं पोल, बैटरी बाक्स, अन्य हार्डवेयर जिन पर 05 वर्ष की वारण्टी होती है।

वर्तमान में ई–निविदा के माध्यम से प्राप्त प्रतिस्पर्धात्मक न्यूनतम दर रु0 21,140/– (आपूर्ति, स्थापना एवं कमिशनिंग तथा 05 वर्ष की कम्प्रीहेन्सिव वारण्टी के

साथ) में संयंत्र प्रदेश के समस्त जनपदों के दुरस्थ ग्रामों एवं मजरों में चिन्हित स्थलों पर स्थापना का कार्य कर उन्हें एक वर्ष हेतु अनुबन्धित किया जाता है।

प्रश्नगत समान क्षमता की सोलर स्ट्रीट लाइट की दर लगभग रु0 15,000/– बाजार में उपलब्ध होने की सूचना संज्ञान में नहीं है।

जी नहीं।

यू0पी0 नेडा द्वारा प्रत्येक वर्ष सोलर स्ट्रीट लाइटों की दरों के निर्धारण हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती है एवं तद्नुसार प्राप्त प्रतिस्पर्धात्मक न्यूनतम दरों पर आपूर्तिकर्ता फर्मों को अनुबन्धित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी मेडिकल कालेजों में गम्भीर रोगों के इलाज हेतु आने वाले मरीजों के अटेंडेंटों को रहने के लिये आवासीय परिसर बनाये जाने की मांग

115–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कालेजों में गम्भीर रोगों के इलाज के लिये आने वाले मरीजों के अटेंडेंट/परिजनों के रहने एवं दैनिक क्रियाओं के लिये क्या सरकार आवासीय परिसरों के निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वर्तमान में राज्य के मेडिकल कालेजों सम्बद्ध चिकित्सालयों में मरीजों के अटेन्डेन्ट/परिजनों के रहने एवं दैनिक क्रियाओं के लिये रैन बसेरा की व्यवस्था है। अतः मेडिकल कालेजों के परिसर में प्रश्नगत निर्माण विचाराधीन नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया में आयुर्वेद विभाग की संचालित डिस्पेंसरियों में रिक्त पदों पर चिकित्साधिकारी व फार्मासिस्ट तैनात किया जाना

116–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में आयुर्वेद विभाग की कितनी डिस्पेंसरियां वर्तमान समय में संचालित हैं एवं उनमें से कितनी डिस्पेंसरियां ऐसी हैं जहां पर न तो चिकित्साधिकारी न ही फार्मासिस्ट तैनात हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को यथा शीघ्र भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद बलिया में वर्तमान में 64 डिस्पेंसरियां संचालित हैं, जिसमें से मात्र राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय करमानपुर, बलिया में चिकित्साधिकारी एवं फार्मासिस्ट का पद रिक्त है।

रिक्त पदों को भरा जाना सतत् प्रक्रिया है तथा इन्हें भरे जाने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में मदर डेयरी के दूध में मिलावट के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के मुख्य बिन्दु तथा कृत कार्रवाई की जानकारी

117—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 2015 में गाजियाबाद में मदर डेयरी के दूध में मिलावट के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के मुख्य बिन्दु क्या हैं तथा मदर डेरी के विरुद्ध क्या कोई कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इकबाल महमूद—

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद में मदर डेयरी के 02 नमूने किस्म टोन्ड मिल्क तथा पश्च्युराइज्ड फुल क्रीम मिल्क संग्रहीत किये गये। नमूने की जांच में डिटर्जेंट उपस्थित पाये जाने के कारण उन्हें असुरक्षित घोषित किया गया। श्री परमेश कुमार पुत्र श्री रणवीर सिंह, निवासी मोहल्ला विजयनगर, मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजीटेबिल प्रा0लि0, पिलखुआ, गाजियाबाद (निर्माता/पैकर) तथा मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजीटेबिल प्रा0लि0, पटपडगंज, नई दिल्ली (मार्केटेड बाई) के विरुद्ध मा0 अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद के न्यायालय में दिनांक 10—12—2015 को परिवाद दायर कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में आयुर्वेद डिस्पेंसरियों को समुचित मात्रा में दवायें उपलब्ध कराया जाना

118—श्री जय प्रकाश अंचल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में कितनी आयुर्वेद डिस्पेंसरियां वर्तमान में दवा के अभाव में बन्द पड़ी हैं ? क्या सरकार उन डिस्पेंसरियों पर समुचित मात्रा में दवायें उपलब्ध कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

जनपद बलिया में कोई भी आयुर्वेद चिकित्सालय दवा के अभाव में बन्द नहीं है।

हां। औषधि आपूर्ति प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

कैसरबाग बस स्टैण्ड अन्यत्र स्थानान्तरित करके वहां ई–रिक्शा, आटो एवं टैम्पो स्टैण्ड पार्किंग बनाये जाने की मांग

119–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में कैसरबाग बस स्टैण्ड से परिवहन निगम की बसों के संचालन से पूरे शहर में जबरदस्त जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ? यदि हां, तो कैसरबाग बस स्टैण्ड को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के बाद वहां ई–रिक्शा, आटो एवं टैम्पो स्टैण्ड तथा पार्किंग बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यासर शाह–

जी नहीं।

परिवहन निगम की बसों से जाम नहीं लगता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

कैसरबाग बस स्टेशन यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से उपयुक्त स्थान है। फलस्वरूप यात्रियों को उक्त स्थान पर पहुंचना अत्यन्त सुविधाजनक है जिसके दृष्टिगत कैसरबाग बस स्टेशन को शहर से बाहर स्थापित करना जनहित में नहीं है।

जनपद शामली सहित सम्पूर्ण प्रदेश में जिला पंचायत के नाम पर प्रमुख मार्गों पर किसानों, व्यापारियों से की जा रही वसूली सम्बन्धी प्रकरण

120–श्री सुरेश राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली सहित सम्पूर्ण प्रदेश में जिला पंचायत के नाम पर प्रमुख मार्गों पर किसानों, व्यापारियों से अवैध वसूली की सरकार को जानकारी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने हेतु कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

निजी क्षेत्र के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को विद्यालय आने जाने वाले वाहनों में निर्धारित संख्या से अधिक बच्चों को भरे जाने की शिकायत तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग

121—श्री मनीष असीजा—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निजी क्षेत्र के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को विद्यालय ले जाने वाले स्कूल वाहनों (आटो रिक्शा/कार/मिनी बस) में निर्धारित संख्या से अधिक बच्चों को भर कर ले जाने के चलते दुर्घटना की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरे प्रदेश में इसे रोकने के लिये विशेष अभियान चलाकर इसमें लिप्त वाहन स्वामियों एवं स्कूल संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यासर शाह—

जी हां।

निजी क्षेत्र के विद्यालयों/स्कूलों में संचालित हो रहे वाहनों में ढोये जा रहे स्कूली बच्चों के प्रति सुरक्षा, संवेदनशीलता के दृष्टिगत परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से प्रवर्तन कार्रवाई /चेकिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त समय—समय पर परिवहन विभाग द्वारा स्कूली बच्चों को लाने ले जाने के कार्य में प्रयुक्त वाहनों के प्रति प्रभावी विशेष चेकिंग की कार्रवाई की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय होमियोपैथी चिकित्सालय, हुमायूंपुर, गोरखपुर को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

122—डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर में दर्ज संख्या—10692121 दिनांक 24—9—2015, जो राजकीय होमियोपैथी चिकित्सालय, हुमायूंपुर, गोरखपुर को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के संदर्भ में था, पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव—

नये भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के तहसील खागा में यमुना नदी के गुरूवल, मजगवा, गढ़ीवा तथा संगोलीपुर घाटों पर अवैध खनन को रोका जाना

123—श्रीमती कृष्णा पासवान—

क्या भू—तत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के तहसील खागा में यमुना नदी के गुरूवल, मजगवा, गढ़ीवा तथा संगोलीपुर घाट पर फोक मशीन एवं जे0सी0बी0 द्वारा अवैध खनन किये जाने से घाटों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका औचक निरीक्षण कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

करते हुए खनन कार्य पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विगत वर्षों में खनन कार्य से घाटों का अस्तित्व समाप्त होने जैसी किसी प्रकार की कोई घटना प्रकाश में नहीं आयी है।

124–श्री फेरन लाल–

खदिनांक 09–02–2016 के अता0प्र0सं0–196 द्वारा उत्तरित,

जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्र के विकास खण्ड विचपुरी के अन्तर्गत आम रास्ते में जल भराव तथा जीर्ण–शीर्ण मार्ग को ठीक कराये जाने की मांग

125–श्री कालीचरन सुमन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के ग्राम महल, ग्राम पंचायत लखनपुर, विकास खण्ड विचपुरी के अन्तर्गत आम रास्ते पर जल भराव रहने के कारण नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रास्ते का इण्टरलाकिंग या सी0सी0 रोड निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत रास्ते पर जल भराव को सफाई कर्मियों की टीम गठित कर निकलवा दिया गया है।

होम्योपैथ, आयुर्वेद एवं यूनानी पैथी के चिकित्साधिकारियों को एलोपैथ चिकित्साधिकारी की भांति समान वेतन, विशिष्ट ए0सी0पी0 आदि न दिये जाने के कारण की जानकारी

126–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद एवं यूनानी सभी पैथी के चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति समान वेतनमान पर की जाती है ? यदि हां, तो होम्योपैथ, आयुर्वेद एवं यूनानी पैथी के चिकित्साधिकारियों को चिकित्साधिकारी एलोपैथ की भांति ही समान वेतन, विशिष्ट ए0सी0पी0 एवं एन0पी0ए0 आदि न देने का क्या कारण है ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

होम्योपैथ, आयुर्वेद एवं यूनानी पैथी के चिकित्साधिकारी, प्राइवेट प्रैक्टिस करने हेतु स्वतंत्र हैं।

जनपद कानपुर देहात की तहसील मुख्यालय डेरापुर से जिला मुख्यालय माती को जाने वाली बसों का संचालन बन्द होने से हो रही परेशानी के कारण पुनः चालू कराया जाना

127—श्री इन्द्रपाल सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात की तहसील मुख्यालय डेरापुर से जिला मुख्यालय माती (अकबरपुर) को जाने वाली बसों को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बसों को पुनः संचालित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यासर शाह—

संतोषजनक आय प्राप्त न होने के कारण दिनांक 06—11—2015 से सेवा का संचालन बन्द किया गया था।

प्रायोगिक तौर पर पुनः दिनांक 25—01—2016 से संदर्भित मार्ग पर बस सेवा का संचालन प्रारम्भ करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति कुन्तल पर अतिरिक्त बोनस दिये जाने की मांग

128—श्री दलवीर सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रु0 300/ प्रति कुन्तल बोनस अतिरिक्त दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर—

जी नहीं।

प्रदेश के किसानों को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अतिरिक्त बोनस दिये जाने की राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है।

धान की खरीद में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो भुगतान किया जाता है उसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। धान की खरीद राज्य सरकार के बजट से नहीं की जाती है, इसलिये बजट में बोनस का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि धान की खरीद में बोनस न दिया जाय।

जनपद कानपुर देहात के कस्बा सिकन्दरा से झींझक–रसूलाबाद मार्ग पर संचालित परमिट की बसों में से जीर्ण–शीर्ण बसों का संचालन निरस्त किया जाना

129–श्री इन्द्रपाल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के कस्बा सिकन्दरा से झींझक–रसूलाबाद मार्ग पर वर्तमान वर्ष 2015 में कितनी बसों के परिमिट जारी किये गये हैं तथा उनमें से कितने परमिटों पर बसें संचालित हो रही हैं ? क्या सरकार जिन परमिटों पर जीर्ण–शीर्ण हो चुकी जो बसें संचालित नहीं हो रही हैं, के परमिट निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यासर शाह–

जी हां।

जनपद कानपुर देहात के कस्बा सिकन्दरा से बिल्हौर वाया झींझक रसूलाबाद मार्ग पर वर्ष 2015 में 05 बसों को परमिट जारी किये गये हैं तथा इन सभी 05 परमिटों पर बसें संचालित हो रही हैं। जो निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत हैं तथा उनके अस्वस्थता प्रमाण–पत्र वैध हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

सभी 05 बसें संचालित हो रही हैं और निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत हैं तथा उनके स्वस्थता प्रमाण–पत्र वैध हैं।

130–श्री नदीम जावेद–

खदिनांक 11–02–2016 के अता0प्र0सं0–147 द्वारा उत्तरित,

वाराणसी सेन्ट्रल जेल में निरुद्ध कैदियों में से जिनकी सजावधि पूर्ण हो गई को रिहा किया जाना

131–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी सेन्ट्रल कारागार, वाराणसी में कितने कैदी ऐसे बन्द हैं जिनकी सजा अवधि पूर्ण हो चुकी है किन्तु अभी तक उन्हें रिहा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कैदियों की रिहाई का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया–

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में ऐसा कोई कैदी निरुद्ध नहीं है जो निर्धारित सजा अवधि पूर्ण कर चुका हो तथा उसे कारागार से रिहा न किया गया हो।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की किसी कारागार में निरीक्षण के दौरान अथवा किसी शिकायती प्रकरण में यदि ऐसे श्रेणी का कोई कैदी निरुद्ध पाया जाता है तो इसकी विभागीय जांच कराकर सम्बन्धित कारागार के दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

जनपद बांदा के ब्लाक–महुआ के ग्राम रीगा तथा अन्य कतिपय ग्रामों में आमजन की सुविधा हेतु सोलर लाइट का लगाया जाना

132–श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के ब्लाक–महुआ के ग्राम रीगा में चन्द्रपाल के घर के सामने एवं ग्राम दतौरा, पो0–बेर्राव, तहसील–बबेरू स्थित रामेश्वर प्रसाद जगबन्धु के घरों के सामने से रोड के अन्त तक अंधेरा रहता है जिससे आमजन को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर सोलर लाइट लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पंचायती राज विभाग द्वारा सोलर लाइट लगवाने की कोई योजना नहीं है।

जनपद बांदा ग्राम पंचायत दतौरा पो0 बेर्राव तहसील बबेरू स्थित रामेश्वर प्रसाद जगबन्धु के घरों के सामने से रोड तक विद्युत संयोजन के 04 खम्भे लगे हैं। उक्त मार्ग में प्रकाश व्यवस्था हेतु सभी खम्भों में बल्ब लगे हुए हैं।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में ग्राम प्रधान चुनाव से मतदान कराकर लौट रहे सुरेन्द्र प्रताप त्यागी की सड़क दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के कारण आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना

133–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में ग्राम प्रधान के चुनाव दि0 28–11–2015 का मतदान कराकर लौट रहे पोलिंग पार्टी सं0–149 सुरेन्द्र प्रताप त्यागी पुत्र श्री राम मूरत राम (प्रेरक प्राथमिक विद्यालय कुढ़कला वि0ख0–नियामताबाद चन्दौली) की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी, के सम्बन्ध में प्रार्थी के परिवार के साथ उदासीनता एवं संवेदनहीनता के सम्बन्ध में प्रार्थी के पिता के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16–12–2015 सं0–ख

5 एन0 321925 जिलाधिकारी, जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

श्री सुरेन्द्र प्रताप त्यागी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली चन्दौली पर अपराध संख्या–0446 दिनांक 29–11–2015 के अन्तर्गत पंजीकृत कराया गया है तथा श्री त्यागी का पोस्टमार्टम पं0 कमला पति त्रिपाठी जिला संयुक्त चिकित्सालय, चन्दौली में कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण मोटर दुर्घटना से सिर तथा शरीर के अन्य अंगों में भयंकर चोट लगना बताया गया है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), चन्दौली की संस्तुति के आधार पर स्व0 श्री सुरेन्द्र प्रताप त्यागी के आश्रित को राज्य निर्वाचन आयोग, उ0 प्र0 के पत्र दिनांक 27–01–2016 द्वारा रुपया 10,00,000.00 (दस लाख रुपये मात्र) की अनुग्रह राशि का आवंटन कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

गेहूं के समर्थन मूल्य पर प्रति कुन्तल 300/– रुपये बोनस दिये जाने की सरकार से अपेक्षा

134–श्री दलवीर सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2015–16 के लिये गेहूं के समर्थन मूल्य पर प्रति कुन्तल 300 रु0 बोनस दिये जाने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमाल अख्तर–

जी नहीं।

राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को गेहूं की फसल पर बोनस देने पर विचार नहीं कर रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

गेहूं की खरीद में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो भुगतान किया जाता है, उसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। गेहूं की खरीद राज्य सरकार के बजट से नहीं की जाती है। इसलिये बजट से बोनस का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि गेहूं की खरीद में बोनस न दिया जाय।

जनपद बुलन्दशहर में अनूपशहर वि0स0क्षे0 के ग्राम औरंगपुर मोहन उर्फ (गोडया) ब्लाक लखावटी में शिवाली भिरौली सम्पर्क मार्ग की मरम्मत

135–श्री गजेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में अनूपशहर वि0स0क्षे0 के ग्राम औरंगपुर मोहन उर्फ (गोडया) ब्लाक लखावटी जो कि शिवाली भिरौली सम्पर्क मार्ग पर जुड़ता है काफी जर्जर है ? यदि हां, तो उसको बनवाये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत का प्रस्ताव जिला पंचायत बोर्ड की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जी0टी0 रोड, महाबलपुर से जल निगम पानी की टंकी तक क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराया जाना

136–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जी0टी0 रोड, महाबलपुर से जल निगम पानी की टंकी तक का मार्ग सम्पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे जनता को आवागमन में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत कार्य ग्राम पंचायत की कार्य योजना (वर्ष 2015–16) में सम्मिलित नहीं है।

137–श्री दलवीर सिंह–

खदिनांक 11–02–2016 को अता0 प्र0सं0–57 द्वारा उत्तरित,

(वेल में आए हुए माननीय सदस्यगण अपने–अपने आसन पर चले गए)

[समय 12.17, वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक सहित विवरण व्यवस्था की सूचना

श्री अध्यक्ष–

आय–व्ययक वितरण के सम्बन्ध में सूचना। दिनांक 12 फरवरी, 2016, कुछ क्षणों बाद वित्तीय वर्ष 2016–2017 का आय–व्ययक प्रस्तुत होगा। माननीय सदस्यों को वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किये जाने हेतु की गई व्यवस्था इस प्रकार हैः–

'हां' सभाकक्ष में समस्त महिला सदस्य तथा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपरु, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात एवं कानपुर नगर जिलों के समस्त सदस्यगण यहां की लॉबी से अपना साहित्य लेंगे और 'नहीं' सभाकक्ष में नाम–निर्देशित सदस्य एवं शेष अन्य जिलों के समस्त माननीय सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करेंगे।

ख्समय 12.20, वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण

माननीय मुख्य मंत्री जी आप 2016–2017 का आय–व्ययक बजट प्रस्तुत करें।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आज के त्यौहार बसंत पंचमी की बधाई देना चाहता हूं। पूरे सदन में सभी माननीय सदस्यों को हमारी तरफ से बधाई और पूरे प्रदेशवासियों और देशवासियों को। दादा इधर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगता है सरस्वती पूजा में चले गए होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2016–2017 का बजट इस संकल्प के साथ सम्मानित सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि 'जनता के लिए जिसके मन में प्यार नहीं है, जनतंत्र में वह कुर्सी का हकदार नहीं है।' मान्यवर, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता के अपार स्नेह और आशीर्वाद से मुझे इस ऐतिहासिक और गरिमामय सदन में लगातार पांचवी बार बजट पेश करने का मौका मिला है। चुनाव के बाद शुरुआत के सालों में कोशिश थी कि विधान सभा के चुनाव के समय हमने जनता को जो वायदे किए थे उनको पूरा किया जाये और आप सबके सहयोग से हमने अधिकांश वायदों को पूरा भी किया है। आज मुझे इस सदन को बताते हुए संतोष है कि तमाम प्रशासनिक और वित्तीय अड़चनों के बावजूद हमने इस बजट में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों को मानदेय दिए जाने हेतु व्यवस्था की है।

अध्यक्ष महोदय, इसीलिये हमने हमेशा सदन में कहा है कि हम समाजवादियों की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं रहता है। कई बार हमें अपने वायदों को पूरा करने में कठिनाइयां आयीं और परिस्थितियां हमारे अनुमान को झटका दे गयी पर उससे हमारी हिम्मत में और उफान आया।

''जबसे पतवारों ने मेरी नाव को धोखा दिया,
मैं भंवर में तैरने का हौसला रखने लगा।''

हमारी सरकार ने अपने चुनावी वायदों को पूरा करने के साथ–साथ नये इरादों के साथ तरक्की का शुभारम्भ किया है और नयी–नयी दिशाओं में काम शुरू किया है ताकि प्रदेश की जनता खुशहाल हो सके। इसी दिशा में हमारी सरकार ने हर साल विकास का एक एजेण्डा जनता के सामने रखा है और फिर पूरे वर्ष उस पर ईमानदारी

और निष्ठा के साथ काम किया गया है। आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश के साथ–साथ बाहर से आने वाले लोग भी यह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों से अधिक और तेज विकास हो रहा है और विकास की योजनाएं धरातल पर मूर्त रूप से ले रही हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार के आंकड़ों में भी उत्तर प्रदेश पूरे हिन्दुस्तान में सबसे अधिक पूंजीगत व्यय करने वाला राज्य हो गया है। जानकार लोग यह मानते हैं कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि से प्रदेश को दीर्घकालीन लाभ मिलेगा, जो यह दर्शाता है कि प्रदेश में संसाधनों का कुशल प्रबन्धन किया गया है।

हमारे विकास के एजेण्डा के पीछे जो मूलभूत सिद्धान्त रहा है, वह है सहभागी और संतुलित विकास। एक ओर हमने प्रदेश की आर्थिक विकास दर में तेजी लाने के लिये तत्परता से काम किया और इस दिशा में बुनियादी ढांचे में पूंजी निवेश किया, बेहतर और व्यवहारिक नीतियां बनाई और एक स्वस्थ और पारदर्शी माहौल लोगों को दिया, वहीं दूसरी ओर हमारी कोशिश रही कि इस बढ़े हुए विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कमजोर लोगों, किसानों, ग्रामीणों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों और अन्य वंचित लोगों को मिले। इसलिये जहां एक ओर लखनऊ के साथ–साथ नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो निर्माण का कार्य किया जा रहा है और आगरा, कानपुर, वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद में मेट्रो के निर्माण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है वहीं हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम समाजवादी पेंशन योजना भी लागू की गयी है। हमने न केवल हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य से अधिक तीन करोड़ छः लाख लोगों के बैंक खाते खोले बल्कि पैंतालिस लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को उनके खातों में सीधे पेंशन की धनराशि भेजने की व्यवस्था की है। मुझे इस सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने अपने बजट प्रस्तावों में समाजवादी पेंशन योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर पैंतालीस लाख से पचपन लाख करने का प्रस्ताव रखा है। वृद्धावस्था पेंशन से 39 लाख, विधवा पेंशन योजना से 16 लाख तथा विकलांगता पेंशन से 8 लाख लाभार्थी आच्छादित हैं। इस प्रकार इन योजनाओं से आच्छादित लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ 18 लाख से अधिक है। इस प्रकार प्रदेश की पूरी आबादी लगभग 20 करोड़ में से लगभग सवा करोड़ जनसंख्या जो आर्थिक रूप से दुर्बल है, को हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से जोड़ने का काम किया है।

इसके अतिरिक्त ''कृषक दुर्घटना बीमा योजना'' से 2 करोड़ 50 लाख किसान खातेदार आच्छादित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन परिवारों के 18 से 59 वर्ष तक के आयु के मुखिया सदस्य के आश्रितों को ''आम आदमी बीमा योजना'' में लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2016–17 में कृषक दुर्घटना बीमा के स्थान पर ''समाजवादी सर्वहित बीमा योजना'' प्रस्तावित की जा रही है। पुरानी योजना में केवल मृतक के परिवारजनों को 5 लाख रुपये अनुदान दिया जाता था जबकि नई प्रस्तावित योजना में मृतक के परिवार को तथा दुर्घटना में गम्भीर रूप से विकलांग हुये व्यक्ति को भी 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त इस योजना में दुर्घटना में घायल व्यक्ति की चिकित्सा के लिये 2.50 लाख रुपये दिये जाने का प्राविधान है और किसी घायल व्यक्ति को यदि

कृत्रिम अंग लगाया जाता है तो उसके लिये 1 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जायेगी। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की पुत्रियों की शादी के लिये भी आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है।

जहां हम देश का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस–वे आगरा से लखनऊ बना रहे हैं जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिले, युवाओं को रोजगार मिले और किसानों को अपनी उपज को बाजार में लाने, ले जाने की सुविधा मिले, वहीं हम हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी एम्बुलेन्स सेवा 102/108 के अन्तर्गत 3,500 से अधिक एम्बुलन्सों का प्रतिदिन संचालन करवा रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से चारबाग रेलवे स्टेशन तक आते वक्त हर कोई लखनऊ मेट्रो के काम को देख सकता है और मुझे यह आशा है कि जब मैं अगले साल बजट सदन में प्रस्तुत करूंगा तब उस समय आप में से कई सम्मानित सदस्यगण उस मेट्रो पर बैठकर सदन में आ सकेंगे। आज कोई भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस–वे के तेजी से हो रहे निर्माण को देख सकता है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस एक्सप्रेस–वे में इसी साल ट्रैफिक दौड़ना शुरू कर दे। मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इसी तरह का एक एक्सप्रेस–वे ''समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे'' का प्रस्ताव बजट में रखा है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश को लखनऊ से जोड़ेगा, जिससे नई दिल्ली और नोएडा क्षेत्र का विकास पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच सके।

मान्यवर, हम समाजवादियों का हमेशा से मानना रहा है कि इस देश और प्रदेश की खुशहाली तभी हो सकती है जब किसान और गांव खुशहाल रहे और इसीलिये कृषि और उससे सम्बन्धित कार्यों को बढ़ावा देने के लिये हमने वर्तमान वर्ष को ''किसान वर्ष'' घोषित किया है।

यद्यपि मौसम के ऊपर किसी का जोर नहीं है फिर भी राज्य सरकार ने आप सबके सहयोग से किसानों के संकट के समय में सबसे तेज और सबसे अधिक राहत सहायता उदारता के साथ पहुंचायी है। हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार से किसानों के लिये जितनी मदद मांगी थी, वह हमें नहीं मिल सकी परन्तु हमने उसकी परवाह किये बिना इस सदन के सहयोग से आकस्मिकता निधि की सीमा को बढ़ाकर अपने खजाने से किसानों को राहत पहुंचायी है। इसके अलावा भी राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में कई योजनाएं चलायी जा रही हैं। आप सब जानते ही होंगे कि इस साल प्रमाणित बीजों के वितरण में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर ;क्ठज्द्ध का प्रयोग करते हुए पूरे प्रदेश में 10 लाख से अधिक किसानों के खातों में सीधे अनुदान राशि भेजी गयी है और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का पहला राज्य बन गया है। हमने न केवल किसानों के हित में सिंचाई को मुफ्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया बल्कि खादों के अग्रिम भण्डारण की ऐसी व्यवस्था अपनायी जिससे किसानों को समय से खाद मिल सके। हमने कृषक दुर्घटना बीमा योजना की राशि को बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख किया और खेती के साथ–साथ खेती से जुड़े हुए अन्य क्षेत्रों में भी तत्परता से काम किया ताकि किसानों को आय के स्रोत मिल सके। कामधेनु योजना और कुक्कुट नीति के अन्तर्गत सैकड़ों

ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिले। जहां एक ओर अमूल की डेयरियों का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है वहीं हमने पी0सी0डी0एफ0 को मजबूत करने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया ताकि दुग्ध उत्पादकों के बीच कम्प्टीशन बढ़े ताकि जहां किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके वहीं लोगों को अच्छी गुणवत्ता का दूध मिल सके।

मान्यवर, आप सब जानते हैं कि जब केन्द्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से पूरे हिन्दुस्तान के बाजार में चीनी के भाव लुढ़कने लगे थे तब उत्तर प्रदेश की ही सरकार थी जिसने अपने बजट से सीधे किसानों के खातों में धनराशि मुहैया करायी ताकि किसानों को नुकसान न हो और मिलें भी बन्द न हों।

मान्यवर, यह प्रदेश एक युवा प्रदेश है। बड़ी संख्या में युवक और युवतियों का जोश, उत्साह और उनकी नई सोच इस प्रदेश की खुशहाली और तरक्की का शुभारम्भ करेगी। यह हमारी सरकार का दायित्व है कि हम उनकी शिक्षा हेतु बेहतर अवसर पैदा करें और उनके रोजगार के साधन तैयार करें ताकि उनका भविष्य खुशहाल हो सके।

मान्यवर, मुझे इस सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने इसी सोच के साथ वित्तीय वर्ष 2016–2017 को ''किसान वर्ष और युवा वर्ष'' घोषित करने का निर्णय लिया है और हम पूरे वर्ष किसानों और युवाओं की बेहतरी के लिये विभिन्न योजनाओं पर तत्परता से काम करेंगे जिनकी रूपरेखा मैं इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

मान्यवर, हमारी सरकार पहले से भी विभिन्न सेक्टर्स में रोजगारपरक योजनायें और कार्यक्रम संचालित कर रही हैं। लघु उद्योग क्षेत्र में ''समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना'' लाई जा रही है जिसके माध्यम से युवाओं को अपने रोजगार स्थापित करने में मदद मिलेगी। प्रदेश के बेरोजगार कृषि स्नातकों/कृषि में प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ''एग्री जंक्शन योजना'' संचालित है। पशु पालन के क्षेत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी हेतु पशु मित्रों के सहयोग से कृत्रिम गर्भाधान की योजना लाई जा रही है।

युवाओं को रोजगार दिलाने हेतु रोजगार मेलों के आयोजन तथा युवाओं के कैरियर काउन्सलिंग की योजना लाई जा रही है जिससे उन्हें सही दिशा में अपना कैरियर चुनने में मदद मिलेगी। छात्र–छात्राओं को मेरिट आधारित निःशुल्क लैपटाप वितरण तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने हेतु संशोधित कन्या विद्याधन योजना भी युवाओं के लिये संचालित है। प्रत्येक वर्ष लाखों युवाओं को उनके कौशल विकास हेतु रोजगार परक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। इन विशिष्ट लाभार्थी आधारित योजनाओं के अलावा युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिये सामान्य शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, कृषि शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मैं बताना चाहूंगा कि बांदा, बिजनौर, अम्बेडकर नगर, मैनपुरी, कन्नौज और सोनभद्र में इन्जीनियरिंग कालेजों में पठन–पाठन का कार्य 2015–2016 में प्रारम्भ किया

जा चुका है तथा आजमगढ़ में निर्माणाधीन इन्जीनियरिंग कालेज में शैक्षिक–सत्र, 2016–2017 से कक्षायें प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। देवीपाटन एवं बस्ती मण्डल में एक–एक इंजीनियरिंग कालेज की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा लखनऊ में इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ इन्फारमेशन टेक्नालाजी की स्थापना करायी जा रही हैं राजकीय मेडिकल कालेज कन्नौज, आजमगढ़, जालौन एवं सहारनपुर को प्रारम्भ किया जा चुका है। बांदा, जौनपुर, चन्दौली एवं बदायूं में मेडिकल कालेज निर्माणाधीन है। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में नये मेडिकल कालेज स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार से प्रदेश में राजकीय मेडिकल कालेजों की संख्या–16 हो जायेगी। प्रदेश में मेडिकल कालेजों में एम0बी0बी0एस0 की सीटों की संख्या–1,140 थी जिसमें 500 सीटों की वृद्धि की गई है। अब तक के हमारे कार्यकाल में 80 नये आई0टी0आई0 स्वीकृत किये गये तथा 1200 कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ–साथ 21 पालीटेक्निकों के निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया तथा जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज एवं जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर में नये पालीटेक्निक की स्थापना का निर्णय भी लिया गया है।

मान्यवर, जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश को तेज करने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिये हमने अवस्थापना सुविधाओं में सुधार किया, नीतियां बनायीं और बेहतर स्वस्थ माहौल उपलब्ध कराया। मुझे इस सम्मानित सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज प्रदेश में रिलायन्स, आई0टी0सी0, एस्सेल, गेल, एमिटी, फोर्टिस जैसे तमाम प्रतिष्ठित औद्योगिक समूहों ने परियोजनायें लगाने के लिये राज्य सरकार के साथ सहमति–पत्र हस्ताक्षरित किये हैं। इन परियोजनाओं में लगभग 42,500 करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है। हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत 5,427 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश तथा 33 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप्स में 7,587 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हो चुका है। आने वाले वर्षों में हमारी सरकार प्रदेश के वर्तमान शहरों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर करने के साथ–साथ पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक–एक ग्रीन फील्ड शहर विकसित करने के लिये काम करेगी जहां लोगों को एक बेहतर जीवर स्तर, स्वस्थ वातावरण, रोजगार के मौके और सभी नागरिक सुविधाएं मिल सके। इससे न केवल निजी निवेश आकर्षित होगा बल्कि युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों को अपनी उपज का अच्छा बाजार भाव मिल सकेगा।

हमारा यह विश्वास है कि विकास की कुंजी बेहतर अवस्थापना में है। मेट्रो एवं एक्सप्रेस–वे के अलावा भी हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों को 04 लेन सड़कों से जोड़ने तथा सैकड़ों पुलों के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। अभी हाल ही में मेरे द्वारा स्वयं बहराइच से श्रावस्ती और कालपी से हमीरपुर फोर लेन सड़कों का लोकार्पण किया गया और आने वाले महीनों में इलाहाबाद–जौनपुर–आजमगढ़ मार्ग, फैजाबाद–अकबरपुर–बसखारी मार्ग, भदोही–मिर्जापुर मार्ग और छिबरामऊ–सौरिख–विधूना मार्ग को फोर लेन किये जाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जनपद बलिया में श्रीरामपुर घाट पर गंगा नदी पर 2,544 मीटर लम्बे पुल का

निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, जो प्रदेश का सबसे लम्बा पुल होगा। जनपद बलिया में ही चांदपुर गांव के पास घाघरा नदी पर 1,314 मीटर लम्बे पुल का भी निर्माण कराया जायेगा।

मान्यवर, हमारी सरकार अक्टूबर, 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 16 घण्टे और शहरी क्षेत्रों में 22 घण्टे बिजली देने के लिये लगातार काम कर रही है और इसलिये हम न केवल बिजली की उपलब्धता को 11,000 मेगावाट से बढ़ाकर 21,000 मेगावाट करने वाले हैं बल्कि हमने रिकार्ड संख्या में ट्रांसमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब–स्टेशनों और लाइनों का निर्माण भी कराया है ताकि बिजली वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। हमारा लक्ष्य है कि अक्टूबर, 2016 तक प्रत्येक गांव में बिजली उपलब्ध करायी जाये और इस दिशा में कार्य योजना बनाकर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। पिछले एक वर्ष में 30 लाख से अधिक परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिये गये हैं जो आज तक इस सुविधा से महरूम थे। पारम्परिक ऊर्जा के साथ–साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं और पिछले तीन सालों में पूरे प्रदेश में सौर ऊर्जा का उत्पादन पहले के मुकाबले 10 गुना हो गया है। साथ ही राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 70,000 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना तथा 40,000 लोहिया आवासों में सोलर पैक का प्रावधान किया गया है। कन्नौज के 2 गांव सोलर ऊर्जा से पूर्णतः ऊर्जीकृत किये गये हैं।

मान्यवर, प्रदेश में सिंचाई की कुछ वृहद परियोजनायें कई वर्षों से मन्थर गति से चलने के कारण अधूरी पड़ी हुई थीं, हमारी सरकार ने संसाधनों को एकजुट करके इनको पूरा करने के लिये विशेष प्रयास किये हैं। वृहद सिंचाई परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण सरयू नहर परियोजना है जिसके पूर्ण हो जाने पर अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 14 लाख हेक्टेयर की सिंचाई शुरू हो सकेगी। जिससे इस क्षेत्र का आर्थिक रूप से कायाकल्प होने के साथ ही प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। इसके साथ ही बाण सागर नहर परियोजना और कनहर सिंचाई परियोजना के लिये भी समुचित धनराशि की व्यवस्था की गयी है। जिससे अब ये परियोजनायें तेजी से पूरी हो रही हैं। हमारी सरकार प्रदेश के राजकीय नलकूपों और लघु डाल नहरों की बिजली आपूर्ति के समाधान के लिये ग्रिड ऊर्जा के साथ–साथ उन्हें सौर ऊर्जा से चलाये जाने की दिशा में भी काम करेगी।

मान्यवर, अधिक से अधिक परिवारों को बैंकों से और वित्तीय सेवाओं से जोड़ने का हमने प्रयास किया जिसके फलस्वरूप मार्च, 2012 से सितम्बर, 2015 तक की अवधि में 3,889 नई बैंक शाखायें प्रदेश भर में खोली गयी हैं। यह इस बात का भी द्योतक है कि इस अवधि में फाइनेन्शियल इन्क्लूजन भी प्रभावकारी रूप से प्रदेश में बढ़ा है। बैंकिंग तथा इन्श्योरेन्स हेल्प लाइन 1520 प्रारम्भ की गई है। जिसका प्रयोग कर बैंकिंग और इन्श्योरेन्स से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा सकती है और व्यक्तिगत समस्याओं का निराकरण भी कराया जा सकता है।

मान्यवर, शहरों के साथ–साथ हमारी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थापना विकास की कई योजनायें संचालित की जा रही है। डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम

विकास योजनान्तर्गत लगभग 10 हजार ग्रामों में 18 विभागों के 34 कार्यक्रम संचालित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना के तहत चयनित ग्रामों में मुख्य रूप से सी0सी0 रोड व नाली निर्माण का कार्य कराने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 3,908 ग्राम स्वीकृत हुये हैं। इस योजना में प्रत्येक गांव में लगभग 40 लाख रुपये से कार्य कराये जाने की व्यवस्था है।

अब तक 5,802 समग्र ग्रामों का चयन कर अवस्थापनापरक आधारभूत सुविधाओं व व्यक्तिगत लाभार्थीपरक योजनाओं से गांवों का पूर्ण विकास करते हुए लगभग 1,659 ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्य किया गया है। वर्ष 2015–2016 में 2,098 ग्राम चयनित किये गये हैं। जिन पर कार्य चल रहा है। वर्ष 2016–2017 में 2,100 ग्राम चयनित किये जाने का लक्ष्य है।

मान्यवर, इस सदन में प्रस्तुत बजट में गांवों के लिये एक नयी योजना ''आई स्पर्श'' के लिये भी धनराशि प्रस्तावित की गयी है जिसमें चुने गये गांवों को नयी सुविधाओं से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

मान्यवर, प्रदेश के बहुमुखी विकास तथा जनसाधारण में सुरक्षा की भावना बनाये रखने के लिये सुदृढ़ कानून–व्यवस्था आवश्यक है जिसके लिये हमारी सरकार ने कानून–व्यवस्था को मजबूत करने तथा उसकी पहुंच जन सामान्य तक सहज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। इनमें महिलाओं को परेशान करने या सार्वजनिक स्थानों पर छेड़–छाड़ जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिये 1,090 पर फोन करके पुलिस की मदद प्राप्त करने हेतु वीमेन पावर लाइन विशेष उल्लेखनीय है जिसकी सराहना राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई है। अब तक लगभग 3 लाख 43 हजार शिकायतों का निस्तारण कर महिलाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है। डायल 100 सेवा का संचालन किया गया है जिसके द्वारा जन साधारण को पुलिस की सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना को व्यापक रूप देकर सम्पूर्ण प्रदेश में लागू करने की योजना कार्यान्वित की जा रही है। जनसाधारण की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होने एवं उनके साथ विनम्रता एवं भद्रता के साथ पेश आने के लिये पुलिस कर्मियों, विशेष रूप से कान्स्टेबिल्स व उप निरीक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।

अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिये स्मार्ट सिटी सर्विलांस सिस्टम लखनऊ में लागू किया गया है और अब इसे 11 और नगरों में लागू किये जाने का प्रस्ताव है। इससे अपराधियों को पकड़ने में सहूलियत होगी और जुलूस, प्रदर्शन पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। पुलिस बल के सशक्तिकरण के लिये अत्याधुनिक फोरेन्सिक लैब्स की स्थापना की जा रही है, थानों में सी0सी0टी0वी0, कैमरा, प्रति थाना दो नये वाहन, स्टेट डिजास्टर रिस्पान्स फोर्स का गठन किया जा रहा है। सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने के लिये अराजक तत्वों द्वारा किये गये कतिपय प्रयासों को पुलिस बल के द्वारा सख्ती के साथ

हर मौके पर प्रभावी कार्यवाही कर काबू किया गया और सामाजिक सद्भाव को बनाये रखा गया है। इन प्रयासों से जनसाधारण में सुरक्षा की भावना बलवती हुई है।

मान्यवर, हमने पिछले चार सालों में प्रदेश में एक स्वच्छ, स्वस्थ और पारदर्शी माहौल दिया है क्योंकि हम यह मानते हैं कि जनता की खुशहाली तभी सम्भव है जब सरकार और समाज एक साथ मिलकर काम करें इसीलिये हमने प्रतिभावान साहित्यकारों, विचारकों, खिलाड़ियों, उद्यमियों, किसानों, कवियों और अन्य लोगों को सरकार के साथ जोड़ा है, उनको सम्मानित किया है। वर्षों से रुके हुए पुरस्कारों को फिर से शुरू किया गया है और नये पुरस्कार भी हमारी सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये हैं। कुछ ही दिनों पूर्व मैंने प्रतिभावान अप्रवासी उत्तर प्रदेश वासियों को यू0पी0 रत्न से सम्मानित किया।

मान्यवर, मुझे इस गरिमामयी सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को वर्तमान में दी जा रही मासिक पेंशन की धनराशि 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 15,176 रुपये तथा लोकतंत्र सेनानियों को वर्तमान में स्वीकृत 10 हजार रुपये मासिक सम्मान राशि को बढ़ाकर 15 हजार रुपये मासिक किया जा रहा है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश को हिन्दुस्तान का दिल भी कहा गया है और लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तान के हर प्रश्न का उत्तर, उत्तर प्रदेश से निकलता है। आप सबके सहयोग से पिछले चार सालों में हमने प्रदेश में विकास के नये–नये कीर्तिमान स्थापित कर उत्तर प्रदेश को एक गौरवशाली मुकाम तक पहुंचाया है और इसकी वजह से पूरे हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों की चर्चा हो रही है। चाहे वह विकास की दर की बात हो, पूंजीगत व्यय की दर की बात हो, लखनऊ मेट्रो हो, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे हो, समाजवादी पेंशन योजना हो, डी0बी0टी0 योजना हो, सोलर पावर पैक की योजना हो, 102/108 एम्बुलेन्स हो, किसान दुर्घटना बीमा योजना हो, लोहिया आवास योजना हो, समग्र ग्राम विकास योजना हो या कोई अन्य योजना।

मान्यवर, अब मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2016–2017 के बजट में सम्मिलित महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

किसानों और गांवों के लिए

कृषि

- किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिये 1,336 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है।
- किसानों की गन्ना उपज को मिलों तक पहुंचाने तथा कृषि उपज को बाजार तक ले जाने के लिये सम्पर्क मार्गों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों के लिये 120 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- किसानों और जनसामान्य के लक्षित समूह के व्यक्तियों हेतु ''समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना'' लागू किये जाने का प्रस्ताव है जिसके लिये 897 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कृषक दुर्घटना बीमा योजना हेतु 240 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आम आदमी बीमा योजना हेतु 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राज्य आपदा मोचक निधि से राहत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2016–2017 में 709 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के 73 जनपदों में फरवरी/मार्च/अप्रैल, 2015 में हुई ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से कृषि फसलों को व्यापक क्षति हुई थी। प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान किये जाने हेतु अब तक कुल 4498 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- वर्तमान मानसून में सामान्य से कम वर्षा होने के कारण प्रदेश के 50 जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। सूखे से कृषि फसलों को हुई क्षति से निपटने के लिये 2057 करोड़ रुपये की कार्य योजना तैयार की गई है।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत 787 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से अल्पकालिक फसली ऋण 03 प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को उपलब्ध कराये जाने हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लघु एवं सीमान्त कृषकों को किराये पर तथा अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 2016–2017 में 150 कस्टम हायरिंग केन्द्र तथा 75 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
- जनपद बहराइच में किसान बाजार स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
- सूखाग्रस्त जनपदों में अतिरिक्त चारा दाना विकास कार्यक्रम प्रस्तावित है।
- जनपद हमीरपुर में जैविक खेती की विकास योजना के लिये 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- सरकार के विशेष प्रयास से किसानों को पर्याप्त मात्रा में खादों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। वर्ष 2015–2016 में 89 लाख मीट्रिक टन खाद वितरण लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2016–2017 में 98 लाख मीट्रिक टन खाद वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

- खाद, बीज आदि के क्रय हेतु किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2016–2017 में 93,212 करोड़ रुपये का फसली ऋण वितरित कराये जाने का लक्ष्य है।
- वर्ष 2015–2016 में 627 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2016–2017 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 660 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 14 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।
- वर्ष 2016–2017 में 56 लाख कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य है, जिसमें खरीफ की फसलों हेतु 11 लाख कुन्तल एवं रबी की फसलों हेतु 45 लाख कुन्तल का बीज वितरण किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2016–2017 में 42 प्रतिशत बीज प्रतिस्थापन दर प्राप्त करने का लक्ष्य है।
- फसल बीमा कार्यक्रमों हेतु 450 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- भूमि सेना योजना हेतु 83 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के कृषकों को सिंचाई हेतु पर्यावरण हितैषी एवं मंहगें डीजल/विद्युत आपूर्ति की समस्या के निदान हेतु वर्ष 2016–2017 में कृषकों के खेतों पर सोलर फोटोवोल्टइक पम्प की स्थापना के लिये 72 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्राविधान किया गया है।
- प्रदेश के बेरोजगार कृषि स्नातकों/कृषि में प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2016–2017 में प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बी योजना के अन्तर्गत 1,000 एग्री जंक्शन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
- विभिन्न फसलों से सबसे अधिक उत्पादकता प्राप्त करने वाले तीन कृषकों को 20,000 रुपये, 15,000 रुपये तथा 10,000 रुपये का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उत्तम कृषक पुरस्कार ''किसान दिवस'' के अवसर पर दिया जाता है जिसकी पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपये, 75,000 रुपये तथा 50,000 रुपये किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की तीन प्रगतिशील महिला कृषकों को भी पृथक श्रेणी के अन्तर्गत इसी के अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।
- इस वर्ष प्रमाणित एवं संकर बीजों के वितरण में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर का प्रयोग करते हुए दस लाख से अधिक किसानों के खेतों में अनुदान का वितरण किया गया है। उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
- आगामी वित्तीय वर्ष में बुन्देलखण्ड में खरीफ के दौरान आच्छादन बढ़ाने के लिये इस वर्ष की भांति तिल के बीजों पर 100 रुपये प्रति किलोग्राम का अनुदान यथावत् रखा जाएगा।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान

प्रदेश में वैज्ञानिक रीति से कृषि को बढ़ावा देने के लिये हमारी सरकार द्वारा कृषि शिक्षा और अनुसंधान कार्यक्रम में विस्तार किया गया है और इसके लिये पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था की गई है।

- जनपद–आजमगढ़ तथा लखीमपुर खीरी में नये कृषि महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है तथा पठन–पाठन विश्वविद्यालय परिसर में प्रारम्भ करा दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2016–2017 में इस हेतु 28 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे चालू योजनाओं को समय से पूर्ण किया जायेगा तथा जनपद गोण्डा में निर्माणाधीन नये कृषि महाविद्यालय को शीघ्र चालू कराया जायेगा।

दुग्ध विकास

हमारा प्रदेश दुग्ध उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। हमारी सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन और विपणन कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाये जा रहे हैं। प्रदेश में प्रादेशिक सहकारी दुग्ध संघ का पुनर्गठन इस दिशा में एक सार्थक प्रयास है। इसके अलावा दुग्ध व्यवसाय की निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कम्पनियों को प्रदेश में अपनी इकाइयां स्थापित किये जाने की योजनायें भी क्रियान्वित की जा रही है।

- दुग्ध संघों/समितियों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन एवं विस्तारीकरण योजना, कृषक प्रशिक्षण योजना तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादकों/समितियों को तकनीकी निवेश कार्यक्रम के माध्यम से पशु प्रजनन व स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन योजनाओं हेतु 41 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- दुग्ध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नये डेयरी प्लान्टों की स्थापना हेतु 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जनपद कानपुर में मिल्क पाउडर प्लान्ट की स्थापना हेतु 80 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

पशुपालन

- प्रदेश सरकार ने पहली बार पशुधन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास के कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। वर्ष 2015–2016 में माह दिसम्बर, 2015 तक 191 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन हुआ। वर्ष 2016–2017 में दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 362 लाख मीट्रिक टन रखा गया है।
- वर्ष 2016–2017 में ''उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति–2013'' के अन्तर्गत ब्रायलर पैरेण्ट फार्मिंग की 10 इकाई तथा कामर्शियल लेयर्स फार्मिंग की 90 इकाई स्थापित किये जाने का लक्ष्य है।

- मार्च, 2017 तक कामधेनु, मिनी कामधेनु तथा माइक्रो कामधेनु इकाइयों का लक्ष्य क्रमशः 300, 1500 तथा 2500 इकाई रखा गया है।
- बहुउद्देश्यीय सचल पशु चिकित्सा सेवा के लिये 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना के लिये 51 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- पशु मित्रों के सहयोग से कृत्रिम गर्भाधान की योजना हेतु 20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- गौ–शालाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना के लिये 5 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जोखिम प्रबन्ध और पशुधन बीमा योजना के लिये 18 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- बाबूगढ़ और रहमान खेड़ा में अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र की ग्रेडिंग में सुधार के लिये 28 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।

मत्स्य

- 5000 हेक्टेयर सामुदायिक तालाबों को मत्स्य पालन के अन्तर्गत आच्छादित कराया जायेगा और निजी क्षेत्र में 1,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र के नये तालाब निर्मित कराने तथा प्रोत्साहन स्वरूप लाभार्थियों को देय अनुदान सुलभ कराये जाने का प्रस्ताव है।
- 60,000 व्यक्तियों को मत्स्य पालन के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।
- मछुआ समुदाय के 2 लाख 5 हजार समिति के सदस्यों/सक्रिय मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर आधारित मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित कराया जायेगा।
- मछुआ समुदाय के आवास विहीन परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

परती भूमि विकास

- प्रदेश के 29 ऊसर बाहुल्य जनपदों में उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन–तृतीय ऊसर सुधार की परियोजना का संचालन किया जा रहा है।
- परियोजना के अन्तर्गत 01 लाख 30 हजार हेक्टेयर ऊसर सुधार का लक्ष्य निर्धारित है। बीहड़ सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना में जनपद कानपुर देहात एवं फतेहपुर में पायलेट आधार पर 5,000 हेक्टेयर बीहड़ भूमि के सुधार का लक्ष्य निर्धारित है।

- परियोजनान्तर्गत अब तक 438 मुख्य जल निकास नालों के पुनरोद्धार के माध्यम से लगभग 03 लाख 72 हजार हेक्टेयर भूमि में जल भराव की समस्या का निराकरण कराया गया है।

कृषि विपणन

- प्रदेश में मण्डी परिसरों के घनत्व को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक 100 वर्ग किलोमीटर में एक मण्डी परिसर की स्थापना कराये जाने हेतु 1,645 एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 1,643 हब्स का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है जिसमें 911 हब संचालित कर दिये गये हैं।
- कृषकों को अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रथम चरण में 06 जनपद लखनऊ, झांसी, सैफई (इटावा), मैनपुरी, कन्नौज और कासगंज में किसान बाजार का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है जिसमें से झांसी का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा लखनऊ, सैफई (इटावा), मैनपुरी, कन्नौज एवं कासगंज में निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- फल सब्जी के लघु एवं सीमान्त कृषक उत्पादकों के उत्पाद को निकटतम मण्डी में लाने हेतु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये मण्डी परिषद् द्वारा प्रथम चरण में 05 मण्डियों यथा–कन्नौज, बहराइच, कानपुर, महोबा एवं ललितपुर में सुगम परिवहन योजना परीक्षण के तौर पर आरम्भ की गयी। साथ ही दुग्ध उत्पादन की सुविधा हेतु जनपद गाजीपुर से वाराणसी तक दुग्ध के निःशुल्क परिवहन हेतु 02 बसें चलायी जा रही है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विशिष्ट मण्डियों के निर्माण कराये जाने की श्रृंखला में 07 विशिष्ट मण्डियों हेतु कुल 434 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गयी है, जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार 133 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों के लिये 254 करोड़ रुपये की परियोजनायें स्वीकृत की गयी हैं जिसमें से 129 केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा 79 केन्द्र क्रियाशील हो चुके हैं।
- कन्नौज में 102 करोड़ रुपये की लागत से आलू की विशिष्ट मण्डी तथा मलिहाबाद में 79 करोड़ रुपये की लागत से आम की विशिष्ट मण्डी का निर्माण वर्ष 2016–2017 में प्रस्तावित है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

- औद्यानिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं तथा उनके संचालन व्यय हेतु 320 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बागवानी विकास हेतु वर्ष 2016–2017 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, औषधीय पौंध मिशन, ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई,

गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन योजना आदि कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे जिनमें किसानों को मानकों के अनुसार अनुदान की सुविधा उपलब्ध होगी।

- प्रदेश में आलू उत्पादन में वृद्धि विपणन और निर्यात को प्रोत्साहन तथा गुणवत्तायुक्त आलू बीज का उत्पादन और वितरण कराये जाने के उद्देश्य से आलू विकास नीति, 2014 लागू की गयी है।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत फल–सब्जी प्रसंस्करण, अनाज आधारित उद्योग, दुग्ध, मांस, बेकरी आधारित उद्योग आदि सम्मिलित है। खाद्य प्रसंस्करण मिशन हेतु 42 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

ग्रामीण विकास

- ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और गांवों को तेजी से विकास की राह पर लाने तथा गांवों से शहरों की ओर हो रहे पलायन की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिये आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का समुचित विकास कराया जाये। हमारी सरकार ने गांवों में सड़कों, सेतुओं, बिजली, सिंचाई सुविधा, पक्के आवासों, पेयजल, शौचालय, सी0सी0 रोड, नाली आदि की व्यवस्था सम्बन्धी कार्यक्रम सघन रूप से चलाये गये हैं।
- समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों और लघु सेतुओं के निर्माण कार्यों के लिये 630 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त कृषि विपणन सुविधाओं के लिये सम्पर्क मार्ग के निर्माण के अन्य कार्यों के लिये 1,413 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के लिये 2,300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लोहिया ग्रामीण आवास योजना हेतु 1,779 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- इन्दिरा आवास योजना के लिये 3,162 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 2,031 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- आई स्पर्श योजना के अन्तर्गत गांवों को स्मार्ट विलेज बनाये जाने की योजना के लिये 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

पंचायती राज

- सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन इण्टरलाकिंग और टाइल्स की व्यवस्था हेतु 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत स्वच्छ शौचालय के लिये 1,536 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु 127 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है। इस धनराशि से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के अवशेष समस्त अन्त्येष्टि स्थलों का विकास किया जायेगा।

बुन्देलखण्ड के लिये विशेष

- बुन्देलखण्ड की विशेष जरूरतों को देखते हुए हमने इस क्षेत्र के लिये संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु वित्तीय संसाधनों में काफी वृद्धि की है।
- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिये निधि का आकार 71 करोड़ 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- बुन्देलखण्ड में पेयजल की विशेष व्यवस्था के लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बुन्देलखण्ड और विन्ध्य क्षेत्र में सरफेस सोर्स आधारित ग्रामीण पेयजल योजना के लिये 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिये 338 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बुन्देलखण्ड में टैंकर द्वारा पेयजल आपूर्ति के लिये 2 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बुन्देलखण्ड में तिलहन प्लान्ट की स्थापना के लिये 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

विश्वस्तरीय अवस्थापना की ओर बिजली

- आज के युग में उद्योग, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा किसी भी क्षेत्र में विकास के लिये गुणवत्तापूर्ण बिजली की उपलब्धता पहली आवश्यकता बन गयी है। हमारी सरकार का यह लक्ष्य है कि अक्टूबर, 2016 तक प्रत्येक गांव में बिजली की सुविधा उपलब्ध करायी जाय।
- ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लगभग 1,73,000 गांवों एवं मजरों के विद्युतीकरण हेतु लगभग 11,900 करोड़ रुपये लागत की योजना तैयार की गई है।
- वर्ष 2015–2016 में एक लाख गांवों एवं मजरों का विद्युतीकरण पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 16 घण्टे तथा कृषि कार्यों हेतु कम से कम 8 घण्टे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार ने फीडर सेपरेशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिये लगभग 7,000 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गयी है।
- कृषि क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं के नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिये 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
- हमारी सरकार का प्रयास होगा कि अक्टूबर, 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों को कम से कम 16 घण्टे एवं शहरी क्षेत्रों को 22 से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो सके।
- मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि न सिर्फ बढ़ी हुई विद्युत आपूर्ति वरन् 2019–2020 से कटौती मुक्त 24ग7 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है एवं इसके लिये कार्य योजना बनाकर कार्यवाही भी की जा रही है।
- हमारी सरकार एवं वितरण कम्पनियों द्वारा अक्टूबर, 2016 तक विद्युत उपलब्धता वर्तमान में लगभग 11,000 मेगावाट से बढ़ाकर लगभग 21,000 मेगावाट करने हेतु सभी प्रबन्ध कर लिये गये हैं।
- इसी क्रम में विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय पुनर्गठन की योजना ''उदय'' के क्रियान्वयन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है जिसमें राज्य सरकार द्वारा 39,909 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता विद्युत वितरण कम्पनियों को प्रदान की जायेगी। राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से वितरण कम्पनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार आयेगा और प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होगी।

सड़क और पुल

मान्यवर, प्रदेश की प्रगति के लिये गुणवत्तापूर्ण सड़कों के नेटवर्क का होना अति आवश्यक है और यह हमारे विकास कार्यक्रम में प्रमुख स्थान रखता है।

- वित्तीय वर्ष 2016–2017 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सड़कों और सेतुओं के निर्माण तथा रख–रखाव हेतु 14,721 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण, सम्पर्क मार्गों, लघु सेतुओं तथा प्रमुख मार्गों और अन्य जिला मार्गों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों के लिये 541 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- मार्गों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु 3,205 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामों/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु कुल 1,923 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामीण अंचलों में नदियों एवं बड़े नालों पर पुलों के निर्माण हेतु 1,180 करोड़ रुपये तथा रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 635 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जिला मुख्यालयों को 4 लेन मार्ग से जोड़ा जाना प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता का कार्यक्रम है। इसके लिये वित्तीय वर्ष 2016–2017 में 1,111 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में महत्वपूर्ण मार्गों का एक कोर रोड नेटवर्क चिन्हित कर सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराया जायेगा जिसके लिये 310 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों के सौंदर्यीकरण/उच्चीकरण हेतु भी 75 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।
- विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना हेतु 320 करोड़ रुपये तथा एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना हेतु 260 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- भारत–नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश के 07 जनपदों में निर्मित किये जाने वाले मार्ग हेतु 257 किलोमीटर लम्बाई के कार्य प्रगति में हैं। इस परियोजना के निर्माण हेतु 250 करोड़ रुपये तथा भूमि अध्याप्ति हेतु 220 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- विकास कार्यों को त्वरित गति से क्रियान्वित करने हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना में सड़क, पुल, पेयजल तथा स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था आदि के कार्यों को प्राथमिकता पर कराया जा रहा है। वर्ष 2016–2017 में योजना के लिये 900 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

नगर विकास

प्रदेश के नगरों में बढ़ती जनसंख्या के दबाव के मद्देनजर नगरों में बसने वाले सभी सामाजिक, आर्थिक समूहों के लिये स्वच्छ, प्रदूषण रहित, स्वास्थ्यकर निवास क्षेत्र और सुरक्षित पेयजल के साथ–साथ नगरों में उत्कृष्ट अवस्थापना की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के प्रति हमारी सरकार सजग है।

- स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन तथा अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (अमृत) योजनाओं/कार्यक्रमों के लिये वित्तीय वर्ष 2016–2017 में क्रमशः 600, 600 करोड़ रुपये तथा 700 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नागरिकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु आदर्श नगर योजना में 200 करोड़ रुपये, नगरीय सीवरेज योजना में 50 करोड़ रुपये, नगरीय पेयजल कार्यक्रम के लिये 335 करोड़ रुपये, नगरीय सड़क सुधार योजना के लिये 130 करोड़ रुपये तथा नगरीय जल निकासी योजना के लिये 140 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आगरा पेयजल आपूर्ति परियोजना हेतु रुपये 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नया सवेरा नगर विकास योजना के लिये 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थित अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- इलाहाबाद में संगम क्षेत्र में एलिवेटेड पहुंच मार्ग एवं फ्लाईओवर निर्माण के लिये 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नगर निकायों में सौर ऊर्जा पावर प्लाण्ट के माध्यम से स्ट्रीट लाइट और पेयजल की व्यवस्था कराये जाने की ''डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय शहरी पुंज योजना'' के क्रियान्वयन हेतु 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- शहरी यातायात विकास फण्ड के लिये लगभग 49 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश की शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0 रोड, इण्टरलाकिंग टाईल्स, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधाओं के कार्यों हेतु 385 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

आवास एवं शहरी नियोजन

- लखनऊ विकास क्षेत्र और प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्रों और नगर क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- जनेश्वर मिश्र पार्क के संचालन और नवीनीकरण के लिये 150 करोड़ रुपये से कापर्स फण्ड का गठन किये जाने का प्रस्ताव है।
- आगरा इनर रिंग रोड फेज–2 तथा फेज–3 के निर्माण के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- शान–ए–अवध संकुल के निर्माण के लिये 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कानपुर एवं वाराणसी मेट्रो रेल परियोजना के लिये 50–50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना हेतु वर्ष 2015–2016 में दिये गये 625 करोड़ रुपये के सापेक्ष वर्ष 2016–2017 में 814 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के चयनित शहरों में माडल सिटीज के विकास के लिये 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

सिंचाई

कृषि प्रधान प्रदेश में सिंचाई का विशेष महत्व है इसलिये हमारी सरकार इसके लिये संवेदनशील है।

- सिंचाई कार्यक्रमों की नई योजनाओं के लिये 1,574 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं के लिये 745 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जनपद कन्नौज के विकास क्षेत्र जलालाबाद एवं तालग्राम (डार्क जोन) में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जनपद झांसी में बेतवा नदी पर एरच के पास सिंचाई की बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिये 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अर्जुन सहायक परियोजना के लिये 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लिये 2,157 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- गोमती नदी के चैनलाइजेशन के लिये 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वरुणा नदी के चैनलाहजेशन और तटीय विकास के लिये 25 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- वाराणसी में गंगा नदी के घाटों के निर्माण की परियोजना हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

लघु सिंचाई

- वर्तमान में प्रदेश का लगभग 78 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र निजी लघु सिंचाई साधनों से सिंचित है। वर्ष 2016–2017 हेतु 549 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- निःशुल्क बोरिंग योजना हेतु 36 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मध्यम गहरे नलकूप योजना हेतु 84 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- गहरी बोरिंग योजना हेतु 19 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना हेतु 7 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

औद्योगिक विकास

मान्यवर, औद्योगिक विकास के बिना प्रदेश के समग्र विकास का सपना साकार नहीं हो सकता है। औद्योगिक विकास के लिये गुणवत्तापूर्ण अवस्थापनाओं और प्रोत्साहन स्वरूप नीतियों का होना आवश्यक है। हमारी सरकार ने इस कमी को महसूस किया और अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर ध्यान देते हुए उद्योग जगत के साथ सशक्त संवाद स्थापित किया गया। इसके सार्थक परिणाम प्रदेश में दिखाई पड़ने लगे हैं।

- लखनऊ–आगरा एक्सप्रेस–वे के निर्माण हेतु 4,003 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- लखनऊ–आजमगढ़–बलिया समाजवादी एक्सप्रेस–वे के लिये 1,500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- यमुना एक्सप्रेस–वे पर स्थापित किये जा रहे इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर्स के लिये 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पावरलूम विकास योजना के लिये 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- एकीकृत औद्योगिक नगरी (संगम सिटी) क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत एक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है।
- दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरीडोर (डी0एम0आई0सी0) परियोजना के अन्तर्गत दादरी–नोएडा–गाजियाबाद निवेश क्षेत्र एवं तीन अर्ली बर्ड परियोजनाओं यथा

एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप, मल्टी माडल लाजिस्टिक हब एवं मल्टी माडल ट्रांसपोर्ट हब विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

- कालिन्दी कुंज से बाटनिकल गार्डेन एवं नोएडा सिटी सेक्टर–32 से सेक्टर–62 तक मेट्रो लाइन का विस्तार किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- वर्ष 2015–2016 में माह नवम्बर, 2015 तक 40,240 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना हुई जिसमें 3,49,329 रोजगार सृजित हुये एवं 4,394 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है।
- प्रदेश के निर्यात में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2013–2014 में कुल निर्यात 80,523 करोड़ का था जिसके सापेक्ष वर्ष 2014–2015 में बढ़कर 85,034 करोड़ रुपये हो गया।
- प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ''निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2015–2020'' जारी की गई है।

परिवहन

- उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को बस स्टेशनों के पुनर्निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आजमगढ़ तथा गौतमबुद्ध नगर में सम्भागीय परिवहन कार्यालय के निर्माण हेतु क्रमशः 17 करोड़ रुपये तथा 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है।
- जन सामान्य को सुरक्षित, आरामदायक, परिष्कृत एवं व्यक्तिगत सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में 13 शहरों लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, झांसी, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली एवं गोरखपुर में रेडियो टैक्सी के संचालन का निर्णय लिया गया है। जिसमें लखनऊ एवं वाराणसी महानगर में रेडियो टैक्सी का संचालन प्रारम्भ हो गया है।

नयी पीढ़ी और युवाओं के लिये

बेसिक शिक्षा

- सर्वशिक्षा अभियान के लिये 15,397 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को फल वितरण किये जाने की नई योजना के लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश के ग्रामों/मजरों में विद्यालयों के अधूरे निर्माण कार्य को वर्ष 2016–2017 में पूर्ण कराये जाने के लिये 20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- माडल प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

माध्यमिक शिक्षा

- माध्यमिक शिक्षा की योजनाओं के लिये 9,168 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- संशोधित कन्या विद्याधन योजना के अन्तर्गत प्रति छात्रा 30 हजार रुपये की दर से प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि प्रदान किये जाने के लिये 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कक्षा–10वीं एवं 12वीं पास मेधावी छात्र/छात्राओं में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये निःशुल्क लैपटाप दिया जाना प्रस्तावित है। इस योजनान्तर्गत 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के तीन जनपदों–अमेठी, मैनपुरी तथा झांसी में सैनिक स्कूल की स्थापना के लिये 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के 18 मण्डलों में मण्डल मुख्यालयों के जनपदों में स्थापित किये जाने वाले समाजवादी अभिनव विद्यालयों में विद्यालय परिसर में सह शिक्षा के आधार पर छात्रावास के निर्माण के लिये 72 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त अशासकीय/असहायिक विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों को मानदेय की व्यवस्था हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा

- उच्च शिक्षा की योजनाओं हेतु 2,622 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु के अवशेष निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने के लिये 25 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गयी है।
- जनपद इलाहाबाद में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये 50 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।
- लखनऊ विश्वविद्यालय में शोध पीठ केन्द्र की स्थापना और आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन के लिये 35 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में लाइब्रेरी एवं कामन रूम में वाई–फाई की सुविधा हेतु 2 करोड़ 50 लाख रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- बलिया जनपद में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्राविधिक शिक्षा

- प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिये तकनीकी शिक्षा वर्तमान समय की एक मूलभूत आवश्यकता है। हमारी सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रदेश में उच्च स्तर की कुशल प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो।
- जनपद अम्बेडकर नगर, बांदा और बिजनौर में स्थापित नये इंजीनियरिंग कालेजों में कक्षायें प्रारम्भ की जा चुकी हैं। जनपद आजमगढ़ में नये इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण मार्च, 2016 तक पूर्ण कराकर कक्षायें शैक्षिक–सत्र, 2016–2017 से प्रारम्भ करायी जायेंगी।
- जनपद मैनपुरी, कन्नौज तथा सोनभद्र में निर्माणाणीन राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों के पठन–पाठन का कार्य शैक्षिक–सत्र, 2015–2016 से एच0बी0टी0आई0, कानपुर तथा के0एनआई0टी0, सुल्तानपुर में संचालित कराया जा रहा है।
- आई0आई0आई0टी0, लखनऊ की शैक्षिक सत्र, 2015–2016 से कक्षायें आई0आई0आई0टी0, इलाहाबाद में संचालित की जा रही है।
- जनपद बस्ती एवं गोण्डा में एक–एक इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। जनपद मिर्जापुर में एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना कराये जाने हेतु वर्ष 2016–2017 के बजट में 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- प्रदेश में 12 पालीटेक्निक आफ इन्फारमेशन टेक्नोलाजी स्थापित किये जा रहे हैं।
- तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश में 18 महिला पालीटेक्निक संचालित हैं जिनमें वित्तीय वर्ष 2016–2017 में 15 महिला छात्रावास निर्मित कराये जायेंगे।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार

- प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मिशन के माध्यम से कम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार परक कौशलों में प्रशिक्षित किया गया है और अगले साल पांच लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा।
- प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु 10 संस्थानों में सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित किया जायेगा।

- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को माडल आई0टी0आई0 के रूप में उच्चीकृत करने हेतु 4 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- रोजगार बाजार में रोजगार के अवसर तथा उपलब्ध जनशक्ति में असंतुलन को दृष्टि में रखते हुए सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कैरियर काउन्सिलिंग का कार्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के समस्त स्कूल/कालेजों को आच्छादित करने का लक्ष्य है। इस हेतु 1 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार अभ्यर्थियों को सेवायोजन सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना हेतु 01 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्य मंत्री गामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–2016 में प्रदेश में 1,800 ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना कराते हुए 36,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- वर्ष 2016–2017 में मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 3,000 ग्रामोद्योगी इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है जिससे 60,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा।
- समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना के लिये 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- इनोवेशन सेल और स्टेट इनोवेशन फण्ड की स्थापना तथा इनोवेशन पुरस्कार की योजना प्रस्तावित की गयी है जिसके लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में सूचना एवं प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति, 2016 बनाई जा रही है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में स्टार्ट–अप संस्कृति तथा उद्यमिता को बढ़ावा देना है जिसके अन्तर्गत इन्क्यूबेटर्स, स्टार्ट–अप तथा वेंचर कैपिटल फण्डिंग स्टार्ट–अप को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जायेगा।

चिकित्सा शिक्षा

- प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों तथा उससे सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं चिकित्सा विश्वविद्यालयों/चिकित्सा संस्थानों–के0जी0एम0यू0, एस0जी0पी0जी0आई0, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान तथा ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई के लिये 4,572 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2015–2016 से 1,697 करोड़ रुपये अधिक है।

- कैंसर संस्थान, लखनऊ के लिये वर्ष 2015–2016 में दी गई धनराशि 221 करोड़ रुपये के सापेक्ष वर्ष 2016–2017 के लिये धनराशि 310 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
- राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा को शैक्षणिक–सत्र, 2016–2017 से संचालित किये जाने का लक्ष्य है।
- जनपद चन्दौली में मेडिकल कालेज के निर्माण हेतु भूमि का आवंटन कर दिया गया है तथा जनपद जौनपुर में मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- जनपद कन्नौज में हृदय एवं कैंसर रोगों की विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हृदय रोग संस्थान एवं कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- मेडिकल कालेज, गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर की महामारी के रोकथाम/समुचित उपचार हेतु 500 शैय्या वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, गोमतीनगर, लखनऊ में शैक्षणिक–सत्र, 2016–2017 से एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।
- हृदय रोग के गम्भीर रोग से पीड़ित मरीजों के बेहतर चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए के0जी0एम0यू0 में कार्डियोलाजी विभाग का विस्तार कराया जा रहा है।
- राजकीय मेडिकल कालेज, नजीमाबाद, बिजनौर की स्थापना हेतु 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- के0जी0एम0यू0 में चिकित्सा शिक्षा, शोध और उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नये विभाग खोले जायेंगे जिनमें इन्स्टीट्यूट आफ पीडियाट्रिक साइन्जेज, इन्स्टीट्यूट आफ वीमेन हेल्थ, इन्स्टीट्यूट आफ आपथैल्मोलाजिकल साइन्सेज तथा इन्स्टीट्यूट आफ पैथोलाजिकल साइन्सेज मुख्य है।

खेल

- हमारा दृढ़ मत है कि आपसी सौहार्द, एकता एवं भाईचारे तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिये जाने के लिये खेलकूद से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश प्रतिभाओं से भरा हुआ है। मुख्य चुनौती उन प्रतिभाओं को संवारने, विकसित करने एवं बेहतर सुविधायें, प्रशिक्षण एवं मौके उपलब्ध कराने की है। इस हेतु हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
- जनपद बलिया में स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- वर्ष 2016 में रियो डि जेनेरियो अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक खेलों में गोल्ड, सिल्वर तथा कांस्य पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि क्रमशः 6 करोड़ रुपये, 4 करोड़ रुपये एवं 2 करोड़ रुपये तथा इसी प्रकार टीम वर्ग में क्रमशः 3 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये एवं 1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जायेगी। ओलम्पिक में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को 10 लाख रुपये की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जायेगी।
- राज्य के भूतपूर्व खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता की राशि दो गुनी करते हुए क्रमशः 10,000 रुपये, 6,000 रुपये एवं 4,000 रुपये प्रतिमाह दिये जाने एवं अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित खिलाड़ियों को 20,000 रुपये प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- खिलाड़ियों को कुशल प्रशिक्षण देने के लिये अच्छे प्रशिक्षकों की उपलब्धता बनाये रखने हेतु उनके मानदेय में दुगनी वृद्धि की गई है जिससे खिलाड़ियों की प्रतिभा में निखार आ सके।
- अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें राजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान किये जाने की नीति बनाई गई है।

कमजोर वर्गों की सामाजिक सुरक्षा और हिस्सेदारी के लिए

- ''समाजवादी पेंशन योजना'' के लिये वर्ष 2015–2016 के लिये 45 लाख लाभार्थी का लक्ष्य रखा गया था जिसके लिये 2,727 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जिसे वर्ष 2016–2017 में बढ़ाकर 3,327 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है जिससे 55 लाख लाभार्थियों को आच्छादित किया जा सकेगा।
- वृद्ध एवं अशक्त जनों के लिये गृहों के संचालन हेतु 60 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण हेतु अधिकरण/अपीलीय अधिकरण के संचालन के लिये 6 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना हेतु 1,550 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु पूर्व दशम्/दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिये लगभग 1,950 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु पूर्वदशम्/दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिये लगभग 1,092 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सामान्य वर्ग के छात्रों हेतु पूर्वदश्म/दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए लगभग 683 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को शादी हेतु आर्थिक सहायता के लिये क्रमशः 121 करोड़ रुपये, 1 करोड़ 30 लाख रुपये, 154 करोड़ रुपये, 82 करोड़ रुपये तथा 41 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सीवर सफाई के दौरान मृत होने वाले सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की नई योजना लायी जा रही है जिसके लिये 2 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जाने की योजना हेतु 340 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- रिक्शा चालकों से उनके रिक्शा लेकर उन्हें निःशुल्क मोटर/बैटरी चालित ई–रिक्शा दिये जाने की योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राजीव आवास योजना के अन्तर्गत 60 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ''सबके लिये आवास (शहरी मिशन)'' योजना हेतु 277 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

विकलांग कल्याण

- डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के अवशेष निर्माण कार्यों, विशिष्ट स्टेडियम के निर्माण तथा कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना हेतु क्रमशः 28 करोड़ रुपये, 35 करोड़ रुपये तथा 35 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मूकबधिर बालिकाओं को शिक्षित करने एवं समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इण्टरमीडिएट तक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु जनपद गोरखपुर में राजकीय संकेत इण्टरमीडिएट विद्यालय की स्थापना के लिये 4 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मूकबधिर बालक/बालिकाओं के लिये दो जनपदों में आवासीय संकेत इण्टर कालेजों की स्थापना हेतु 4 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- दृष्टिबाधित बालिकाओं को शिक्षित करने एवं समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इण्टरमीडिएट तक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु जनपद बांदा एवं मेरठ में राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इण्टर कालेज की स्थापना के लिये 4 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

महिला एवं बाल कल्याण

महिलायें और बच्चे हमारी जनसंख्या के आधे से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारी सामाजिक–पारिवारिक व्यवस्था और खुशहाली का आधार है। महिलाओं और बच्चों की विशेष देखभाल और उनका संरक्षण हमारा सामाजिक और नैतिक दायित्व है।

- गर्भवती महिलाओं हेतु फीडिंग कार्यक्रम के लिये 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अति कुपोषित बच्चों की फीडिंग योजना के लिये 125 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है।
- पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिये 541 करोड़ रुपये एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति की निराश्रित महिलाओं के लिये 96 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित वृद्ध महिला आश्रम योजना के लिये रुपये 6 करोड़ 50 लाख रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- रानी लक्ष्मी बाई आशा ज्योति केन्द्र की स्थापना के अन्तर्गत एक ही छत के नीचे महिला हेल्प लाइन, महिला थाना, कानूनी सहायता, कौशल सुधार अल्पावास, पीड़िता के उपचार हेतु चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 11 जनपदों में यह योजना संचालित की जा रही है। इसके लिये 12 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों को इको चाईल्ड फ्रेन्डली बनाये जाने हेतु व अतिरिक्त टॉयलेट व किचन की व्यवस्था कर उच्चीकरण किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2016–2017 में 2,000 आंगनवाड़ी केन्द्रों के उच्चीकरण का लक्ष्य है जिसके लिये 13 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बाल पुष्टाहार कार्यक्रम के लिये 3,220 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यक कल्याण

वर्ष 2015–2016 में 100 अरबी फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिया गया और 46 मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

- अल्पसंख्यक समुदाय की पूर्वदशम् कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 2016–2017 में 537 करोड़ रुपये, दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु 153 करोड़ रुपये तथा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
- मान्यता प्राप्त मदरसों/मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ–साथ आधुनिक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु 394 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अल्पसंख्यक समुदाय के बहुमुखी विकास और अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट प्लान के लिये 395 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- दारूल मुन्सफीन (शिल्पी एकेडमी), आजमगढ़ को पुस्तकालय निर्माण के लिये 05 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
- कब्रिस्तानों की चाहरदीवारी बनवाने के लिये धनराशि 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दी गई है।
- उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी में उर्दू मास कम्युनिकेशन एण्ड मीडिया सेन्टर खोला जायेगा।

बुनकरों के लिए

- पॉवरलूम विकास योजना के लिये 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- 60 वर्ष से अधिक आयु के हथकरघा बुनकरों के लिये पेंशन योजना हेतु 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पॉवरलूम बुनकरों की भांति हथकरघा बुनकरों को रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति कराने हेतु 5 करोड़ रुपये तथा धुनकरों को सस्ती दर पर विद्युत आपूर्ति कराने हेतु 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

समाज को स्वस्थ रखने में सार्वजनिक चिकित्सा सेवाओं का विशेष महत्व है। निर्धन, निम्न आय और मध्यम आय वर्गीय परिवारों को सार्वजनिक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवायें मुफ्त या अल्प फीस पर सुलभ कराने के लिये हमारी सरकार ने विगत वर्षो में उल्लेखनीय प्रयास किये हैं।

- प्रदेश की जनता को राजकीय चिकित्सालयों में एक्स–रे, अल्ट्रासाउण्ड एवं पैथोलॉजी जांचों की सुविधा निःशुल्क कर दी गयी है।

- प्रदेश के 18 मण्डलीय जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस सेन्टर की स्थापना किया जाना प्रक्रियाधीन है।
- प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में प्लास्टिक एवं बर्न यूनिटों की स्थापना हेतु 6 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- दवाओं की खरीद की मद में 519 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2015–2016 की तुलना में 58 करोड़ रुपये अधिक है।
- उपकरणों के क्रय हेतु 306 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। शहरों और गांवों के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र के चिकित्सालयों की स्थापना, शैय्या वृद्धि तथा उपकरणों की व्यवस्था हेतु 37 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना में 6 लाख परिवारों को चिकित्सा का लाभ उपलब्ध कराने हेतु 20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिये 4,576 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित की गई है।
- वर्ष 2016–2017 में 30 राजकीय चिकित्सालयों में स्वतंत्र विद्युत फीडर के लिये 19 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इस प्रकार प्रदेश में वर्तमान में स्थापित सभी राजकीय चिकित्सालयों में स्वतंत्र फीडर के माध्यम से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का लक्ष्य है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 50 शैय्या वाले चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 10 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- शहरी क्षेत्रों में 50 शैय्या वाले संयुक्त/महिला व अन्य चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जामिया हॉपिटल, पीलीकोठी, वाराणसी को ऑपरेशन थियेटर के सुदृढ़ीकरण हेतु डेढ़ करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

खाद्य तथा रसद

- प्रदेश के 10 जनपदों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती दरों पर डबल फोर्टीफाइड नमक के वितरण के लिये लगभग 134 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 प्रदेश में प्रथम चरण में जनवरी, 2016 से 28 जनपदों में लागू कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण में शेष 47 जनपदों में मार्च, 2016 से लागू किया जायेगा।
- मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का व्यापक कम्प्यूटरीकरण कराया गया है। लगभग 3 करोड़ 87 लाख राशन

कार्डों का डाटाबेस तैयार किया गया तथा 3 करोड़ 77 लाख राशन कार्डों पर डिजिटल सिग्नेचर करके बेवसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है।

शांति, सुरक्षा और न्याय

महोदय, हमारा दृढ़ मत है कि सुदृढ़ कानून व्यवस्था एक सभ्य समाज की पहली आवश्यकता और पहचान है। जनसामान्य में सुरक्षा की भावना होना सामाजिक और आर्थिक विकास की आधारभूत आवश्यकता है।

- सेवाकाल के दौरान वीरतापूर्ण कार्य करते हुए शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के परिजनों को अहेतुक सहायता राशि में वृद्धि कर इसे रुपये 20 लाख कर दिया गया है।
- वीमेन पॉवर लाइन 1090 की सफलता के दृष्टिगत इस सेवा में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इसकी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
- डायल 100 सेवा के प्रदेश के व्यापक विस्तार के लिए 456 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पुलिस थानों तथा पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों का पहली बार मानकीकरण कराते हुये उन्नत एवं आकर्षक रूप प्रदान किया गया है जिससे पुलिस कर्मियों को राहत मिलेगी।
- पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु 216 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- समेकित यातायात प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करके शहर के यातायात को सुगम बनाया जायेगा। इस प्रणाली को प्रदेश के 12 महानगरों में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 111 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- स्मार्ट सिटी सर्विलांस सिस्टम लखनऊ नगर में नवम्बर, 2014 से लागू है और अब इसे 11 और नगरों में लागू किये जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए 161 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एन0डी0आर0एफ0) की भांति स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एस0डी0आर0एफ0) के गठन के लिए 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के थानों में 02–02 सी0सी0टी0वी0 कैमरे तथा सोलर फोटोवोल्टइक सेल लगाये जाने की योजना है।
- लखनऊ, इलाहाबाद, कन्नौज एवं झांसी में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

न्याय

- मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ के गोमती नगर में निर्माणाधीन नवीन भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु 400 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।
- अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा की स्थापना के लिये 25 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु स्वतंत्र फीडर की स्थापना के लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में 500 अतिरिक्त न्यायालयों के सृजन/संचालन हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अधीनस्थ न्यायालयों के सुरक्षा हेतु न्यायालय परिसर की बाउन्ड्रीवाल के सुदृढ़ीकरण हेतु 25 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।
- अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।

अधिवक्ता कल्याण

- अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ 40 करोड़ रुपये की धनराशि अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के निवर्तन पर रखा जाना प्रस्तावित है।
- युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु कार्पस फण्ड बनाए जाने के लिये 5 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कारागार प्रशासन एवं सुधार

- कारागारों के निर्माण कार्यों के लिये वित्तीय वर्ष 2015–2016 में 398 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016–2017 में 485 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कारागारों के निरुद्ध बन्दियों को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रथम चरण में 39 कारागारों में आर0ओ0 प्लाण्ट की स्थापना करायी जा रही है शेष कारागारों में वित्तीय वर्ष 2016–2017 में आर0ओ0 प्लाण्ट स्थापित कराये जाने का प्रस्ताव है।
- वित्तीय वर्ष 2015–2016 में 43 कारागारों में सी0सी0टी0वी0 सर्विलांस इकाईयों एवं 10 संवेदनशील कारागारों में मोबाइल फोन जैमर की स्थापना सम्बन्धी कार्य कराया जा रहा है। शेष कारागारों में सी0सी0टी0वी0 सर्विलांस व 10 संवेदनशील कारागारों में जैमर लगाये जाने की कार्यवाही वित्तीय वर्ष 2016–2017 में कराये जाने का प्रस्ताव है।

- प्रदेश के अवशेष समस्त कारागारों व जनपद न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग प्रणाली की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। ई–प्रिजन योजना लागू किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
- जनपद ललितपुर में नवीन जिला कारागार का निर्माण कराये जाने हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

वन, वन्य जीवन, पर्यावरण एवं पर्यटन

पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने में वनावरण, वन्य जीवन और वृक्ष आच्छादन के महत्व के मद्देनजर हमारी सरकार ने प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण बढ़ाने के लिये विशेष प्रयास किये हैं। वन्य जीवन के संरक्षण और संवर्द्धन पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु वन विभाग का नाम परिवर्तित कर वन एवं वन्य जीवन विभाग किये जाने का निर्णय लिया गया है।

- फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया की नवीनतम रिपोर्ट, 2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण में वर्ष 2013 की तुलना में 112 वर्ग किलोमीटर (0.11 प्रतिशत) की वृद्धि हुयी है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाले पांच राज्यों में सम्मिलित है।
- प्रदेश में वर्ष 2015–2016 में 5 करोड़ 61 लाख पौधों का रोपण किया गया है जिसे गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है। प्रदेश में वन क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश की पौधशालाओं में उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार किये जा रहे हैं।
- पक्षियों के संरक्षण के लिये जागरूकता पैदा करने के लिये आगरा के राष्ट्रीय चम्बल सेन्चुरी में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया तथा प्रत्येक जनपद में बर्ड वाच कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- दुधवा टाइगर रिजर्व के विकास के लिये 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- हैनोवर, जर्मनी स्थित चिड़ियाघर के आधार पर नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ के विकास हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था तथा तितली पार्क के निर्माण के लिये 1 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर प्राणि उद्यान में भी तितली पार्क का निर्माण कराया जायेगा जिसके लिये 1 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्ताव है।
- जनपद सीतापुर में आचार्य नरेन्द्र देव स्मृति पार्क की स्थापना के लिये 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वर्ष 2016–2017 में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किये जाने, मयूर संरक्षण केन्द्र की स्थापना किये जाने, नवाबगंज पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार तथा लाख

बहोसी पक्षी विहार का विकास किये जाने के लिये 5 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- शेखा झील, अलीगढ़ को राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किये जाने के लिये 1 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वेटलैण्ड्स के ईकोलाजीकल तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट के लिये 2 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वन्य जीवों से सम्बन्धित प्रशिक्षण की स्थाई व्यवस्था के लिये वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
- वर्ष 2015 में पर्यटन के प्रोत्साहन हेतु ट्रेवेल राइटर्स कानक्लेव का आयोजन किया गया। जनपद आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हाट बैलून प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश में पहली बार किया गया।
- इसके अतिरिक्त गंगा महोत्सव, आजमगढ़ उत्सव तथा महाभारत उत्सव आदि का आयोजन भी किया गया।
- आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजगंज को जाने वाले मुख्य मार्गों का पुनर्निर्माण एवं उच्चीकरण, आगरा में मुगल म्युजियम की स्थापना, सैफई–इटावा में पर्यटन काम्प्लेक्स का निर्माण तथा पर्यटन पुलिस बल का गठन राज्य सरकार द्वारा कराया जा रहा है।

राजकोषीय सेवायें

वाणिज्य कर

वाणिज्य कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 57,940 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2015–2016 के बजट में निर्धारित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक है।

आबकारी शुल्क

आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 19,250 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2015–2016 के बजट में निर्धारित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक है।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 16,320 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2015–2016 के बजट में निर्धारित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक है।

वाहन कर

वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 5,124 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2015–2016 के बजट में निर्धारित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक है।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के बजट अनुमान

मान्यवर, अब मैं वित्तीय वर्ष 2016–2017 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

- प्रस्तुत बजट का आकार तीन लाख छियालीस हजार नौ सौ पैंतीस करोड़ रुपये (3,46,935 करोड़ रुपये) है जो वर्ष 2016–2017 के बजट के सापेक्ष 14.6 प्रतिशत अधिक है।
- इस आकार के बजट को वित्त पोषित करने हेतु बजट में संसाधनों की समुचित व्यवस्था की गई है जिसमें प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2015–2016 की अपेक्षा लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित है।
- बजट में तेरह हजार आठ सौ बयालीस करोड़ रुपये (13,842 करोड़ रुपये) की नई योजनायें सम्मिलित की गई हैं।

प्राप्तियां–

- वर्ष 2016–2017 में तीन लाख चालीस हजार एक सौ बीस करोड़ इकसठ लाख रुपये (3,40,120.61 करोड़ रुपये) की कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं।
- कुल प्राप्तियों में दो लाख इक्यासी हजार पांच सौ पचपन करोड़ चौवालीस लाख रुपये (2,81,555.44 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियां तथा अट्ठावन हजार पांच सौ पैंसठ करोड़ सत्रह लाख रुपये (58,565.17 करोड़ रुपये) की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं।
- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश दो लाख छः हजार आठ सौ तिरानवे करोड़ साठ लाख रुपये (2,06,893.60 करोड़ रुपये) है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश एक लाख पांच हजार छः सौ सैंतीस करोड़ दस लाख रुपये (1,05,637.10 करोड़ रुपये) सम्मिलित हैं।

व्यय

- कुल व्यय तीन लाख छियालीस हजार नौ सौ चौंतीस करोड़ अठहत्तर लाख रुपये (3,46,934.78 करोड़ रुपये) अनुमानित है।
- कुल व्यय में दो लाख तिरपन हजार तीन सौ चौवन करोड़ चौवन लाख रुपये (2,53,354.54 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा तिरानवे हजार पांच सौ अस्सी करोड़ चौबीस लाख रुपये (93,580.24 करोड़ रुपये) पूंजी लेखे का व्यय है।

- आयोजनागत पक्ष के व्यय के लिये एक लाख छब्बीस हजार छः सौ तिरासी करोड़ छियासठ लाख रुपये (1,26,683.66 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गयी है।

राजस्व बचत

- वर्ष 2016–17 में अट्ठाइस हजार दो सौ करोड़ नब्बे लाख रुपये (28,200.90 करोड़ रुपये) की राजस्व बचत अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा

- वित्तीय वर्ष 2016–17 में उनचास हजार नौ सौ साठ करोड़ अट्ठासी लाख रुपये (49.960.88 करोड़ रुपये) का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.04 प्रतिशत है। इसमें विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुनर्गठन योजना–''उदय'' के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले तेरह हजार तीन सौ तीन करोड़ रुपये (13,303 करोड़ रुपये) के बन्ध पत्र सम्मिलित हैं जिनकी राशि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 (यथासंशोधित) में निर्धारित वार्षिक ऋण सीमा के बाहर रखी जायेगी। इस राशि को छोड़ने पर राजकोषीय घाटा छत्तीस हजार छः सौ सत्तावन करोड़ अट्ठासी लाख रुपये (36,657.88 करोड़ रुपये) होता है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है।
- राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 30.3 प्रतिशत अनुमानित है। राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने की निर्धारित सीमा के अन्दर ही ऋण लिया जायेगा।

समेकित निधि

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात ्छः हजार आठ सौ करोड़ सत्रह लाख रुपये (6,814.17 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित है।

लोक लेखा

लोक लेखे से सात हजार दो सौ करोड़ रुपये (7,200 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं।

समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम

वर्ष 2016–17 में समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम तीन सौ पचासी करोड़ तिरासी लाख रुपये (385.83 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

अन्तिम शेष

वर्ष 2016–17 में प्रारम्भिक शेष एक सौ उनासी करोड़ पचपन लाख रुपये (179. 55 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुए अन्तिम शेष पांच सौ पैंसठ करोड़ अड़तीस लाख रुपये (565.38 करोड़ रुपये) होना अनुमानित है।

मान्यवर, मैं मंत्रि–परिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं प्रमुख सचिव, वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है। मैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूं। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिये अपना आभार प्रकट करता हूं।

मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश के हर व्यक्ति का आह्वान करता हूं कि हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को तेजी से विकास और तरक्की के रास्ते पर ले जाने की दिशा में मिलकर काम करें और सरकार की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में कदम–से–कदम मिलाकर काम करेगी।

ख्समय 13.35,

मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश के हर व्यक्ति का आह्वान करना हूं कि हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को तेजी से विकास और तरक्की के रास्ते पर ले जाने की दिशा में मिलकर काम करें और मैं सरकार की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में कदम से कदम मिलाकर काम करेगी।

अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी प्राथमिकताएं गांव, गरीब, किसान हैं। गरीब कहीं भी हो, उसकी आंख के आंसू पोंछना और उसके चेहरे पर मुस्कान लाना हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा है। हमारे लिए समाजवाद का मतलब भूखे–नंगे, मैले–कुचले तथा निराशा में रहना नहीं है। हमारे लिए समाजवाद का मतलब है चारों तरफ प्रगति, सभी के लिए समानता और खुशहाली। हम समाजवाद के उन लक्ष्यों को आधुनिक डिजिटल तकनीक के साथ अपने परिश्रम को जोड़ करके प्राप्त करना चाहते हैं। हम हमारी सरकार द्वारा दी जा रहीं सेवाओं और सुविधाओं में गति, पारदर्शिता एवं जवाबदेही भी लाए हैं। सड़क, बिजली, ऊर्जा तथा अन्य अवस्थापना सुविधाएं हमारी महत्वपूर्ण उच्चतम प्राथमिकताएं हैं। समाजवाद की इस गतिशील सोच के साथ हम प्रदेश की समृद्धि के नये द्वार खोल रहे हैं। मान्यवर, मैं अपने भाषण के अन्त में यही कहना चाहूंगा कि अपनी सारी कोशिशें, परिश्रम और ईमानदारी के बावजूद बिना सबके सहयोग के इस बड़े राज्य में सुखद परिवर्तन सम्भव नहीं है।

हजारों रंग, खुशबू, नस्ल के फल–फूल, पौधे हैं
मगर उपवन की इज्ज़त, आबरू, ईमान सबका है।

(सदन में मेजों की थपथपाहट)

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक वित्तीय वर्ष 2016–2017 का प्रदेश का बजट प्रस्तुत करता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अध्यक्ष जी, इस बजट में विशेष रूप से नौजवानों, दलितों और गांव के गरीबों की घोर उपेक्षा हुई है।

श्री अध्यक्ष–

मौर्य जी, ये सब तो आप अपने भाषण में कहिएगा जब आप पत्रकारों के बीच में जाएंगे। यहां यह परम्परा कहां है, यहां तो परम्परा है नहीं, यह परम्परा बाहर है मौर्य जी और आपने ही यह परम्परा डाली है। यह सब आप बाहर कहेंगे, यह परम्परा यहां नहीं है। जब आप भाषण करिएगा तो पूछिएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, स्पष्टीकरण तो पूछ लें।

श्री अध्यक्ष–

यहां अब कुछ नहीं होगा। बजट प्रस्तुत हो गया है, अब नियम–301 की सूचनाएं ली जाएंगी। आपको जो कहना होगा, आपको अपने भाषण में कहने का अवसर मिलेगा और मुख्य मंत्री जी जब बयान देंगे तो उस समय स्पष्टीकरण मिलेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, यह बजट पूरी तरह से जन विरोधी है।

श्री अध्यक्ष–

देखिए, यहां इसका कोई मतलब नहीं है। यह सब आप बाहर जा के कहिए, यहां सदन में नहीं कहेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, इस जन विरोधी बजट के विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने दल सहित सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष–

पहले जब कांग्रेस वाले गए तो आप नहीं गए, अब आप जा रहे हैं।

ख्समय 01.45, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब हम नियम–301 की सूचनायें लेंगे। आज दिनांक 12–02–2016 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 37 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें से 15 सूचनाएं स्वीकृत हुईं।

पहली सूचना श्री नीरज 'कुशवाहा' मौर्य की जनपद शाहजहांपुर के ग्राम कबरा पश्चिमी ब्लाक मिर्जापुर की स्त्रोत नदी की छाड़ पर पुल/रपटा बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री दलजीत सिंह की बुन्देलखण्ड के पिछड़े जनपद बांदा के विभिन्न विकास खण्डों में सिंचाई की समस्या को देखते हुए राजकीय नलकूप लगवाए जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री मनीष असीजा की फिरोजाबाद में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु प्रस्तावित राजस्व विभाग की भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित कर यथाशीघ्र मेडिकल कालेज का निर्माण प्रारम्भ कराए जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री सन्त प्रसाद की खजनी विधान सभा गोरखपुर के खजनी भैंसा बाजार महादेवा सिकरीगंज के उच्चीकरण होने से जल भराव के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

पांचवी सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के 15 हजार की आबादी वाले बहुसंख्यक ग्राम पंचायत कारीकान धाता को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

छठीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी की जनपद सहारनपुर के गंगोह विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कतिपय खराब सड़कों एवं नालों का निर्माण कराये जाने के संबंध में है।

सातवीं सूचना श्री अजीमुल हक पहलवान की है। (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं सदन में अनुपस्थित रहने पर)

आठवीं सूचना श्री काली चरन सुमन की जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सीवर लाइन एवं ध्वस्त सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में है।

नौवीं सूचना श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया की लखीमपुर के तहसील धौरहरा के अंतर्गत ग्राम हरसिंहपुर से देवीपुरवा के मध्य नाले पर रपटा/पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है।

(माननीय सदस्य द्वारा अपनी सूचना को सदन में पढ़ा गया)

दसवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के तिलहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निगोही तिलहर मार्ग पर ग्राम वीरसिंहपुर के आगे क्षतिग्रस्त सड़क का यथाशीघ्र निर्माण कराये जाने के संबंध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की जनपद गोरखपुर तहसील गोला विधान सभा चिल्लूपार के अंतर्गत ग्राम खखाइजखोर में बन्द विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के संबंध में है।

बारहवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के बलदेव विधान सभा क्षेत्र की ब्लाक राया एवं बलदेव की विभिन्न क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराये जाने के संबंध में है।

तेरहवीं सूचना डॉ0 मो0 अय्यूब की प्रदेश के किसानों को गो–वंश (बछड़े, बैल) का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के संबंध में है।

(माननीय सदस्य द्वारा अपनी सूचना को सदन में पढ़ा गया।)

चौदहवीं सूचना श्री आलमबदी की जनपद आजमगढ़ निजामाबाद क्षेत्र के अंतर्गत दो निर्माणाधीन पुलों पर विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन कराये जाने के संबंध में है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के अमरिया की जगह गजरौलाकला को नवीन तहसील बनाये जाने के संबंध में है। चूंकि एक माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिए उनके स्थान पर माननीया सदस्य श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की सूचना ली जाती है। सभी स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई वे क्रमशः श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इरफान सोलंकी, श्री ममतेश शाक्य, श्री रविन्द्र भड़ाना, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, डॉ0 अरुण कुमार, श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञाजेन्द्र प्रताप, श्री जगराम पासवान, श्री संजय प्रताप जयसवाल, श्री अंसार अहमद, श्री उमाशंकर, श्री कुलदीप सिंह सेंगर, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री मो0 जासमीर अंसारी, श्री दलवीर सिंह, श्री पंकज कुमार मलिक।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम कबरा पश्चिमी, ब्लाक मिर्जापुर की स्रोत नदी की छाड़पर पुल/रपटा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नीरज 'कुशवाहा' मौर्य–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद शाहजहांपुर ग्राम कबरा पश्चिमी ब्लाक मिर्जापुर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उक्त स्थान पर पुल/रपटा न होने के कारण वहां जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों का आवागमन में सुविधा न होने के फलस्वरूप नाव अथवा अन्य किसी अन्य वैकल्पिक

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता है। उक्त स्थान की स्थिति इतनी विकराल है कि प्रायः बीमार एवं बुजुर्ग लोगों का समय से इलाज भी नहीं मिल पाता है।

अतः जनहित में उक्त स्थान पर पुल/रपटा बनाये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।,

बुन्देलखण्ड के पिछड़े जनपद बांदा के विभिन्न विकास खण्डों में सिंचाई की समस्या को देखते हुए राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलजीत सिंह–

ख्मान्यवर, जनहित के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि बुन्देलखण्ड के पिछड़े जनपद बांदा में सिंचाई की मूलभूत समस्या जस की तस बनी हुयी है। इस संदर्भ में मुख्य मंत्री जी के बांदा आगमन पर भी सिंचाई की समस्या से अवगत कराया गया था। सिंचाई की सुविधा न होने से किसानों को परिवार के भरण–पोषण व आर्थिक तंगहाली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। किसानों को सिंचाई हेतु जनपद के निम्न क्षेत्रों में राजकीय नलकूप स्थापित कराया जाना जनहित में न्यायसंगत एवं अति आवश्यक है :–1–विकास खण्ड–जसपुरा, ग्राम–मडौलीकलां प्रस्तावित स्थल क्षेत्र व कृषक नाम गाटा सं0 श्री देवी दयाल सिंह। 2–विकास खण्ड–जसपुरा, ग्राम–नरायढ़ प्रस्तावित स्थल क्षेत्र व कृषक नाम गाटा सं0–341 श्री रंजीत पुत्र दानी। 3–विकास खण्ड–महुआ, ग्राम–बिलगांव, प्रस्तावित स्थल क्षेत्र व कृषक नाम गाटा सं0–270 श्री कमलेश पुत्र रामगोपाल माली। 4–विकास खण्ड–कमासिन, ग्राम–कुमेढासानी, प्रस्तावित स्थल क्षेत्र व कृषक नाम गाटा सं0–778 श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र राम प्रकाश। 5–विकास खण्ड–बड़ोखर, ग्राम–लुकतरा, प्रस्तावित स्थल क्षेत्र व कृषक नाम गाटा सं0–2928 श्री मिथिलेश। 6–विकास खण्ड–बड़ोखर, ग्राम–मौदहा, प्रस्तावित स्थल क्षेत्र व कृषक नाम गाटा सं0–465 श्री जयगोपाल सिंह। 7–विकास खण्ड–बड़ोखर, ग्राम–महोखर, प्रस्तावित स्थल क्षेत्र व कृषक नाम गाटा सं0–32/2916 श्री शिवलखन सिंह। 8–विकास खण्ड–बड़ोखर, ग्राम–बरगहनी, प्रस्तावित स्थल क्षेत्र व कृषक नाम गाटा सं0–185 श्री अमर सिंह। 9–विकास खण्ड–बड़ोखर, ग्राम–चिल्ली, प्रस्तावित स्थल क्षेत्र व कृषक नाम गाटा सं0–96 श्री राममिलन कुशवाहा। 10–विकास खण्ड–बड़ोखर, ग्राम लुकतरा, प्रस्तावित स्थल क्षेत्र व कृषक नाम गाटा सं0–2412 श्री वरुण कुमार। 11–विकास खण्ड–जसपुरा, ग्राम–चन्दवारा, प्रस्तावित स्थल क्षेत्र व कृषक नाम गाटा सं0–700 श्री रामेन्द्र सिंह पुत्र पल्लू सिंह। 12–विकास खण्ड–बड़ोखर, ग्राम–मौदहा, प्रस्तावित स्थल क्षेत्र व कृषक नाम गाटा सं0–305 श्री श्याम लाल यादव। 13–विकास खण्ड–बड़ोखर, ग्राम–करहिया, प्रस्तावित स्थल क्षेत्र व कृषक नाम गाटा सं0–844 श्री कृष्ण कुमार। 14–विकास खण्ड बड़ोखर, ग्राम–लुकतरा, प्रस्तावित स्थल क्षेत्र व कृषक नाम गाटा सं0–513 श्री अरविन्द कुमार। 15–विकास खण्ड–बड़ोखर, ग्राम–लुकतरा, प्रस्तावित स्थल क्षेत्र व कृषक नाम गाटा सं0–2256 श्री

इन्द्रजीत सिंह। 16–विकास खण्ड बड़ोखर, ग्राम–पचुल्ला, प्रस्तावित स्थल क्षेत्र व कृषक नाम गाटा सं0–241 श्री भगवती प्रसाद पुत्र मोती लाल। 17–विकास खण्ड–बड़ोखर, ग्राम–मटौंध ग्रामीण, प्रस्तावित स्थल क्षेत्र व कृषक नाम गाटा सं0–5285 श्री रामराजेश पुत्र जगदीश सिंह। 18–विकास खण्ड–बड़ोखर, ग्राम–रेहुन्डा 'करबई', प्रस्तावित स्थल क्षेत्र व कृषक नाम गाटा सं0–64 सैयद फारुख अली पुत्र निजाम अली। 19–विकास खण्ड–बड़ोखर ग्राम–रेहुन्डा 'करबई', प्रस्तावित स्थल क्षेत्र व कृषक नाम गाटा सं0–104 श्री सुखलाल वर्मा पुत्र रामचरन तथा 20–विकास खण्ड–जसपुरा, ग्राम–तरौड़ा, प्रस्तावित स्थल क्षेत्र व कृषक नाम गाटा सं0–2602 श्री जयकरन सिंह पुत्र भूरा।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त स्थलों पर राजकीय नलकूप की स्थापना हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

फिरोजाबाद में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु प्रस्तावित राजस्व विभाग की भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तानान्तरित कर यथाशीघ्र मेडिकल कालेज का निर्माण प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा–

ख्मान्यवर, नगर फिरोजाबाद में केन्द्र द्वारा ऐसे जिले जिनमें सरकारी अथवा निजी क्षेत्र का मेडिकल कालेज नहीं है, उन जिलों के लिये ''इस्टेबलिशमेन्ट आफ न्यू मेडिकल कालेजेज अटैच्ड विद एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हास्पिटल'' योजना में फिरोजाबाद के जिला अस्पताल का चयन हो गया है।

उक्त परियोजना की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा लागत रु0 189 करोड़ अनुमानित की गयी है एवं योजना का फडिंग पेटर्न 75:25 है।

परन्तु परियोजना स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को भेजी गयी राजस्व विभाग की भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित न होने के कारण मेडिकल कालेज की स्थापना अभी महज कागजों में ही रुकी पड़ी हैं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए फिरोजाबाद में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु प्रस्तावित राजस्व विभाग की भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित कर केन्द्र सरकार को भेजने एवं यथाशीघ्र मेडिकल कालेज के निर्माण को आरम्भ कराये जाने की मांग करता हूं।,

खजनी विधान सभा क्षेत्र गोरखपुर के खजनी भैसा बाजार महादेवा सिकरीगंज के उच्चीकरण होने से जलभराव के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्त प्रसाद–

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

ख्मान्यवर, खजनी, भैसा बाजार, महादेवा बाजार, सिकरीगंज मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण होने के कारण पहले से बनी सड़कों के किनारे नाली टूट गयी। पुनः जल निकासी के लिये चौराहों पर कोई नाली नहीं बनायी गयी जिसके कारण खजनी–भैसा बाजार बहुरीपार, महादेवा बाजार देवरा बाजार, सिकरीगंज चौराहों पर पानी भर जाता है। जिससे जल जनित बीमारी फैल रही है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए महादेवा बाजार, भैसा बाजार, खजनी, सिकरीगंज, देवरा बाजार आदि चौराहों पर जल निकासी हेतु तत्काल नाली का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के 15 हजार की आबादी वाले बहुसंख्यक ग्राम पंचायत कारीकान धाता को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान–

ख्मान्यवर, जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के अन्तर्गत कारीकान धाता 15 हजार की आबादी वाली बहुसंख्यक ग्राम पंचायत है। बहुत बड़ी आबादी वाली बहुसंख्यक क्षेत्र होने के कारण विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जनहित में विकास कार्य की दृष्टि से इस ग्राम पंचायत को नगर पंचायत घोषित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। काफी समय से इस ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाये जाने की मांग की जा रही है। परन्तु इस बहुसंख्यक आबादी वाले ग्राम पंचायत को निराशा ही हाथ लगी।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ग्राम पंचायत कारीकान धाता को नगर पंचायत घोषित किये जाने हेतु की मांग करती हूं।,

जनपद सहारनपुर के गंगोह विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय खराब सड़कों एवं नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी–

ख्मान्यवर, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र गंगोह, जनपद–सहारनपुर के अन्तर्गत सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब है। इनका प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। इनकी खराब स्थिति होने के कारण आवागमन बाधित होता है, जिससे जन–सामान्य को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

---

uksV %&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

1–गंगोह से चौसाना मार्ग पर मछरौली के पास सड़क व नाले का निर्माण कार्य।

2–ग्राम सांगाठेड़ा से जानखेड़ा मार्ग पर खैरसाल से जानखेड़ा मार्ग पर सड़क व नाला निर्माण का कार्य।

3–ग्राम–टिडौली से ढायकी तक सड़क के मरम्मत व अधूरा भाग का निर्माण कार्य।

4–कस्बा–गंगोह से वाया हमजागड़ कलसी मार्ग पर कलसी की ओर अधूरे भाग का निर्माण/मरम्मत कार्य।

5–ग्राम–मोहड़ा से बिलासपुर ततारपुर कला इण्टर कालेज तक नवर्निर्माण कार्य।

6–दूधला बस अड्डे के पास से जेहरा तक नवर्निर्माण।

7–ग्राम–सिकन्दरपुर से वाया सरकड होते हुए कुण्डा कला तक जाने वाले मार्ग पर सरकड के आबादी भाग का मरम्मत कार्य।

8–रामपुर बड़गांव मार्ग से गाड़ेवाला तक सड़क निर्माण कार्य।

9–ग्राम–सिरसली कला से सिरसली खुर्द तक सड़क का मरम्मत कार्य।

10–ग्राम–हज्जीपुर से अलीपुरा तक सड़क निर्माण कार्य।

प्रकरण जनहित एवं लोकमहत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सीवर लाइन एवं ध्वस्त सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कालीचरन सुमन–

ख्मान्यवर, कृपया आपको अवगत कराना है कि सड़क में पानी भराव एवं बड़े–बड़े गड्ढे हैं उपरोक्त सड़क में गड्ढे व पानी भराव एवं नाली निर्माण जल निकासी न होने के कारण गन्दा पानी सड़क में बहता रहता है। उपरोक्त सड़क निर्माण एवं नाली निर्माण सीवर लाइन डालने के कारण देवरी रोड पर नगला कली से सैमरी, सैमरी का ताल से एस0एस0 पब्लिक स्कूल होता हुआ सेवला ग्वालियर रोड तक सीवर लाइन के कारण सम्पूर्ण सड़कें खोदी गयी थीं, जिसके कारण मात्र खानापूर्ति करके छोड़ दी गयी, जिसके कारण आवागमन बाधित है, सड़कें ध्वस्त हैं। जिसको ठीक कराने हेतु मा0 मंत्री मोहम्मद आजम खां नगर विकास के दिनांक 10–03–2015 के निर्देशन पर मुख्य अभियन्ता जल निगम आगरा द्वारा प्राक्कलन बनाकर सड़क निर्माण हेतु सम्बन्धित विभाग को प्रेषित किया जा चुका है। उक्त सड़क निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य न होने से

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

क्षेत्रीय जनता/निवासियों, राहगीरों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे कई बार सड़क दुर्घटनायें होती रहती हैं। प्रशासन/शासन को अवगत कराया गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से जनहित में जनपद आगरा के उपरोक्त सड़कों का धन आवंटित कर सीवर लाइन के कारण ध्वस्त सड़कों को ठीक करायें नाली निर्माण कार्य कराये जाने की कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूं।,

लखीमपुर के तहसील धौरहरा के अन्तर्गत ग्राम हरसिंहपुर से देवीपुरवा के मध्य नाले पर रपटा/पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया–

ख्मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि मेरे जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील धौरहरा के अन्तर्गत ग्राम हरसिंहपुर से देवीपुरवा के मध्य नाले पर रपटा/पुल निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। पुल का निर्माण न होने से आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। यहां की क्षेत्रीय जनता एवं हजारों लोगों को आने–जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे सरकार के प्रति क्षेत्रीय जनता में काफी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त नाले पर रपटा/पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद शाहजहांपुर के तिलहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निगोही तिलहर मार्ग पर ग्राम वीरसिंहपुर के आगे क्षतिग्रस्त सड़क का यथाशीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा–

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद शाहजहांपुर की मेरी विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत विगत वर्षों में आई भीषण बाढ़ से निगोही तिलहर मार्ग पर ग्राम विरसिंहपुर के आगे लगभग 100 मीटर सड़क बह जाने से सड़क ने बड़े तालाब का रूप ले लिया है, जिससे वर्षा के मौसम में तहसील मुख्यालय जाने का रास्ता पूर्णरूप से बन्द हो जाता है। जिससे क्षेत्रीय जनता

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता के साथ आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। उक्त क्षतिग्रस्त सड़क के नहीं बनने से क्षेत्रीय जनता को तहसील मुख्यालय जाने हेतु 10 कि0मी0 दूरी की जगह लगभग 60 कि0मी0 से अधिक दूरी का रास्ता घूम कर जाना पड़ता है, जिससे क्षेत्रीय जनता को धनहानि का भी सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त मार्ग की मरम्मत करने हेतु कई बार स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से भी कई बार अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक सरकार द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत नहीं करायी जा सकी है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार से उपरोक्त क्षतिग्रस्त सड़क का यथाशीघ्र निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद गोरखपुर तहसील गोला विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के अन्तर्गत ग्राम खखाइजखोर में बन्द विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश त्रिपाठी–

ख्मान्यवर, संज्ञान में है कि जनपद गोरखपुर के तहसील गोला विधान सभा चिल्लूपार के अन्तर्गत ग्राम खखाइजखोर में विद्युत उपकेन्द्र 33 के0वी0ए0 का निर्माण कार्य पिछले छः वर्षों से बन्द पड़ा है। इस विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण पूरा न होने से विद्युत आपूर्ति में भारी बाधा आ रही है। इसी प्रकार उसी विधान सभा के रतनपुरा ग्राम में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य भी बन्द पड़ा हुआ है। उक्त दोनों उपकेन्द्रों के निर्माण कार्य पूरी तरह बन्द पड़ा है। जिससे क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त दोनों विद्युत उपकेन्द्रों को चलाये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद मथुरा के बल्देव विधान सभा क्षेत्र की ब्लाक राया एवं बल्देव की विभिन्न क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश–

ख्मान्यवर, जनपद मथुरा में हमारे बल्देव विधान सभा क्षेत्र की ब्लाक–राया एवं ब्लाक बल्देव के निम्न गांवों जो कि लोक निर्माण विभाग सी0डी0–1 मथुरा तथा लोक निर्माण प्रान्तीय खण्ड मथुरा के अन्तर्गत आती है। मरम्मत/नवर्निर्माण के अभाव में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। कोई भी अन्य निम्न ग्रामों का सम्पर्क मार्ग नहीं है। इन सड़कों के

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

मरम्मत नव निर्माण के अभाव में क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को आने–जाने में काफी परेशानी हो रही है। बरसात के समय में निम्न मार्ग बन्द हो जाते हैं। जनता को आने–जाने में काफी परेशानी होने के क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

1–मथुरा से सादाबाद मार्ग का शेष भाग।

2–परखम–ओल मार्ग से अछनेरा मार्ग।

3–परखम से ओल मार्ग।

4–ओल से भदेरूआ–बिरोना–चौकीपुरा–लुहारा मार्ग।

5–राया बल्देव मार्ग से गढ़ी रूपा तक ल0–700 मी0।

6–ग्राम मदैम से भोजुआ तक ल0–2.0 कि0मी0।

7–ग्राम मदैम से जगतिया तक ल0–1.0 कि0मी0।

8–राया से नगला सहसू व भवानी तक ल0–3.0 कि0मी0।

9–राया मथुरा मार्ग से सिरिया की नगरिया तक ल0–800 मी0।

10–राया मथुरा मार्ग से दीवाना खुर्द तक ल0–1.0 कि0मी0।

11–सादाबाद मार्ग से सौंखखेड़ा तक ल0–5.0 कि0मी0।

12–सौंखखेड़ा से नगला हरी तक ल0–1.5 कि0मी0।

13–राया–सादाबाद मार्ग से रामपुर चौराहे से पवेसरा तक ल0–2.0 कि0मी0।

14–राया–सादाबाद मार्ग से जासा तक ल0–2.0 कि0मी0।

15–ग्राम नुनेरा से गढ़ी नन्दा तक ल0–1.5 कि0मी0।

16–राया–सादाबाद रोड से (अनोड़ा से) विजहरी तक ल0–4.0 कि0मी0।

17–राया–सादाबाद रोड से बल्टीगढ़ी तक ल0–4.0 कि0मी0।

18–राया–सादाबाद मार्ग से जुगसना तक ल0–4.0 कि0मी0।

19–राया–बल्देव मार्ग से नगला पीता (कटैला मारनर की पटरी) तक ल0–2.0 कि0मी0।

20–राया–सादाबाद मार्ग सारस से पड़राटी तक ल0–500 मी0।

21–राया–मथुरा मार्ग से गोंगा होते हुए नहर तक ल0–3.0 कि0मी0।

22–राया–माठ रोड से नीमगांव तिराहे से नगला होते हुए नगला सहसू तक ल0–4.0 कि0मी0।

23–राया–मथुरा मार्ग से सिहोरा होते हुए कारब तक ल0–4.0 कि0मी0।

24–बल्देव–कंजौली घाट ब्रिज रोड से नगला राधे–नगला बेर तक लगभग 3.00 कि0मी0 नव निर्माण।

25–राया बल्देव मार्ग से गुरसैनिया तक ल0–4.0 कि0मी0।

26–बरारी से ओल, लुहारा मार्ग।

27–फरह से अछनेरा मार्ग।

28–राया बल्देव मार्ग नगला दखनी होते हुए ककरेरिया तक ल0–1.5 कि0मी0।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़कों का नवर्निर्माण/विशेष मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।,

प्रदेश के किसानों को गो–वंश (बछड़े, बैल) का लाभकारी मूल्य दिलाये कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 मो0 अय्यूब–

ख्मान्यवर, प्रदेश में पशुपालन विभाग गरीब ग्रामीणों की आजीविका का प्रमुख आधार है। यह निर्बल भूमिहीन मजदूर, बेरोजगारों हेतु अतिरिक्त लाभ का साधन भी है। आदि काल से मनुष्य के जीवन का आधार गौ–उत्पाद एवं गौ–वंश रहा है। गाय से दूध, घी, दही, मक्खन पनीर मट्ठा, चीज उपलब्ध होता है और बैल खेत जोतने दावने, बैल गाड़ियों को खींचने में उपयोग होते रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक बदलाव व विज्ञान की उन्नति के साथ खेत जोतने में ट्रैक्टर माल को ढोने में ट्रैक्टर और ट्राली का तथा फसल को दावने में हारवेस्टर का इस्तेमाल होने लगा इस कारण बछड़े और बैलों का उपयोगिता नगण्य रह गयी है।

यह एक यर्थात सत्य है कि गाय के प्रजनन के पश्चात् 50 प्रतिशत बछड़े व 50 प्रतिशत बछिया ही पैदा होते हैं। 50 प्रतिशत बछड़े व बैल की उपयोगिता न होने से गरीब किसान को आर्थिक बोझ वहन करना पड़ता है। जो उसके आर्थिक संकट का मुख्य कारण बन गया है। किसान को उसके पशु उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिले यह सरकार का दायित्व है। अतः सरकार अपने इस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिये नीति की समीक्षा कर बछड़े व बैल का लाभकारी मूल्य किसान को मिलने की व्यवस्था करे, विकल्प के तौर पर (1) सरकार बछड़े व बैल को गो–वध निवारण अधिनियम एवं पशुक्रूरता अधिनियम से मुक्त कर दें। (2) या सरकार ऐसे पशुओं को उन राज्यों में बेचने की व्यवस्था करे जहां गो–वध प्रतिबन्धित नहीं है। (3) या बछड़े और बैलों को सरकार लाभप्रद मूल्य देकर खरीदे और उसके पालन पोषण की व्यवस्था करे। (4) या जो संस्थाएं, व्यक्ति धार्मिक आस्था के नाम पर गो–वध का विरोध करते हैं उनसे लाभप्रद

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

मूल्य लेकर उन्हें पालने–पोसने का दायित्व दें। (5) या अन्य कोई उपाय इस समस्या के समाधान के लिये सरकार लागू करें।

विदित हो कि ऐसी बांझ गायें और ऐसी गायें जो दूधारू नहीं हैं को भी बैलों और बछड़ों की श्रेणी में रखा जाये।

गो–वध निवारण विधेयक व पशु क्रूरता विधेयक की समीक्षा कर इसमें संशोधन लाया जाना आवश्यक है। असल पशु क्रूरता पशुओं का परिचालन के बजाय लावारिश छोड़े गये पशुओं पर होता है जो बाजारों में इधर–उधर पाये जाते हैं जिन्हें न तो भोजन मिलता है और न ही संरक्षण और साथ ही किसी समाज और व्यक्ति की आस्था की प्रतिपूर्ति की वजह से गरीब किसानों को बछड़े और बैलों का लाभप्रद मूल्य न मिले और कुपोषण से प्रभावित बच्चों को मांस की आपूर्ति नहीं हो पाती है।

अतः उन संस्थानों और व्यक्तियों पर सरकार का अतिरिक्त बोझ खत्म करने व गरीब किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिये यह आवश्यक है कि या तो यह धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति और संस्थाएं लाभप्रद मूल्य पर इन्हें खरीदें और पालें या सरकार इन्हें पालने की व्यवस्था करें और इन्हें पालने के लिये धार्मिक आस्था वाले व्यक्तियों व संस्थाओं से टैक्स के रूप में धन हासिल कर प्रतिपूर्ति करे।,

जनपद आजमगढ़ निजामाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत दो निर्माणाधीन पुलों पर विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलमबदी आजमी–

ख्मान्यवर, उपरोक्त के सम्बन्ध में मैं आप द्वारा मा0 मंत्री जी लोक निर्माण विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 2 पुल निर्माणाधीन हैं। यह पुल केवल 25 मी0 स्पेन के हैं। तीन साल से कार्य हो रहा है। सेतु निगम पुल बना रहा है। अभी पूरे पिलर की पाइलिंग भी पूरी नहीं हो सकी है।

निर्माण खण्ड–दो आजमगढ़ एप्रोच रोड बना रहा है। इनका कार्य भी इनकी लापरवाही का परिचय दे रहा है। इनके मिट्टी के कार्य पर ठीक से रोलर नहीं चला है और न ही स्लोप बना है और मिट्टी का कार्य भी अधूरा है। सेतु निगम और निगम और निर्माण खण्ड–दो में कोई तालमेल नहीं लगता है।

सेतु निगम अगर पुल के दोनों तरफ के पहले पिलर को पूरा करके उसकी रिटेनिंग वाल पूरी कर दे तो लोक निर्माण विभाग को मिट्टी का कार्य करने में कोई भी बाधा नहीं रह जायेगी। लेकिन होता यह है कि सेतु निगम रिटेनिंग वाल को बाद में बनाता है और फिर लोक निर्माण विभाग के मिट्टी के कार्य में लीपापोती के कारण जितने पुल भी बने हैं, एप्रोच रोड हर जगह बरसात में बह गयी है।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

विभाग को बाध्य किया जाय कि एप्रोच रोड का बरसात में बह जाने पर विभाग उत्तरदायी होगा।,

जनपद पीलीभीत के अमरिया की जगह गजरौला कलां को नवीन तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा–

ख्मान्यवर, जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत 1347 राजस्व गांव थे। जनपद शाहजहांपुर से 94 राजस्व गांव पृथक करके जनपद पीलीभीत में सम्बद्ध किये गये हैं। इस प्रकार जनपद पीलीभीत की तहसील पीलीभीत के अन्तर्गत 5 कानूनगो, परिक्षेत्र 105 लेखपाल परिक्षेत्र एवं 474 राजस्व गांव हैं। तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत 5 कानूनगो परिक्षेत्र, 103 लेखपाल परिक्षेत्र एवं 471 राजस्व गांव तथा तहसील पूरनपुर के अन्तर्गत 5 कानूनगो परिक्षेत्र, 108 लेखपाल परिक्षेत्र एवं 496 राजस्व ग्राम हैं। जनपद पीलीभीत में उक्त उल्लेखानुसार 316 लेखपाल परिक्षेत्र एवं 1441 राजस्व गांव हैं एक नवीन तहसील सृजन के लिये कम से कम 80 लेखपाल परिक्षेत्र एवं 350 राजस्व गांव होने चाहिए। इस क्रम में जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत एक नवीन तहसील का सृजन किया जाना सम्भव है। जनपद पीलीभीत की तीनों तहसील पीलीभीत, बीसलपुर एवं पूरनपुर के मध्य का स्तर गजरौलाकला है। जिसके नाम से नवीन तहसील सृजित किया जाना उपयुक्त है। जहां कि पुलिस स्टेशन, बैक्स, उच्च शिक्षा, बाजार एवं हर तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

ज्ञातव्य हो कि जनपद पीलीभीत में गांव अमरिया एवं तहसील को घोषित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। जिससे कि जनपद में आक्रोश एवं विरोध है साथ ही शासन पर वित्तीय भार होगा ही अपितु मानक के विपरीत तहसील परिक्षेत्रों का सृजन किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा कराये जाने की अनुज्ञा प्रदान करते हुए वांछनीय कार्रवाई करने की मांग करता हूं।,

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाग नगर के पत्थरबाडा में पेशकारों वाली गली तथा एस0डी0एम0 कालोनी में विद्युत कनेक्शनों के लिये तार, खम्भे एवं ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी–

ख्मान्यवर, जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर के पत्थरवाड़ा में पेशकारों वाली गली तथा एस0डी0एम0 कालोनी में गली नं0–1 में ओमवीर के मकान से अजय के

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA
uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

मकान तक की दूरी तक पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, बुलन्दशहर द्वारा वहां के निवासियों को अनेक विद्युत दिये गये हैं। लेकिन वहां पर सभी कनेक्शन लम्बी–लम्बी विद्युत केबिलों पर जारी किये गये हैं तथा तार एवं खम्भों की व्यवस्था नहीं की गयी है। जिसके कारण वहां पर दुर्घटनायें की आशंका बनी रहती है। इसके अतिरिक्त विद्युत चोरी की भी सम्भावना बढ़ जाती है। जनहित में वहां पर तार, खम्भे तथा ट्रांसफार्मर शीघ्र लगवाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करती हूं।,

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 12 फरवरी, 2016 को नियम–300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 02 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण कराये जाने के सम्बन्ध में है और दूसरी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की दिनांक 14 अगस्त, 2015 को जनपद पीलीभीत के जिलाधिकारी श्री मासूम अली सरबर द्वारा प्रोटोकाल का उल्लंघन कर विधायिका की उपेक्षा एवं उपहास करते हुए भेंट हेतु दूरभाष पर सूचना न दिये जाने एवं मा0 अध्यक्ष के निर्देशानुसार मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वांछित कार्रवाई सम्पन्न न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसमें कुछ नहीं है, इसे नहीं सुना जायेगा।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–02–2015 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)[४]

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुमति से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–02–2015 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2015 (दिनांक 14 अगस्त, 2015 से 27 अगस्त, 2015 तक) नियम–301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्रवाई का विवरण४

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

---

† Nkik ugha x;kA

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2015 (दिनांक 14–08–2015 से 27–08–2015 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या–14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन के वार्षिक लेखा वर्ष 2012–2013

संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे वर्ष 2012–2013 (01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक) को सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा–33 की उपधारा (4) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2016 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 11 फरवरी, 2016 को विधान परिषद् सचिवालय से प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 11 फरवरी, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–8 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–9।

उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2015–2016) का प्रथम प्रतिवेदन[*]

डा0 धर्म पाल सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2015–2016) का प्रथम प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† Nkik ugha x;kA

जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के आलमनगर वार्ड के अन्तर्गत सुमईया विहार की कच्ची सड़क व नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री रंजीत पाण्डेय आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री मो0 रेहान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के आलमनगर वार्ड के अन्तर्गत सुमईया विहार की कच्ची सड़क व नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री रंजीत पाण्डेय व श्री प्रकाश चन्द्र मौर्य निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के कन्हैया माधौपुर वार्ड के समनान गार्डेन ट्यूबवेल के पास कच्ची सड़क व नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री विनोद आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री मो0 रेहान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के कन्हैया माधौपुर वार्ड के समनान गार्डेन ट्यूवबेल के पास की कच्ची सड़क व नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री विनोद व श्रीमती शहाना बानों निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के न्यू हैदरगंज द्वितीय वार्ड के हंसखेड़ा में सांई मंदिर के पीछे की सड़क व जल निकासी हेतु नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री मुकेश पाण्डेय आदि निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री मो0 रेहान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के न्यू हैदरगंज द्वितीय वार्ड के हंसखेड़ा में सांई मंदिर के पीछे की सड़क व जल निकासी हेतु नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने विषयक श्री मुकेश पाण्डेय व श्री अर्जुन सिंह निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद की ग्राम सभा अशरफपुर मिधौल, बड़ी मिधौल के मध्य सेंडा नाले पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सियाराम आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री नीरज कुशवाहा, 'मौर्य'–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद की ग्राम सभा अशरफपुर मिधौल, बड़ी मिधौल के मध्य सेंडा नाले पर आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सियाराम व श्री बृजेश कुमार निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के भेलसर–रुदौली वार्ड में जफराबाद–लखनऊ रेल सेक्शन किमी 1006/3–4 पर स्थित समपार संख्या–143 बी पर 02 लेन उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अजीत प्रताप सिंह आदि निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री राम चन्द्र यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रुदौली के भेलसर–रुदौली यार्ड में जफराबाद–लखनऊ रेल सेक्शन किमी 1006/3–4 पर स्थित समपार सं0 143 बी पर 02 लेन उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अजीत प्रताप सिंह व श्री सत्य प्रकाश निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रुदौली की तहसील रुदौली में परिवहन निगम का डिपो बनाये जाने विषयक श्री सुरेश श्रीवास्तव आदि निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री रामचन्द्र यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रुदौली की तहसील रुदौली में परिवहन निगम का डिपो बनाये जाने विषयक श्री सुरेश श्रीवास्तव व श्री सचिन शास्त्री निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रुदौली के किसानों को सिंचाई हेतु स्थापित नौगवांडीह तथा रुदौली लघुडाल नहरों के आधुनिकीकरण कराने तथा सुचारु रूप से चलाने के लिये अलग से फीडर बनाकर विद्युत आपूर्ति कराये जाने विषयक श्री तेज तिवारी आदि निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री रामचन्द्र यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रुदौली के किसानों को सिंचाई हेतु स्थापित नौगवांडीह तथा रुदौली लघुडाल नहरों के आधुनिकीकरण कराने तथा सुचारु रूप से चलाने के लिए अलग से फीडर बनाकर विद्युत आपूर्ति कराये जाने विषयक श्री तेज तिवारी व श्री निर्मल शर्मा निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कुछ नहीं है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–12, 13, 14 व 15 में कुछ नहीं है। अब आगे 16 पर श्री राधेश्याम सिंह जी श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा प्रारम्भ करें।

'कृषि (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर) कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान तथा चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राधेश्याम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो माननीय सदस्य श्री गुलाम मोहम्मद जी ने प्रस्तुत किया है उस पर बल देने के लिए उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में बनी और सरकार बनने के पहले समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा–पत्र में जो भी घोषणा किया था उसे एक–एक करके समाजवादी पार्टी की सरकार ने 4 वर्षों के अन्दर अपनी एक–एक घोषणा पर अमल करके उसे पूरा करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के पूर्व में बसपा की सरकार थी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो प्रदेश का खजाना खाली था सड़कें बेहाल थी, गांवों का विकास नहीं हुआ था, सड़कें टूट गयी थीं, समाजवादी पार्टी की सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी। सड़कों के निर्माण में मरम्मत का काम, नई सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण 4 साल के अन्दर ऐतिहासिक रूप से समाजवादी पार्टी ने विकास की तरफ ध्यान देकर के उत्तर प्रदेश को विकसित करने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने सभी वर्गो से वायदा किया था कि इन्टर पास प्रतिभावान छात्रों को हम लैपटाप देंगे, हम कम्प्यूटर देंगे और उसको देने का काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने गन्ना किसानों के लिए भी अपने खजाने से 40 रुपया प्रति कुन्तल देने का काम किया। 280 रुपया प्रति कुन्तल, 290 रुपया प्रति कुन्तल जब समाजवादी पार्टी की सरकार गन्ना मूल्य तय किया उस समय चीनी के दाम 36 रुपया किलो था। आज केन्द्र सरकार की किसान विरोधी गलत नीति के कारण चीनी का मूल्य गिरता जा रहा है।

(इस समय 01 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री जियाउद्दीन रिजवी पीठासीन हुए)

ऐसी परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी की सरकार ने गन्ना किसानों के हित में फैसला लेते हुए 40 रुपये प्रति कुन्तल का मूल्य किसानों को देने का काम किया है। पूरे देश में हरियाणा को अगर छोड़ दें, तो किसी प्रदेश में 280 और 290 रुपये प्रति कुन्तल गन्ने का दाम नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में किसी चीनी मिल को बंद नहीं होने दिया। जब–जब उत्तर प्रदेश में गैर समाजवादी पार्टी की सरकारें बनी, तब–तब किसानों के ऊपर, चीनी मिलों के ऊपर ग्रहण लगाने का काम किया गया है। यहां जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, भाजपा की सरकार बनती है, तो प्रदेश की चीनी मिलों को बंद कर दिया जाता है। हमारे नेता प्रतिपक्ष कल गन्ने के सवाल पर बोल रहे थे, सौभाग्य से मेरे जनपद कुशीनगर से नेता प्रतिपक्ष भी चुनकर आते हैं और इन्हें सरकार में भी रहने का अवसर मिला है। यह बहुत मजबूत मंत्री थे, इनके विधान सभा क्षेत्र में दो चीनी मिलें पडरौना और कठकुईयां की थी, लेकिन दोनों चीनी मिलों को माननीय नेता विरोधी दल अपनी सरकार में नहीं चलवा सके। हम आपसे कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन–कौन मिलें किसकी–किसकी सरकारों में बंद

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

हुई हैं, यह सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2003 से 2007 के बीच में 28 नई चीनी मिलों को लगाने का काम किया है। पूर्वान्चल की तरफ हमारे हाटा विधान सभा क्षेत्र में धाड़ा की नई चीनी मिल साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये की लागत से माननीय नेता जी ने लगाने का काम किया है। आज उस जिले की जनता माननीय नेता जी को धन्यवाद देती है, क्योंकि देश की आजादी के बाद पडरौना जिले के अंदर किसी भी सरकार ने कोई नई चीनी मिल लगाने का काम नहीं किया था। देश की आजादी के बाद अगर पहली बार किसी सरकार ने नई चीनी मिल लगाई है, तो उस सरकार का नाम समाजवादी पार्टी की सरकार है और उन नेता का नाम आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी है, जिन्होंने नई चीनी मिल देने का काम किया है। जो सरकार तीन साल में 28 नई चीनी मिल लगाती है उसके अंदर वेदना है, दर्द है कि हम गन्ना किसानों का वाजिब गन्ना मूल्य दें, लेकिन जब तक केन्द्र की सरकार किसान विरोधी नीति के चलते विदेशों से चीनी मंगाने पर प्रतिबन्ध नहीं लगायेगी और चीनी का दाम नहीं बढ़ेगा तब तक किसानों को लाभकारी गन्ना मूल्य नहीं मिल सकता। जब–जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पूर्वान्चल की तरफ हमारे समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी और वर्तमान में मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का ध्यान रहता है। हमारी सरकार ने पूर्वान्चल में मेडिकल कालेज को वर्ष 2012 से 2015 के बीच में लगभग 350 करोड़ रूपया देने का काम किया है। अभी मस्तिष्क ज्वर की बीमारी के चलते हमारी सरकार ने 500 बेड का अस्पताल दिया है, जो बन रहा है और यहां पर आधा निर्माण भी हो चुका है और शेष निर्माण कार्य पूरी गति से चल रहा है। जब–जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, गरीबों के लिए, हर वर्गो के लिए काम करती है। समाजवादी पार्टी ने एक तरफ जब कब्रिस्तान की बाउण्ड्री कराने का काम किया, तो दूसरी तरफ अन्तेष्टि स्थल भी बनवाने का काम किया। हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिए समाजवादी पार्टी बराबर काम करती है। हमारे गोरखपुर में जो इन्जीनियरिंग कालेज है, आजादी के बाद चाहे किसी की सरकार बनी हो, चाहे कोई मुख्य मंत्री बना हो, हमारे इंजीनियरिंग कालेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा अगर किसी ने दिया है, तो उन नेता का नाम श्री अखिलेश यादव जी है। पूर्वान्चल के लोगों और गोरखपुर मण्डल के लोगों की तरफ से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र रुड़की विश्वविद्यालय था, जो उत्तराखण्ड के बनने के बाद उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। पूर्वान्चल में टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रूप में गोरखपुर इंजीनियरिंग कालेज को माननीय मुख्य मंत्री जी ने देने का काम किया है। साथ ही पूर्वान्चल में सिद्धार्थनगर में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय देने का काम किया है। हमारी सरकार शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, गरीब के प्रति बेहद संवेदनशील और पूरे राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो हमारे सदस्य ने प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार सारे समाज के लिए काम करती है और समाजवादी पार्टी सरकार का जो भी बजट है वह 70 प्रतिशत गांव के विकास पर खर्च

होता है। लोहिया गांव के नाम पर आज गांव विकसित किये जा रहे हैं। एक–एक विधान सभा में 10–10 गांव, एक–एक विधान सभा में 15–15 गांव, एक–एक वर्ष में लिये गये और वहां विकास के काम हो रहे हैं। एक–एक जिले में लगभग डेढ़ सौ और पौने दो सौ गांव लोहिया विकास योजना के माध्यम से विकसित किये जा रहे हैं। जनेश्वर मिश्र योजना में हमारे गांव को भी विकास से जोड़ा गया है। गांव के विकास की प्राथमिकता हमारी सरकार की है, गरीब और कमजोर के उत्थान की प्राथमिकता हमारी सरकार की है। इसलिये माननीय गुलाम मोहम्मद जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उस पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये आभार प्रकट करता हूं।

ख्समय 14.04,

श्री उमाशंकर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का वक्त दिया, इसलिये मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव, जो हमारी बहुजन समाज पार्टी दल के नेता श्री मौर्य जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से अपने को सम्बद्व करता हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि कुछ ऐसे प्रस्ताव जो महामहिम जी के अभिभाषण में जुड़े नहीं हैं, उनको जोड़ने की कृपा करेंगे। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के पेज सं0–18 पर चीनी मिल से संबंधित बजट का उल्लेख किया गया है चूंकि आप बलिया जनपद से ही है इसलिये आप भी अवगत होंगे कि बलिया जनपद में उद्योग के नाम पर अगर कुछ था तो वह मात्र एक चीनी मिल थी। यह चीनी मिल आज दो साल से बंद पड़ी है। जबकि पूरा चीनी मिल का सेटअप तैयार है, सब कुछ है, केवल मरम्मत की जरूरत है। आज हमारे बलिया जनपद के गन्ना किसानों को बलिया जनपद से जो सबसे नजदीक चीनी मिल है वह सठियांव है, वहां नई चीनी मिल मिली है, उसके लिये मैं समाजवादी पार्टी को बधाई देता हूं उससे आजमगढ़ के लोग तो सुखी हो गये, लेकिन उससे बलिया जनपद के लोग बहुत दुःखी हो गये। इसलिये कि यदि बलिया जनपद में बैरिया के किसान कोई गन्ने की खेती कर रहा है तो उसे आजमगढ़ जाने के लिये 200 किमी0 की दूरी तय करनी पड़ेगी। इसलिये हमारे बलिया जनपद में जो गन्ने की खेती करने वाले किसान हैं, आज वह भुखमरी की कगार पर आ गये हैं तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इस चीनी मिल को चलवाने हेतु महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में इस प्रस्ताव को सम्बद्व कर दिया जाय तो बलिया जिले से सरकार के प्रति काफी धन्यवाद आयेगा और वहां के किसान काफी खुशहाल हो जायेंगे। इतना ही नहीं, चीनी मिल बंद हो जाने से वहां के कर्मचारी जो आज कई संगठनों के माध्यम से मुझसे मिले, वह आज ऐसी स्थिति में आ गये हैं कि वह अपने बच्चों की पढ़ाई–लिखाई नहीं करा पा रहे हैं, उनका एरियर भुगतान नहीं हो रहा है, सेलरी नहीं मिली है। वह लोग ऐसी–ऐसी एप्लीकेशन देते हैं कि हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाय तो बड़ी कृपा

होगी। दूसरा हमारे जनपद के लिये जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था जो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में छूट गया था। लेकिन आज जब अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना बजट भाषण पढ़ा तो उसमें वह जुड़ गया जबकि यह पिछले बजट में ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि बलिया जनपद को एक विश्वविद्यालय देने की, उसी के साथ दूसरा विश्वविद्यालय सिद्वार्थनगर था, यह विश्वविद्यालय तो आज चालू हो गया है। लेकिन देर से ही सही, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बार बलिया जनपद में विश्वविद्यालय खोलने के लिये 10 करोड़ रूपये बजट का प्रावधान किया है। चूंकि महामहिम जी के अभिभाषण पर हमें बोलना था, इसलिये हमारी इस बात की तैयारी थी कि हम इस विषय को इसमें रखेंगे। हो सकता है हमारी बात पहले ही पहुंच गयी हो और माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इसको शामिल कर लिया, इसके लिये हम अपनी तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, रसड़ा में एक और उद्योग है, उसे आप रसड़ा का नहीं बल्कि पूरे बलिया जनपद का ही कह लीजिये, जो कितने वर्षों कब से यह कताई मिल बंद पड़ी है, जब 2012–13 में बजट आया था तो उक्त समय औद्योगिक विकास में माननीय मंत्री के रूप में श्री अम्बिका चौधरी जी ने जब बजट रखा था तो उन्होंने कहा था कि हम क्रमवार प्रदेश में जितनी कताई मिलें बंद पड़ी हैं, हम क्रमवार एक–एक करके उन मिलों को चलायेंगें उसमें उन्होंने आश्वासन दिया था जो सदन की कार्यवाही में भी आया था। दूसरे नम्बर पर बलिया की रसड़ा कताई मिल है, पहले नम्बर पर उन्होंने कहीं और का जिक्र किया था लेकिन मान्यवर, आज चार साल बीत गये उस कताई मिल के लिए सरकार की तरफ से पहल नहीं की गयी। कताई मिल के पास लगभग 80 एकड़ जमीन है हमने यह भी निवेदन किया था सरकार से कि अगर कताई मिल चलाने में आपको बहुत दिक्कत है और आप नहीं चला पा रहे हैं तो उस जमीन का आप ऐसा सदुपयोग करिये जैसे कि मैंने मेड़िकल कॉलेज की मांग की थी, हमारे जनपद में यदि किसी को हेड इंजरी हो जाती है तो सब लोग जानते हैं कि अगर ब्रेन हैमरेज हो गया तो उस व्यक्ति को अगर एक–दो घण्टे में उपचार मिल जाये तो उसको बचाया जा सकता है लेकिन उपचार के लिए हमारे जनपद के लोगों को बी0एच0यू0 जाना पड़ेगा जो कम से कम 5–6 घण्टे लगता है या फिर गोरखपुर जाना पड़ेगा, वहां भी 5–6 घण्टे लगता है। हमारे बलिया जनपद में कोई मेडिकल कॉलेज या उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थान की व्यवस्था कर दी जाए तो कम से कम मऊ, गाजीपुर, देवरिया और बलिया जनपद के लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिल जायेगी लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बजट में भी इस तरह का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा हमारे बलिया जनपद में जो राजकीय पॉलीटेक्निक है, अगर देखा जाए तो बलिया जनपद के बाद सबसे बड़ी तहसील रसड़ा है लेकिन कई बार मेरे द्वारा सदन में बात रखने के बावजूद रसड़ा के लिए न तो श्री राज्यपाल के अभिभाषण में है और न ही माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण में था। इस बार फिर बलिया जनपद का सबसे बड़ा तहसील रसड़ा फिर उपेक्षित

हुई है, इस बार भी राजकीय पॉलीटेक्निक का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, एक बात पर मैं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे अभी आप बलिया में देखे होंगे तमाम अखबारों में निकला था कि सैकड़ों एकड़ फसल नहर के पानी से बर्बाद हो गयी। एक तो किसान सूखे से मर गये, दूसरा उसके बाद दोबारा जब खेती करना हुआ तो नहर से पानी जो सिंचाई के लिए गई थी चूकि जर्जर नहरें हैं, आपके भी इलाके में और रसड़ा के भी कई इलाकों में नहरें टूट गई और चूंकि हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गयी। सारे किसान सड़क पर आ गये। मैंने निवेदन किया था और पिछली बार भी कई नियमों में लगाया था, दो–तीन नहरें हमारे तरफ थीं जैसे एक रतनपुरा से निकलती है और सिंघई चट्टी से होते हुए संवरा और उपेड़ा तक जाती है। पिछली बार मैंने कई नियमों में लगाया था। नियम–51 में और नियम–301 में भी लगाया था कि यह नहर इतनी जर्जर है कि इसको पक्की करा दिया जाए। उसी तरह से हजौली माइनर के पास से नराव माइनर निकलती है तो हर साल यहां के किसान एक तो सूखा झेलते हैं और दूसरा जब नहर में पानी आती है तो नहर इतनी जर्जर है कि नहर का पानी ऐसा फैलता है कि हजारों एकड़ फसल डूबकर बर्बाद हो जाती है और फिर सारे लोग मुआवजे के लिये धरना–प्रदर्शन करते हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों को उनकी बात सुननी पड़ती है, वे लोग हमारे यहां आते हैं। मान्यवर, बड़ी विषम परिस्थति है एक बार पानी के लिये सिफारिश होती है, पानी जाता है टेल तक, इसके लिये बहुत बधाई। लेकिन नहर इतनी जर्जर है कि नहर की समय से सफाई न होने की वजह से नहर टूट जा रही है तो मैं आपका ध्यान इस ओर चाहूंगा कि इस बजट में संशोधन कर दिया जाए और दो माइनरों को पक्की करा दिया जाय तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पिछले कुछ दिनों से यह जो पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो शादी अनुदान मिलता था वह पिछले कुछ दिनों से बन्द हो गया है। आप समझ सकते हैं कि इस अनुदान को पाने वाले कौन से लोग हो सकते हैं, बहुत ही जरूरतमंद, गरीब लोग होते हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों से बन्द कर दिया गया। हमें याद है कि पिछली बार जब समाज कल्याण के बजट पर हम बोल रहे थे तो उस समय समाज कल्याण मंत्री दूसरे थे, मैंने निवेदन किया था कि मा0 मंत्री जी जो हम शादी अनुदान देते हैं वह कब देते हैं वह कब देते हैं जब शादी सम्पन्न हो जाती है। शादी बीत जाने के बाद शादी अनुदान का पैसा देते हैं। वह व्यक्ति तब तक अपना शादी करने के लिये तमाम जगहों से कर्जे लेता है। कर्जे लेकर शादी करता है। जब तक हम उसे पैसा देते हैं तब तक जो वह कर्जा लिये रहता है। उसका ब्याज इतना हो जाता है, वह इतनी बार जिले का चक्कर लगा लेता है कि जो हम पैसा देते हैं वह उसके ब्याज में ही चला जाता है। तो मैंने उस वक्त निवेदन किया था और समाज कल्याण मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा था कि नहीं अब हम व्यवस्था करने जा रहे हैं, अब हम शादी अनुदान शादी से पहले दे देंगे लेकिन हुआ क्या ? शादी से पहले देने की बात तो छोड़ दीजिये। अब वह शादी अनुदान ही बंद कर दिया गया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कम से कम ऐसे लोग जिनको दस हजार रुपया मिल जाया करता था

क्योंकि हमारे यहां पिछड़ी जातियों का, अल्पसंख्यक का और सामान्य वर्ग के लोगों का, अनुसूचित जन जाति के लोगों का जो शादी अनुदान है हालांकि महामहिम जी के अभिभाषण में अल्पसंख्यक के लिये तो मैंने पढ़ा था कि उनको शादी का अनुदान मिल रहा है। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिये जिक्र नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

बजट में आ गया है।

श्री उमाशंकर–

बजट में आ गया है तो बहुत अच्छा है। मैं महामहिम जी के अभिभाषण पर बोल रहा हूं पिछले दो सालों से जो नहीं मिल रहा है। आपके यहां भी लोग चिट्ठी लिखवाने के लिये जाते होंगे। हमारे यहां भी आते हैं और हम उनको बताते हैं कि यह योजना बन्द हो गया तो वह मानने को तैयार नहीं हैं। हम लोग यही आश्वासन देते हैं कि यह योजना जब भी चालू होगा तो पहले आप लोगों का उसमें समायोजन किया जायेगा। तो अगर यह चालू हो जाता है तो उत्तर प्रदेश के लिये एक बहुत बड़ा कल्याणकारी कदम होगा। लेकिन मेरा निवेदन यह था यदि अगर हम शादी अनुदान दे ही रहे हैं तो यह समय से पहले दें हालांकि अब माननीय समाज कल्याण मंत्री जी हमारे जनपद के ही हैं, अभी मौजूद नहीं हैं वह जरूर इसमें पहल करेंगे। लेकिन हम जो शादी अनुदान बाद में देते हैं तो जो पात्र परिवार कार्ड छपता है उसी पर कार्रवाई होती है तो उसमें मंत्री जी की तरफ से यह बात आई थी हम वैरिफिकेशन करवाते हैं इसलिये उसमें समय लग जाता है। हमारे पास इतनी इकाइयां हैं, जब वह गरीब आदमी शादी अनुदान के लिये फार्म भरता होगा, शादी तय करता होगा उसके लिये अपना कार्ड छपवाता होगा तो हम उस कार्ड को हम अपने लेखपाल से, कानूनगो से, इतनी हमारी एजेन्सियां हैं उसको हम अगर चाहें तो तुरन्त हो जायेगा आज जो तकनीकी इतनी आगे हो गई है कि एक दिन में उसका वेरिफिकेशन हो सकता है। यह शादी अनुदान अगर हम उसको शादी से पहले दे देंगें तो वह व्यक्ति कर्ज से मुक्त रहेगा नहीं तो जितना हम शादी अनुदान में देते हैं उतना वह जो कर्जा लिये होता है उसके ब्याज में चला जाता है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर शादी अनुदान शादी से पहले मिल जाय तो वह उसका सही सदुपयोग कर पायेगा। मान्यवर, इसी तरह से एक बात और कहना चाहता हूं। हालांकि यह अभी बजट में आ गया है, मैंने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर तैयारी की थी कि स्पोर्टस कालेज अभी तक चूंकि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और सैफई में था और महामहिम जी के अभिभाषण में तो किसी नये स्पोर्ट्स कालेज का था। हमने बलिया जिले के लिये डिमान्ड किया था लेकिन चलिये हम माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने बलिया में स्पोर्टस कालेज की घोषणा की और 5 करोड़ रुपये उसके लिये बजट में रखा भी है। इसके लिये मैं बहुत बहुत आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, एक मेरा अंतिम निवेदन था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रसड़ा जो बलिया जिला चिकित्सालय

के बाद सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रसड़ा है वहां काफी समय से मांग उठती रही है कि वहां पर महिला अस्पताल भी खोला जाय। हम लोगों ने यह भी मांग किया है कि जब तक महिला अस्पताल का संचालन नहीं हो रहा है तब तक सरकार अपने बजट में प्राविधान नहीं कर रही है तब तक कम से कम वहां पर महिला डाक्टर की तैनाती होनी चाहिए। मैंने हालांकि अभी नियमों में लगाया था तो उस पर स्वास्थ्य विभाग का जवाब आया था उसमें इतनी लम्बी लिस्ट डाक्टरों की आ गई कि सबकी तैनाती है। मैंने वह लिस्ट मीडिया वालों को दे दिया कि इतने डाक्टर हमारे यहां तैनात हैं तो उस रिपोर्ट पर बड़ा हंसी हुआ। फिर उन लोगों ने कहा कि इसमें से कोई डाक्टर नहीं है। फिर मैंने उसमें नियमों के तहत दिया कि जो लोग झूठी सूचना दिये हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा चूंकि आप उस पीठ पर बैठे हैं तो आप जरूर यह निर्देश देने की कृपा करेंगें कि रसड़ा में एक महिला चिकित्सालय की स्थापना हो जाय और जब तक स्थापना नहीं हो रही है तब तक महिला डाक्टर तैनात की जाय।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, अब समाप्त करिये।

श्री उमाशंकर–

मान्यवर, एक अंतिम निवेदन और कर दूं आज हमारे यहां विद्युत की जो व्यवस्था है। एक तो विद्युत आती नहीं और जो आती है उससे सब–स्टेशनों पर अत्यधिक लोड होने के कारण वह हर समय डिस्टर्ब ही रहता है। मैंने निवेदन किया था पिछली बार भी मैंने बजट में तो नहीं था, लेकिन कुछ नियमों में रखा था कि हमारे यहां चूंकि रसड़ा में सब–स्टेशन पड़ता है उसके बाद जाम है उसके बाद नगरा में भी पड़ता है। मैंने कहा था कि बीच में कम से कम दो सब स्टेशन एक सिसवार या खरांव के पास और दूसरा उधर चोगडा करेजी के पास अगर खुल जाय तो उधर आपके विधान सभा क्षेत्र के लिये भी इधर आपके

(इस समय 02 बजकर 24 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

फेफना विधान सभा के लिये चूंकि लोड बंट जायेगा और इस लोड बंट जाने से जो सब–स्टेशन आज कार्यरत हैं वह अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे और जितनी विद्युत जा रही है वह आम जनता को सुचारु रूप से मिलेगी। यह मेरा अंतिम निवेदन था। बहुत बहुत धन्यवाद।

'डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम के अभिभाषण पर माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में और माननीय नेता भाजपा के द्वारा रखे विचारों के समर्थन में अपनी बात रखने का अवसर दिया। अब

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

चूंकि बजट आ गया है इसलिये विकास पर बहुत सारी बातें हम बजट की चर्चा पर करेंगे। मैं कुछ चन्द सैद्धान्तिक मुद्दों पर आना चाहूंगा। अधिष्ठाता महोदय, इस सरकार ने 22 मई 2012 को शपथ ली और 29 अक्टूबर 2015 का यह कार्यालय ज्ञाप है अखबारों में बयान भी है यह मुख्य मंत्री का विशेषाधिकार होता है वह मंत्रि–मंडल में किसे रखे, किसे हटाये, आठ माननीय मंत्री पूरी तरह हटा दिए गए। नौ माननीय मंत्रियों का विभाग बदल दिया गया और यह सब वरिष्ठ मंत्री थे कोई छोटे–छोटे विभागों के मंत्री नहीं थे साढ़े तीन साल की यात्रा के बाद इस सरकार को यह समझ में आया कि जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री थे वह सक्षम नहीं थे, जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री थे वह अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे थे हमारे को खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री थे वह अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे थे, हमारे परिवहन मंत्री, हमारे खाद्य और रसद मंत्री, साढ़े तीन साल की यात्रा के बाद अगर, साढ़े तीन साल बाद कोई सरकार अपने मंत्रियों के ऊपर इतना गम्भीर निर्णय ले और इस तरह से अपने मंत्रि–मंडल में आमूल–चूल परिवर्तन करे यह अपने आप में इस बात की टिप्पणी होती है कि सरकार ने साढ़े तीन साल तक किया क्या ? क्योंकि जनता क्या कहेगी यह बाद का विषय है इतनी यात्रा पूरी करने के बाद और नदी दो तिहाई पूरी करने के बाद कोर सामने दीख रहा था, साल भर बाद चुनाव होने वाला है, फिर भी आप इतने व्यापक स्तर पर मंत्रि–मंडल में परिवर्तन करते हैं तो कहीं न कहीं यह अपने आप को इंगित करता है कि सरकार अपनी कार्यप्रणाली से स्वंय ही कितनी संतुष्ट है और इस संदर्भ में विपक्ष को बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय का एक सार्वजनिक सम्मेलन में एक बयान है, बयान यह था कि उन्होंने सरकार से यह कहा, कि मेरा भाषण छोटे से छोटा रखा जाए। बहुत छोटा बयान है यह, लेकिन बहुत बड़ा बयान है यह, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कभी किसी महामहिम ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहा, सरकार को यह निर्देश कभी नहीं दिए कि हमारा बयान छोटे से छोटा हो, मैं सोच रहा था कि महामहिम ने ऐसा किया क्यों ? कौन सी मजबूरी रही होगी, तो मैं सिर्फ दो चीजों पर पहुंच पाया, एक हम जो यहां सदन में बैठे हैं वह तो इस बात को जानते हैं कि महामहिम यहां आकर जो कुछ भी पढ़ते हैं, वह सरकार के द्वारा जो कुछ भी लिखकर दिया जाता है वह उसको पढ़ते हैं। लेकिन पूरा प्रदेश यह जानता है कि महामहिम जो कुछ यहां कह रहे हैं वह अपने विचारों को यहां बता रहे हैं। खास, वह सरकार के बारे में जो किताब छापकर दी गई है एक सौ पेज की, अगर उसे महामहिम का भाषण जनता समझ ले तो इस सरकार के बारे में उसके मन में बहुत सुनहरे सपने आ जाएं, तो यह बयान देकर के महामहिम ने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ जो कुछ पढ़ा है, उससे अपने आप को पूरी तरह अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि हमारा भाषण छोटे से छोटा रखा जाए, क्यों कहा, इसलिए कहा, कि वह भी इस बात को महसूस करते थे, मैं झूठ शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, आप भी जानते हैं जो कुछ वह बोलने जा रहे हैं वह सब असत्य ही है, तो असत्य बोलने की सीमा होती है, ठीक है व्यक्ति संवैधानिक तंत्र में मजबूर है, जो आप लिखकर देंगे बोलेगा, लेकिन वह

असत्य बोले तो कहां तक बोले, कहीं आकर उसे अपच होने लगता है, इसलिए महामहिम ने स्पष्ट रूप से कहा कि बयान जितना छोटा हो सके, उतना छोटा दिया जाए। अब मैं सोच रहा था कि महामहिम ने ऐसा कहा क्यों ? मैंने अपने विधान सभा की लाइब्रेरी में जाकर के यह जानने की कोशिश की कि महामहिम कहते क्या हैं ? तो पता चला किसी दिन महामहिम ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून–व्यवस्था ध्वस्त है। केन्द्र सरकार को बहुत जल्दी रिपोर्ट भेजूंगा, किसी और दिन कहा, यू0पी0 की कानून–व्यवस्था से बहुत दुख होता है, किसी और दिन कहा कि यू0पी0 में क्राइम बहुत बढ़ गए हैं, फिर कहा यू0पी0 में भ्रष्टाचार और अनाचार बहुत हो गया है। फिर कहा, यू0पी0 के बारे में क्या कहें कुछ समझ में नहीं आता है। देश की आय सात हजार प्रति व्यक्ति है और उत्तर प्रदेश की सिर्फ 2900/– है।

(इस समय 2 बजकर 24 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

कानून–व्यवस्था बहुत खराब है मुख्य मंत्री से रिश्ते से क्या कहें। अध्यक्ष महोदय महामहिम लगातार प्रदेश के बारे में यह टिप्पणियां कर रहे हैं। यहीं तक नहीं रुके आपने देखा इस सरकार ने आपके संज्ञान में है अध्यक्ष महोदय कि सरकार ने विधान परिषद् में नामांकन के लिए कुछ नाम भेजे महामहिम ने उन नामों को रोक लिया क्योंकि यह नाम संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं थे और शायद इस प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब सरकार मनोनीत सदस्यों के रूप में अपने आधे सदस्यों का नामांकन तक नहीं करा पाई। अध्यक्ष जी कोरम मत देखिएगा। कानून और व्यवस्था की बात छोड़िये इस सरकार का कानून में कितना विश्वास है यह इसी बात से स्पष्ट है। लोकायुक्त को लेकर पूरे भारत में अध्यक्ष महोदय ऐसा कहीं नहीं हुआ लोकायुक्त ऐक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि उच्चतम न्यायालय लोकायुक्त की नियुक्ति कर देगा। लेकिन यह उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ नागरिकों के लिए कितना अपमानजनक था अध्यक्ष महोदय शर्म की यह घटना थी कि हम दो सालों तक लोकायुक्त की नियुक्ति को न जाने किन कारणों से मैं उन कारणों की चर्चा नहीं करना चाहता हम सब उसे जानते हैं हमने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दीं कि लोकायुक्त की नियुक्ति का अधिकार सुप्रीमकोर्ट ने राज्य सरकार के हाथ से छीन लिया और स्वयं अपने के द्वारा नियुक्ति कर दी। खूबी उसमें यह कि जो सूची भेजी गई उस सूची को लेकर उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने लिखकर चिट्ठी भेज दी कि जिस नाम की संस्तुति की गई उस नाम की संस्तुति मुझसे नहीं ली गई। और एक धोखाधड़ी और छद्म का आरोप इस सरकार के ऊपर लग गया। इन सारी परिस्थितियों को देखिए तो बड़ा स्पष्ट है सरकार स्वयं यह मानती है कि हमने पिछले साढ़े तीन सालों में गवांने के सिवाय पाया नहीं है। और सरकार ने अपने कदमों से लगातार यह सिद्ध किया है कि इस प्रदेश के अन्दर संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करने में इस सरकार को महारत हासिल है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में मैं बहुत लम्बी चौड़ी बातें कहने का बहुत इच्छुक भी नहीं हूं मैं नेता प्रतिपक्ष के द्वारा रखे गए संशोधन के समर्थन में अपनी बातें समाप्त करता हूं।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का मौका दिया इस हेतु मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा मान्यवर, चार साल पूर्व हमारी सरकार ने जो कहा था वह आज लगभग पूर्ण होने के कगार पर है चाहे वह मेट्रो रेल का क्षेत्र हो चाहे वह साइंस टेक्नोलाजी हो चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो हमारी सरकार चहुं ओर बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में हर वर्ग को फायदा पहुंचाने का काम किया है। चाहे वह किसान हों, मजदूर हों, अल्पसंख्यक हों, गरीब हों सभी तरफ समाजवादी सरकार का ध्यान रहा है। कल मान्यवर कानून–व्यवस्था पर चर्चा हो रही थी मैं बताना चाहूंगा कि मैं इलाहाबाद से प्रतिनिधित्व करता हूं। इलाहाबाद में पुलिस के आधुनिकीकरण करने के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए गए हैं डायल 100 पूरी तरह से चुस्त–दुरस्त कार्य कर रही। कोई भी गरीब जिसकी पहुंच बहुत बड़े लोगों तक नहीं होती थी 100 नम्बर डायल करता है और 10–15 मिनट में उसके घर तक ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दरूनी क्षेत्रों तक पुलिस की गाड़ियां व सहायता पहुंचती हैं और उसको कानून–व्यवस्था के संदर्भ में मदद प्राप्त होती है। मान्यवर, कानून–व्यवस्था में जो भी कमियां हैं उनको पूर्णतया शून्य नहीं किया जा सकता है लेकिन समाजवादी सरकार ने जिस तरह से डायल 100 को शत–प्रतिशत सक्षम किया है साथ ही 1090 के माध्यम से वूमेन पावर लाइन को जवाबदेह किया है उसका परिणाम है कि आज लगभग 25 लाख से ऊपर महिलाओं की शिकायतों का निस्तारण इसके माध्यम से किया गया है। पिछले वर्षों में विशेषकर 2012 में इलाहाबाद में कुम्भ मेला का बहुत ही सफल आयोजन किया गया कहीं भी कानून–व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं आई और इस समय माघ मेला चल रहा है जहां पूरी तरह से सुन्दर व शान्तिपूर्ण आयोजन की व्यवस्था है। कानून–व्यवस्था निरन्तर बेहतर हो रही है। एसिड अटैक अब तक होता था। इसके पहले कोई मदद नहीं होती थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि एसिड अटैक होने पर हमारी सरकार त्वरित सहायता देती है। मेरे क्षेत्र में भी दो एसिड अटैक हुये थे और उसमें सरकार ने तत्काल तीन–तीन लाख रुपये की मदद की है और एसिड अटैक पीड़ित बच्चियों के पिता हमारे कार्यालय पर आकर सरकार को धन्यवाद दे रहे थे। मान्यवर, फैक्चुअल डाटा को तोड़मड़ोर कर प्रस्तुत करके विपक्ष गुमराह करने का काम करता है। लॉ–एण्ड–आर्डर की स्थिति जहां तक है तो हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे मामले आते हैं जो तत्काल सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन स्थानीय विपक्ष के नेता उसको बढ़ावा देकर भड़काने का काम करते हैं।

मान्यवर, सरकार ने वर्ष 2015–16 को किसान वर्ष घोषित किया है। कृषक बीमा योजना को बढ़ाने का भी कार्य किया है। पांच लाख रुपये के अलावा परिवार के अन्य सदस्य भी यदि दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो अब उनको भी पोषित किया जायेगा। राहत राशि के वितरण का भी काम किया गया है और राशि डायरेक्ट उनके खाते में जा रही है ताकि बीच के दलाल गरीबों का उत्पीड़न न कर सकें। मान्यवर, सिंचाई के क्षेत्र में भी यह सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हमारे विधान सभा क्षेत्र सोरांव में बहुत ही

अच्छी नहर सफाई की गयी है और ज्यादा से ज्यादा टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ट्यूबवेल की कई गहरी बोरिंग करायी गयी हैं, लेकिन ट्यूबवेल में एक समस्या आ रही है कि ट्यूबवेल की जो पाईपलाईन बिछाई जाती है उसकी क्वालिटी थोड़ा कमजोर है। सोरांव विधान सभा क्षेत्र में मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जो 18 से 20 ट्यूबवेल सिंचाई हेतु हमारी संस्तुति पर विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये गये हैं उनकी पाईपलाईनों की पुनः जांच करा ली जाय। हमारे विधान सभा में चार ब्लाक हैं, होलागढ़, सोरांव, मउआइमा और बहरिया। इसमें से दो ब्लाक बहरिया और मउआइमा ब्लाक डार्क जोन घोषित कर दिये गये हैं। इन दोनों ही ब्लाकों से एक बरसाती नदी जिसका नाम मनसैता नदी है, गुजरती है। डार्क ब्लाक होने के कारण यहां पर ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया है। पेयजल की भी समस्या है, सिंचाई की भी समस्या है। इस पर लगभग 12 से 13 चेकडैम के प्रस्ताव शासन में लम्बित हैं। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाते हैं तो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा और वहां के किसान भाईयों की बहुत मदद भी हो सकेगी।

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र सोरांव में करीब 28 लोहिया गांव के माध्यम से समग्र विकास किया गया है और इसके पहले हम देखते थे कि गरीबों को आवास मिलता था तो इन्दिरा आवास के नाम पर मात्र एक कमरा मिलता था। आज लोहिया आवास देखिये, लगता है कि जैसे पूरा फ्लैट बनाकर समाजवादी सरकार दे रही है। इसके लिये मैं अपने मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। लोहिया ग्राम में एक समस्या आ रही है कि जो लोहिया गांव हैं, उनके और दूसरे लोहिया गांवों के बीच की सड़कों में कुछ कमियां हैं, मरम्मत में कमियां हैं। मैं तो यह सुझाव दूंगा कि जब हम लोहिया गांव को विकसित कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि उस राजस्व गांव के क्षेत्र में जितनी सड़क आती है उसको भी यदि ठीक कर दिया जाये तो पूरा लोहिया गांव अच्छा और सुन्दर दिखेगा, क्योंकि आन्तरिक गलियां तो बन गयी हैं, लेकिन कहीं–कहीं पर मुख्य सड़क खराब होने की वजह से उस लोहिया गांव की बेहतर तस्वीर सामने नहीं आ पाती है।

मान्यवर, जनेश्वर मिश्र गांव के माध्यम से भी बहुत ही अच्छा विकास किया जा रहा है और दूसरी तरफ स्वास्थ्य के क्षेत्र में 102 और 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अब तक उत्तर प्रदेश के एक करोड़ अट्ठाइस लाख लोगों को राहत पहुंचाई गयी है और मां–बहनों के सिन्दूर उजड़ने से बचाये जा सके हैं। मान्यवर, लखनऊ मेट्रो रेल योजना के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसके अतिरिक्त मा0 मुख्य मंत्री जी और समाजवादी सरकार कोई और कार्य भी कर सकते थे, अपने महापुरुषों की भी तमाम मूर्तियां लगवा सकते थे, लेकिन मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को और समाजवादी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि लखनऊ मेट्रो रेल योजना न सिर्फ कहा बल्कि बनायी और मूर्त रूप ले चुकी है और हम आशा करते हैं कि वर्ष 2016–17 में वह लखनऊ के करोड़ों लोगों को सेवा देना शुरू कर देगी। मान्यवर, ऐसी दूरगामी, ऐसी जनहितकारी सेवाओं के लिये मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और इस हेतु भी धन्यवाद देना चाहता

हूं कि इलाहाबाद जैसे ऐतिहासिक शहर में भी मेट्रो के लिये पहल की जा रही है। इसके लिये भी मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मान्यवर, समाजवादी पेंशन योजना के माध्यम से 45 लाख गरीब लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचाया जा रहा है और आज जैसाकि मा0 मुख्य मंत्री जी के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उसको बढ़ाकर 55 लाख लोगों को इससे पोषित किया जायेगा। अन्त में मैं यह कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। विद्युत के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत ही क्रान्तिकारी कार्य किया है। तृतीय और द्वितीय विश्व के देशों में अमूमन यह देखने को आता है कि पानी, बिजली और सड़क यह तीन मूलभूत मुख्य समस्याएं रहती हैं और इसमें दोराय नहीं कि इसमें विद्युत का एक बड़ा क्षेत्र है, विद्युत के उत्पादन और उसके वितरण का एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें समाजवादी सरकार ने उत्तर प्रदेश को अन्धकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ला दिया है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने से पहले जो बामुश्किल 8 से 10 हजार मेगावॉट विद्युत का प्रबन्ध होता था, वह अब बढ़ करके लगभग 20 से 21 हजार मेगावॉट होने वाला है और जैसा कि माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में भी है कि अक्टूबर, 2016 से 16 घण्टे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 22 से 24 घण्टे बिजली आपूर्ति की जायेगी। इसलिए मैं माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए, मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए, अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

ख्समय 02.32,

'श्रीमती रजनी तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे वर्ष 2016–17 के महामहिम श्री राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर चर्चा करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं। मान्यवर, मैंने महामहिम राज्यपाल जी के बजट अभिभाषण को पढ़ा, उसको देखने के बाद में ऐसा लगा कि चुनाव निकट आने के कारण बहुत ही हड़बड़ाहट के कारण सरकार अपनी प्राथमिकताओं को समझ नहीं पायी है। हर मुद्दे पर विफल रहने के बाद, चार वर्ष व्यर्थ में व्यतीत करने के बाद सरकार ने प्रदेश को विकास के पथ से बहुत दूर कर दिया है। मान्यवर, सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई गईं, बहुत सी योजनाएं धरातल पर आने से पहले ही समाप्त हो गईं और बहुत सी योजनाएं चलाई गईं लेकिन उनका कहीं भी क्रियान्वयन न होने के कारण उनको बन्द करना पड़ा। मान्यवर, कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार ने स्वयं ही योजनाएं बनाईं, स्वयं ही उनको चलाया और स्वयं ही उनको बन्द करने का काम किया। मान्यवर, जनता अपने जनप्रतिनिधि को किसी आशय या उद्देश्य से चुन करके भेजती है। मान्यवर, अगर मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे सदन में भेजने का काम किया तो प्रदेश की जनता ने अपना जनादेश समाजवादी पार्टी को देने का काम किया। मान्यवर, यहां मैं कोई चुनावी भाषण नहीं दे रही हूं, लेकिन सत्यता यह है कि जब–जब सदन चलता है, मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

काम करती हूं। मान्यवर, आज भी मैं उन्हीं समस्याओं को रखने का काम कर रही हूं। विपक्ष का विधायक होने के कारण मेरे क्षेत्र की समस्या का समाधान नहीं किया गया। मान्यवर, बजट बनाया जाता है, बजट पास भी हो जायेगा लेकिन मान्यवर, वह जनता के लिए नहीं, बजट सिर्फ वोटों के लिए बनाया जाता है। मान्यवर, जनता सब देख रही है और इसका जवाब देने के लिए वह तैयार बैठी है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या अर्जुनपुर और बड़े गांव के मध्य राम गंगा नदी का पुल है, जिसके लिए मैंने कई बार आवाज उठाई है। मान्यवर, राम गंगा नदी के उस पार हमारे क्षेत्र की लगभग 21 हजार की आबादी निवास करती है, जिसको बरसात के दिनों में जिला मुख्यालय आने के लिए सड़क मार्ग से बाया फर्रुखाबाद लगभग 52 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ती है और या तो मान्यवर, बरसात के दिनों में वह नाव के द्वारा जिला मुख्यालय पर आते हैं। उसकी मान्यवर, एक बहुत बड़ी समस्या यह भी है कि राम गंगा नदी के उस पार बसे लोगों को जिला मुख्यालय हरदोई से बिजली नहीं मिलती। वहां बिजली फर्रुखाबाद की है और वह लोग इसे कनेक्शन नहीं देते हैं। मान्यवर, यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि रामगंगा नदी के उस पार बसे लोग कालापानी की सजा भुगत रहे हैं। मान्यवर, पिछली बहन मायावती जी की सरकार में लगभग 35 गांव विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत हुये थे लेकिन उसके बाद में सपा की सरकार आ गयी। मान्यवर, हमने कई बार पूछा कि उसके लिए जो पैसा स्वीकृत हुआ था वह पैसा कहां गया। या तो हमारे यहां गांवों में विद्युतीकरण करवाया जाता या वह पैसा दिखायी देता। लेकिन कई बार कहने के बाद भी विद्युतीकरण नहीं किया गया। मान्यवर, वर्ष 2012 में 84 इंडिया मार्का हैण्डपम्प हमारी विधान सभा में दिये गये। इसके लिए मैं सरकार की आभारी हूं लेकिन वर्ष 2012 के बाद एक भी इंडिया मार्का हैण्डपम्प मेरी विधान सभा क्षेत्र में नहीं दिया गया है। मान्यवर, अगर हैण्डपम्प न भी दिये जाते, मैंने कई बार अनुरोध किया कि जो हैण्डपम्प पहले के लगे हुये हैं उन्हीं को रि–बोर करवा दिया जाये लेकिन किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या सरकार के कान में जूं नहीं रेंगी। मान्यवर, सबसे बड़ी समस्या पानी की होती है, बिजली की होती है, खाने की होती है, रहने की होती है। मान्यवर, मैंने देखा, वर्ष 2016 यह सरकार किसान वर्ष के रूप में मना रही है। मान्यवर, विगत दो वर्षों में किसान प्रकृति की मार झेल रहा है और केंद्र और प्रदेश की सरकार की गलत नीतियों का शिकार हो रहा है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में भी किसान बहुत परेशान हो गया है। अतिओलावृष्टि में फसल नष्ट हो गयी। जिसके लिए सरकार ने चेक वितरण के लिए कहा था। लेकिन मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में दिखवा लें वहां पर सिर्फ 20 प्रतिशत लोगों को ही चेक वितरण हुआ है। मान्यवर, प्रशासन सिर्फ आश्वासन देने का काम कर रहा है। अब किसान सूखे की चपेट में है। मेरे यहां बरबन रजबहा और रूपापुर रजबहा दो रजबहे हैं। मान्यवर, लेकिन दोनों माइनर में पानी नहीं आता। जिसके लिए मैंने कई बार सरकार के समक्ष अपनी बात को रखा है। मान्यवर, क्षेत्र के एक–आध को छोड़कर सभी सरकारी नलकूप खराब पड़े हैं। या तो बिजली की क्षति होने के कारण या तो बोरिंग खराब होने के कारण वह बंद पड़े हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है।

जिसके लिए मैंने कई बार प्रशासन से कहा है। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र की सैकड़ों एकड़ भूमि बंजर पड़ी है। किसान शहरों में पलायन कर रहा है। मान्यवर, सबका पेट भरने वाला अन्नदाता खुद भुखमरी की कगार पर है। मान्यवर मैं यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि यह सरकार यह वर्ष किसान वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र की एक मात्र मण्डी स्थल पालिका भवन खण्डहर में बदल चुका है। बाउंड्रीवाल जमींदोज हो गयी है। मण्डी स्थल चारागाह बन गया है। मान्यवर, जनहित में होने वाले विकास की सराहना करनी चाहिए। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे मान्यवर, एक अच्छा कदम है परन्तु यह और भी अच्छा होता यदि बसपा सरकार की गंगा एक्सप्रेस–वे योजना को आगे बढ़ाया गया होता। मान्यवर, ग्रामीण सड़कों की दुर्दशा सरकार को तब पता चलेगी जब सरकार गांवों में जाकर देखे। मान्यवर, हम दिल्ली तक की सड़क अच्छी बनाये जा रहे हैं लेकिन मान्यवर, किसान क्या चाहता है। उसको गांव से मुख्य मार्ग जाने की अच्छी सड़क मिल जाये। मान्यवर, यह हमारा ही दुःख नहीं है। मान्यवर, यह मा0 मुलायम सिंह यादव जी भी कहते हैं कि अखिलेश सरकार को गांवों में निकलना चाहिए, अखिलेश सरकार को गांवों की दशा देखनी चाहिए, मान्यवर, यह एक व्यक्ति की आवाज नहीं है, यह पूरे प्रदेश की आवाज है।

श्री अध्यक्ष–

रजनी जी, अब आप समाप्त करें।

श्रीमती रजनी तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, डा0 लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना, जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना, लोहिया आवास के चयन में मानकों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उसमें अगर आप मानक देखेंगे, तो उसमें सिर्फ अपनों को ही मानक बनाया गया है, आम जनता जिसको इसकी जरूरत है, उससे इसको दूर कर दिया गया है। मान्यवर, हमारी तहसील सवायजपुर का मुख्यालय एक गांव है, यहां पर मूलभूत सुविधाओं का पूर्ण रूप से अभाव है। यहां पर मान्यवर, न तो थाना, न कोतवाली, न तो अग्नि शमन केन्द्र, न क्षेत्राधिकारी पुलिस कार्यालय, न पेय जल व्यवस्था, न ग्राम न्यायालय, न तहसील मुख्यालय है। मान्यवर, तहसील मुख्यालय के हिसाब से वहां पर विद्युत की व्यवस्था करवाई जाय। मान्यवर, कार्य–सूची में मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ प्रमुख समस्याओं की ओर इंगित करवाने का काम किया है। मा0 अध्यक्ष जी, मैंने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण को देखा और उसको देखकर के यह लगा, एक बार फिर से दुनिया की आधी आबादी यानी महिलाओं को पूरी तरीके से निराशा ही मिलेगी। मान्यवर, महिला वर्ग के लिए बातें बड़ी–बड़ी की जाती हैं, लेकिन इसमें कोई भी योजना ऐसी नहीं चलाई गई, जिससे महिलाओं को लाभ होता।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, तीन बजे के बाद असेम्बली बन्द हो जायेगी।

श्रीमती रजनी तिवारी–

मान्यवर, अन्त में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं। आम जनता की गाढ़ी कमाई को बिना किसी भेद–भाव के विकास के हर क्षेत्र में खर्च किया जाय, ताकि हर वर्ग के निम्न वर्ग के लोगों को उचित लाभ प्राप्त हो सके। मान्यवर, मैं विरोधी दल के नेता के भाषण से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं, धन्यवाद।

ख्समय 02.44,

'श्री जियाउद्दीन रिजवी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। मैं हाजी गुलाम मौहम्मद साहब के धन्यवाद प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हूं। महामहिम राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण दिया है, वह हमारी सरकार की उपलब्धि और प्रदेश की तरक्की के लिए है। अखिलेश सरकार की उपलब्धि देखकर आज पूरा विपक्ष हताश और निराश है और उनको कोई खामी नहीं मिल रही है विकास में, मा0 अखिलेश जी ने जो काम किया है प्रदेश के विकास के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, भूमिहीनों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए ये कीर्तिमान है और विपक्ष के पास अब कोई जब चारा नहीं चल रहा है तो केवल कानून–व्यवस्था का मुद्दा आज उठाकर के हमारी सरकार को घेरना चाहते हैं, जबकि स्पष्ट है, सभी लोग समाचार–पत्र पढ़ते हैं और टी0वी0 भी देखते हैं, सबसे ज्यादा कानून–व्यवस्था अगर खराब है तो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य चाहे वह पंजाब हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो और उसके बाद दिल्ली का नम्बर आता है, सबसे ज्यादा कानून–व्यवस्था खराब है। आज भारतीय जनता पार्टी के राज में दलित छात्र को आत्महत्या करने पर मजबूर भी किया जाता है और उसको पूरे देश में इन्साफ नहीं मिला। आज पत्रकार हों, चाहे वह राईटर हों, सहिष्णुता के नाम पर आज इस देश में बहस चली कि आज यह देश किधर जा रहा है और इन लोगों ने जो माहौल पूरे देश का बनाया है, खासतौर से कल नेता विरोधी दल ने यह इंगित भी किया कि हमारे प्रदेश की उन्नति को यह देखना नहीं चाहते और चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर दंगा कराने की योजना भी है। अभी हमने समाचार–पत्रों में भी पढ़ा, टी0वी0 पर भी देखा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ खास लोगों से बात करके इंगित भी किया है कि होली के बाद उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब किया जाये। सांप्रदायिक माहौल इस तरह से बना दिया जाये कि देश–प्रदेश की जनता हमको वोट देने के लिए मजबूर हो। मगर हमारे नौजवान मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव ने इसको गंभीरता से लिया और हमारी पुलिस को सतर्क करते हुए काफी संसाधन उनको दिए। साथ ही साथ सांप्रदायिक तत्वों पर कड़ा अंकुश रखने का आदेश जारी किया। आज अखिलेश यादव की सरकार ने नौजवानों के लिए जहां रोजगार के भारी अवसर खोलें हैं वहां 1 लाख 70 हजार से ज्यादा शिक्षामित्रों को समायोजित करने का पहला फैसला हमारी

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। कोर्ट की बाधाएं, अधिकारियों की बाधाएं कितनी बाधाएं थीं, लग नहीं रहा था कि जो गरीब के बच्चे हैं जिनको खाने के संसाधन नहीं थे, वह अनाथ हो जाएंगे। उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। मगर माननीय अखिलेश यादव जी ने और हमारी सरकार ने ऐसा प्रयास करके उन गरीब नौजवानों के मुंह में निवाला डालने का काम किया है जो आज खुशी से झूम रहे हैं। आज पुलिस में भर्तियां हुई। इसके पहले भी बहुत भर्तियां हुई थी, मगर जो निष्पक्ष भर्ती माननीय अखिलेश जी के राज में हुई है, उस पर कोई माई का लाल ऊंगली नहीं उठा सकता। कुछ लोगों ने पहले हमारे नौजवानों को बरगलाने का काम शुरू किया था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने ही जवाब दे दिया कि इतनी निष्पक्ष भर्ती आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। जब नौजवान दौड़ता है, तो टी0वी0 पर यह भी आता है कि कितनी दूरी तय करता है और कितने मिनट में तय करता है। इतनी निष्पक्ष भर्ती हुई और गरीब के लड़के चुने गए। जब निष्पक्ष भर्ती होगी तब गरीब के लड़के आएंगे भी। हम एक ऐसे गांव में गए जहां मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया। जब हमारे इलाके खैली गांव में बहुत गरीब एक कुम्हार का बाप आया और उसने हमसे कहा, विधायक जी आपको बहुत–बहुत धन्यवाद और आपकी सरकार को। जिसकी धोती फटी हुई थी, जिसके बदन पर कुर्ता नहीं था। हमने कहा क्या हो गया, उसने कहा कि हमारे बेटे को पुलिस में सरकार ने भर्ती किया और चार आना पैसा भी मेरा नहीं लगा। सारे लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। कुम्हार का बेटा, लोहार का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़ा, सभी बच्चे उसमें आए और जनपद स्तर पर चार सौ, पांच सौ लड़कों का चयन हुआ। इतना निष्पक्ष यह पहली बार हुआ है। माननीय अखिलेश यादव जी का हमेशा प्रयास रहा है। हर सेक्टर में टेल तक पानी पहुंचाने का वादा, जो हमारी सरकार ने किया था, उसको अमली जामा माननीय शिवपाल जी ने कर के दिखाया है। सिंचाई में गुणवत्ता सुधार, बिजली में सुधार, शिक्षा में सुधार और तमाम आई0टी0 कालेज बना करके नौजवानों को रोजी–रोटी देने का काम आज यह सरकार कर रही है। इसीलिए विपक्ष आज हताश है, आज निराश है और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। कैसे यह आगे समाजवादी पार्टी को फेस करेंगे। अब उनके पास केवल एजेंडा यह है कि जनता को बरगला करके यहां साम्प्रदायिक सद्भाव को खराब करें। उसके लिए सरकार सचेष्ट है। ऐसे तत्वों पर कड़ी निगाह रखने की जरूरत है। मैं मा0 मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। बलिया जनपद बहुत पिछड़ा जनपद रहा है, बहुत पिछड़ा रहा है। बहुत सारी सरकारें आईं और गईं लेकिन वहां विकास की गंगा नहीं बह पाई, वहां कोई बड़ा रचनात्मक काम नहीं हो पाया। आज मा0 मुख्य मंत्री जी ने बजट में बलिया जनपद को स्पोर्ट्स कालेज भी दिया जो चन्द्र शेखर जी के नाम पर बनना है। बलिया जनपद में विश्वविद्यालय की मांग मा0 अध्यक्ष जी आपके सामने भी जब आप बलिया गए हैं वहां समाजवादियों की मांग थी। यह मांग आपके सामने भी कई बार वहां के बुद्धिजीवियों ने रखी थी। हमारे मा0 मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने उस मांग को भी मान लिया है। बलिया जनपद को विश्वविद्यालय देने की मांग को मान लिया है। इसके अलावा, जो

सबसे बड़ा काम बलिया जनपद में हुआ है कि हमारे समाजवादी चिन्तक, विचारक, नेता जनेश्वर मिश्रा के नाम पर गंगा नदी पर सबसे बड़ा पुल बनने जा रहा है। वह बन रहा है, उसका काम भी शुरु हो गया है, चार पिलर खड़े भी हो गए और एक ही पुल नहीं दिया। मा0 अध्यक्ष जी, घाघरा नदी पर सिराजपुर के पास भी एक पुल की घोषणा आज बजट में उन्होंने कर दी है। वह मा0 राम गोविन्द चौधरी जी का क्षेत्र बांसडीह है। वहां पर भी उन्होंने बलिया जनपद में एक पुल दिया है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप खत्म करिए।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मान्यवर, बस खत्म कर रहा हूं। यह बहुत बड़ी बात है। विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स कालेज, गंगा और घाघरा नदी पर पुल, यह पूर्वांचल के विकास के लिए चार चांद हैं। पूर्वांचल के विकास के लिए दूसरी पार्टियां सिर्फ नारा देती हैं। मगर पूर्वांचल के साथ किसी को हमदर्दी नहीं है, न बसपा को, न भाजपा को। लेकिन अगर किसी ने पूर्वांचल के लिए काम किया है तो सिर्फ अखिलेश यादव जी ने किया है। पूर्वांचल का कोई भी जिला हो, देवरिया, गोरखपुर, गोण्डा, बस्ती से लेकर इलाहाबाद तक, कोई भी जिला ऐसा बाकी नहीं है जहां इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स कालेज आदि तमाम योजनाएं पूर्वांचल को देने का साहसिक काम मा0 अखिलेश यादव जी ने न किया हो। हमारे पूर्वांचल की जनता गदगद है। कल मा0 संग्राम सिंह यादव का भाषण हो रहा था तो उन्होंने भी कहा कि पूर्वांचल को सौगात मा0 नेता जी का सपना था कि पूर्वांचल की गरीबी कैसे दूर हो। इसके लिए बहस चली सारनाथ में और उस पर अमली जामा पहनाया हमारे अखिलेश यादव जी ने। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूर्वांचल की जनता के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है। यहां तक कि जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है बनारस।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिए।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

अध्यक्ष जी, मैं समाप्त कर रहा हूं। बनारस में प्रधानमंत्री जी ने घोषणाएं तो बहुत कीं लेकिन बनारस के विकास के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मगर मा0 अखिलेश यादव जी ने बनारस के गंगा घाट से लेकर के वहां की सड़कें, वहां की तमाम सीवर, सारी चीजों पर धन देकर के बनारस को भी संजोने का काम मा0 अखिलेश जी ने किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे क्षेत्र की केवल एक मांग है उसको जोड़ने के लिए आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में एक नहर है जो सिकन्दरपुर रजवहा आती है, वह जर्जर हो गई है। सिकन्दरपुर रजवहा जर्जर हो गई है उसकी लाइनिंग का प्रस्ताव शासन में आया है अगर

उस पर धन देकर के सिकन्दरपुर रजवहा की लाइनिंग करा दी जाए तो किसानों का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

ख्समय 02.55,

'श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत धन्यवाद कि आज आपने राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप में बोलिएगा।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत संक्षेप में करेंगे लेकिन अभी आपने देखा कि कितनी बड़ी–बड़ी बात बोल रहे थे। अपने घर की बात नहीं, अपने जिले और प्रदेश की बात नहीं बल्कि दूसरे प्रान्तों की बातें कर रहे थे। अरे, कबीर दास का दोहा तो याद करो कि

बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय,

जो मैं देखा आपनो, मुझसे बुरा न कोय।

इस सरकार को अपना देखना चाहिए, अपना गिरेबान झांकना चाहिए, अपने को देखना चाहिए। कानून–व्यवस्था ध्वस्त है, हर चीज खराब है, लूट चल रही है, लूट रहे हैं और इसके बाद दूसरे प्रदेशों की बात रिजवी साहब कर रहे थे। अरे, रिजवी साहब कहीं–कहीं अपनों को देखो, इसके बाद आगे बढ़ो। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार तो लूट रही है लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की अपनी विधान सभा क्षेत्र कानपुर छावनी में लुट रहा हूं। सोसाइटी की बात उत्तर प्रदेश की है। सोसाइटी में पहले काम होता था। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार से पहले जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो उसने सोसाइटी में काम कराना छोड़ दिया, क्योंकि सोसाइटी केवल जिलों में होती है और जिलों में केवल बुद्धिजीवी, बुद्धिमान देश को चलाने के लिए पढ़े–लिखे लोग और पढ़ने के लिए बच्चों को भेजने वाले होते हैं। इसलिए बंद कर दिया, क्योंकि इनको वोट नहीं मिलते हैं और इसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी वही काम किया और सोसाइटी में काम नहीं किया। ये पांचवा बजट है, मैं सदैव सोसाइटी के लिए लड़ता हूं। सोसाइटी हमारे क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश में है लेकिन हमारे क्षेत्र में चाहे मंगला विहार हो, चाहे मंगला विहार–2 हो, चाहे तिश्ती नगर हो, चाहे देहली सुजानपुर हो, चाहे गदियाना हो, चाहे हमारे यहां का तुलसीनगर हो, चाहे हमारे यहां का न्यू आजाद नगर हो, चाहे हमारे यहां का कोयला नगर हो, चाहे हमारे यहां की बंगाली घाट, बुढ़िया घाट, ओमपुरवा, छबीलेपुरवा हो, जहां–जहां भी सोसाइटी के क्षेत्र हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

कम से कम सोसाइटियों में काम करना और कराना चाहिए इस सरकार को। मान्यवर, मैं आपके माध्मय से कहना चाहता हूं कि हमारे बाबूपुरवा क्षेत्र में वार्ड–54 के लिए दो बार 301 में सूचना दी कि बस्ती वहां पर साफ हो जाए। पहला प्रश्न श्रम कालोनी के अधिकारियों को लगाया था तो उन्होंने कहां मेरी सफाई की कोई जिम्मेदारी नहीं हैं, जो दोबारा मैंने नगर निगम को प्रश्न लगाया। उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं हैं तीसरी बार प्रश्न लगाने पर नगर निगम ने कहा कि हम साफ कराएंगे लेकिन झूठा आश्वासन दिया और कोई सफाई नहीं किया। नियम–301 में एक बार जवाब दिया कि श्रम कालोनी के पीछे की 10 गली साफ हो गई, एक बार कहा 8 गली साफ हो गयी, जबकि एक भी साफ नहीं हुई। मैंने कल अपने आदमियों को भेजकर वहां पर फोटोग्राफी करायी है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये सरकार के अधिकारी इतने निकम्मे हैं कि अधिकारी आपके मंत्रियों को गुमराह करते हैं। गलत डिसीजन बताते हैं, जो निर्णय सही हो वह बताना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बाबूपुरवा क्षेत्र के जितने भी हमारे कॉलोनियां हैं, हमारे यहां अजीतगंज वार्ड–75 में भी गलियां भरी हुई हैं, उनको साफ कराने का काम किया जाए। हमारे बगल में वार्ड–31 है, वार्ड–96, वार्ड–108 छोटे–छोटे नाले उतरा रहे हैं, बहुत कहने के बाद अधिकारी थोड़ा–बहुत साफ करते हैं, साफ नहीं करते हैं। यह सरकार की बात करते हैं, जो पानी तो छोड़ो जो गंदगी न खत्म कर सके वह हमें क्या देगा। पानी भी अच्छा हो और गंदगी में हम रहें तो बीमारी फैलती है। हमारे यहां लोग अस्पतालों में पड़े हैं। मान्यवर, हमने लिखकर दिया है, नियमों में दिया है, हमारे यहां बाबूपुरवा में बंदरों ने आंतक मचा रखा है। 9–9 नसें लोगों की कट गई हैं। इसके बाद भी बंदरों को पकड़ने का काम नगर निगम नहीं कर रही है। मान्यवर, मैं सही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

बंदर से पहले तो आप ही को पकड़ना पड़ेगा।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मान्यवर, ऐसा है कि बुजुर्गों को काटा है। 70 साल, 80 साल के बहुत से लोगों को काटा है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में स्थिति बड़ी खराब है। पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे सोसाइटी क्षेत्र में 50 हैण्डपम्प बड़ी मुश्किल से अभी मुख्य मंत्री जी ने दिये हैं, आगे और देंगे तो लोगों का हित होगा।

श्री अध्यक्ष–

अब खत्म करें।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मान्यवर, अभी तीन मिनट हुये हैं। अभी रिजवी साहब ने 12 मिनट बोला है, हमें 8 मिनट तो दें।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा दो मिनट और बोल लें।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

माननीय अध्यक्ष जी, हम बैठ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

बोलिये।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

माननीय अध्यक्ष जी, धीमे भी बोल रहे हैं और हमारा समय धीमे बोलने में कम जायेगा ना हम अपनी व्यवस्था तो कर लें, आपकी कृपा है माननीय अध्यक्ष जी। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार कम से कम लोगों के लिए काम करे, जो कहे वह करे। यह जो बोलती है, वह करती नहीं है। यह बिल्कुल वही काम करती है यहां कुछ बोलती है, वहां कुछ करती है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र में पानी की टंकियां नहीं हैं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में सड़कें नहीं हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो बिजली के पोल लगने हैं, वह पोल नहीं लग पा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में जनता बांसों और बल्लियों के सहारे विद्युत लाइन ले गई है जिससे प्रतिवर्ष कोई न कोई घटना घटती है चाहे जानवर मरे या लोग चोटिल हो जाए। हमारी केन्द्र सरकार ने कानपुर को 460 करोड़ रुपये दिये हैं, बिजली की व्यवस्था को सुधारने के लिए, पोल नये लगवाने के लिए और ट्रान्सफार्मर सही करवाने के लिए लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। केन्द्र से जो पैसा आता है उसे सरकार हजम कर देती है और जो कहती है कि देते नहीं हैं, देते नहीं हैं, पैसा आता तो बहुत है ये कुछ करते ही नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सरकार कम से कम केन्द्र का पैसा तो पूरा खर्च करें। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार को कम से कम इतना सोचना चाहिए कि हर विधायक यहां चुनाव लड़कर आया है। हर विधायक को लाभ मिलना चाहिए। लेकिन इस सरकार में जिस तरह से सोसाइटियों की व्यवस्था खराब है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कम से कम इन सोसाइटियों के लिए काम करें। हमारे क्षेत्र में गंदगी है वह हटायें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विद्युतीकरण जरूर हो जाये चूंकि सोसाइटी में बड़ी दिक्कत है। माननीय अध्यक्ष जी हम जिस क्षेत्र में है उसमे बड़ा कष्ट है, गरीब लोग रहते हैं। मैं चाहता हूं कि बस्तियों में रहने वालो को जो सिस्टम है, आज राशन कार्ड बने हैं, लेकिन राशन कार्ड दुकानदारों ने अपने पास रख लिये हैं। राशन नहीं दे रहे हैं वे बेचारे फोन करते हैं जब अधिकारियों से बात करते हैं तो दो–चार को मिल जाता है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार कोई न कोई निर्णय ले गरीबों को राशन कार्ड मिलना चाहिए क्योंकि गरीब बगैर राशन के नहीं रह सकते। रईस तो रह सकता है लेकिन गरीब नहीं रह सकता। मान्यवर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन के अन्तर्गत जो काम किये हैं वह

गुणवत्तापूर्ण नहीं किये हैं। आज भी सीवर लाइन जो पड़ी है वह भगवान ही मालिक हैं हमारे यहां मकानों के आगे चैम्बर नहीं बना रहे हैं और जो बना भी रहे हैं तो लात मारो टूट जायेगा। क्या होगा भगवान जाने पाइप लाइन जो डाली है वह दिखती नहीं है कहीं ऊपर उड़ रही है कहीं नीचे धसी है, कुछ नहीं दिखता है।

श्री अध्यक्ष–

आप मेयर से मिलकर यह बात उन्हें बतायें।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मान्यवर, क्या करें जब सरकार आपकी नहीं सुनती आप भी चाहते हैं कि सारे विधायक को सम्मान मिले लेकिन यह सरकार नहीं देती ऐसी यहां के अधिकारी भी काम नहीं करते हैं। अध्यक्ष जी आपके माध्यम से राज्यपाल के भाषण मे मैने जो कहा यह जोड़ दिया जाये चूंकि मेरे क्षेत्र की समस्या है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।

ख्समय 03.04,

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज सारे लोग चले गये हैं, मंत्री जी भी नही हैं अब सदन की कार्यवाही राज्यपाल के भाषण पर चर्चा सोमवार को भी होगी मंगलवार को भी होगी उसमे आप लोग बोल लीजियेगा। अब हम नियम–56 में माननीय मौर्या जी, माननीय प्रदीप माथुर ने और माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी ने जो दिया था उसको मैंने परिवर्तित कर नियम–52 में कर दिया है उस पर चर्चा होगी वह कार्य–मंत्रणा समिति तय कर देगी और दूसरी सूचना श्री राम प्रसाद चौधरी, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी जी की जनपद संतकबीर नगर के थाना धर्मसिंगवा में फर्जी मुकदमा वापस लिये जाने एवं दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सरकार का ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत तीसरी सूचना श्री पूरन प्रकाश की समाज कल्याण विभाग द्वारा श्री अभिनव भूपेन्द्र बहादुर को छात्रावास फीस, ट्यूशन फीस एवं परीक्षा शुक्ल व अन्य फीस हेतु धनराशि न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सरकार का ध्यानाकार्षण हेतु स्वीकृत। श्रीमती बिमला बाथम जी आपका नहीं स्वीकार हुआ फिर दे दीजियेगा। निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गईं श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्रीमती बिलमा बाथम, श्री संजय प्रताप जयसवाल, श्री उमाशंकर, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री संतराम कुशवाहा, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री अगयश रास सरन वर्मा।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 12–02–2016 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 47 सूचनायें प्राप्त हुई हैं एक मौर्या जी की नियम–56 से एक सूचना परिवर्तित हो गयी। पहली सूचना श्रीमती राजमती की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र पिपराइच के अन्तर्गत

ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बने जूनियर शिक्षकों के वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत, तीसरी सूचना श्री दलवीर सिंह की रिलायन्स पावर परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2005–2006 में अलीगढ़ खण्ड गंग नहर अलीगढ़ द्वारा रजवाहों पर सी0सी0 लाइनिंग के कार्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत है, चौथी सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती के जिला पूर्ति निरीक्षकों द्वारा अवैध रूप से खाद्यान्न की वसूली किये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, पाचवीं सूचना श्रीमती चन्द्रा रावत जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर अन्तर्गत मिश्रा कालोनी के कच्चे मार्गों एवं नालियों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, छठी सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद लखीमपुर के विकास खण्ड ईसानगर अन्तर्गत ऐरा शुगर मिल से निकलने वाले प्रदूषित जल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, सातवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद् सिकन्दराबाद का सीमा विस्तार किये जाने का नियम–51 एवं 56 में आश्वासन देने के उपरान्त भी सीमा विस्तार न किये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, आठवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद के नगर के हिमायुंपुर क्षेत्र में घनी आबादी के बीच से निकले नाले के पटरी पर सब्जी पुलिया से लेकर टूटी पुलिया एवं जलभराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है, नवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की जनपद इलाहाबाद नगर निगम द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम तथा आवासीय असंगत वाणिज्यक कर व प्रोमोशन चार्ज समाप्त कराये जाने के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है, दसवीं सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की कानपुर छावनी में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, ग्याहरवीं सूचना श्री काली चरन सुमन की जनपद आगरा 90 ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत 250 से 499 की आबादी वाली अनजुड़ी बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, बारहवीं सूचना डॉ0 मो0 अय्यूब की जनपद गौतमबुद्धनगर के दादरी अन्तर्गत विसहणा गांव के एकलाक की कत्ल के उपरान्त सरकार द्वारा कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई श्री रविन्द्र भड़ाना, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्री उपेन्द्र तिवारी, श्री ममतेश शाक्य, श्री धर्मपाल सिंह, श्री सतीश महाना, श्री अगयश रामसरन वर्मा, श्री उमेश पाण्डेय, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्री राम प्रसाद चौधरी, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री ओम कुमार, डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री प्रदीप माथुर, श्री दलजीत सिंह, श्री प्रदीप चौधरी, श्री गजराज सिंह, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री मो0 जासमीर अन्सारी, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्रीमती आराधना मिश्रा, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री उमाशंकर, श्री रविन्द्र

सिंह मोल्हू, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री बृजलाल सोनकार, श्री पूरन प्रकाश 'एडवोकेट', श्री अजय कुमार लल्लू।

नोएडा स्थित डी0एन0डी0 टोल प्लाजा के टोल मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विमला बाथम द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह)–

अवगत कराना है कि दिल्ली नोएडा ब्रिज परियोजना के संबंध में ..

श्री उमा शंकर–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य कृषि मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह–

ख्न्यू ओखला इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एथारिटी (नोएडा) एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज लि0 एवं नोएडा टोल ब्रिज प्रोजेक्ट कम्पनी लि0 के मध्य दिनांक 12–11–1997 को कन्सेशन एग्रीमेन्ट निष्पादित किया गया। तत्क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मध्य दिनांक 14–01–1998 को सपोर्ट कन्सेशन एग्रीमेन्ट निष्पादित किया गया है तथा यह पुल दिनांक 07–07–2001 को प्रारम्भ किया गया।

उक्त कन्सेशन एग्रीमेन्ट के आधार पर नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी लिमिटेड को उक्त परियोजना बिल्ड ओन आपरेट ट्रान्सफर (बी0ओ0ओ0टी0) की व्यवस्था के आधार पर टोल ब्रिज के निर्माण, संचालन, रख–रखाव व उपयोग के आधार पर दिया गया था।

कन्सेशन एग्रीमेन्ट की धारा–2.3 के अनुसार कन्सेशन की अवधि प्रभावी तिथि दिनांक 07–02–2001 से 30 वर्ष रखी गयी है और कन्सेशन एग्रीमेन्ट की धारा–2.4 की व्यवस्था के अनुसार इस अवधि को आगे भी दो–दो वर्ष की अवधि के लिये बढ़ाये जाने का प्राविधान किया गया है।

नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी लिमिटेड द्वारा कन्सेशन एग्रीमेन्ट दिनांक 12–11–1997 के प्राविधानों के तहत टोल की वसूली की जाती है।

कन्सेशन एग्रीमेन्ट में यह व्यवस्था दी गयी है कि परियोजना की सकल लागत की वसूली कन्सेशनर के द्वारा प्रभावी तिथि (यानि कि 07–02–2001) से 20 प्रतिशत वार्षिक की दर पर जा सकेगी, जैसा कि कन्सेशन एग्रीमेन्ट की धारा–14.2 में रिटर्न्स की गणना की गयी है।

नोएडा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी लिमिटेड से कन्सेशन एग्रीमेन्ट की धारा–14 जिसमें प्रोजेक्ट की कास्ट एवं रिटर्न का प्राविधान है, को

---

uksV %&[ ] ;g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

समाप्त किये जाने का अनुरोध किया जाता रहा है परन्तु यह धारा समाप्त नहीं हुई है तथा इस धारा की आड़ में उक्त कम्पनी द्वारा यह कहा जाता रहा है कि परियोजना लागत के परिप्रेक्ष्य में उनकी अभी पूरी वसूली नहीं हुई है और वह टोल वसूली के हकदार अभी भी बने हुए हैं।

फेडरेशन आफ नोएडा रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में पी0आई0एल0 संख्या–60214/12 फेडरेशन आफ नोएडा रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाम नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी लि0 एवं अन्य दायर करते हुए टोल को समाप्त करने की प्रार्थना की है।

उक्त पी0आई0एल0 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 31–01–2013 को आदेश पारित किये गये हैं कि :–

लर्नेड काउन्सिल एपियरिंग फॉर नोएडा प्रेज़ फॉर फरदर टाइम टु फाइल काउण्टर एफीडेविट।

दि मैटर इन दि वीक कमेन्सिंग 18 फरवरी, 2013।

वी रिक्वायर नोएडा टु मेक इट्स स्टैण्ड क्लियर व्हेदर इट इज इन फेवर ऑफ कॉन्टीन्यूएन्स ऑफ एग्रीमेण्ट डेटेड 12–11–1997 मेड विद नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी लि0 – रेस्पोन्डेण्ट नं0 1 ऑर इट इज़ विद दि पेटिशनर इन पब्लिक इन्ट्रेस्ट।

उत्तर प्रदेश शासन के अनुमोदन उपरान्त प्राधिकरण की ओर से उक्त पी0आई0एल0 का समर्थन करते हुए दिनांक 18–02–2013 को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में संक्षिप्त शपथ–पत्र दाखिल किया गया, जिसमें प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार स्टैण्ड लिया गया है :–

''दैट दिस ऑनरेबिल हाई कोर्ट, वाइड इट्स आर्डर डेटेड 31–01–2013 वाज प्लीज्ड टु डाइरेक्ट दि आन्सरिंग रिस्पॉण्डेन्ट टु मेक इट्स स्टैण्ड क्लियर ऑन दि कन्सेशन एग्रीमेण्ट। कीपिंग इन व्यू व्हाट इज सबमिटेड इन दि फोरगोइंग पैराग्राफ्स एण्ड टेकिंग इन्टू एकाउण्ट दि पब्लिक इन्ट्रेस्ट, दि ऑन्सरिंग रिस्पोन्डेण्ट वे बैक इन दि इयर 2011 हैड रिटेन टु दि रिस्पोन्डेण्ट नं0 1 दैट आर्टिकिल 14 ऑफ दि एग्रीमेण्ट नीड्स टु बी डन अवे विद। देयरफोर, इन कम्प्लायन्स टु दि डायरेक्शन्स पास्ड बाइ दिस ऑनरेबिल कोर्ट, वाइड इट्स आर्डर डेटेड 31–01–2013 बट टेकिंग इन्टु एकाउण्ट दि पब्लिक इन्ट्रेस्ट, दि इनीशियल कॉस्ट दि रिकवरी ऑफ टोल ऑलरेडी मेड बाई रेस्पोन्डेण्ट नं0 1 ऐण्ड दि फैक्ट दैट ए गारन्टीड रिटर्न ऑफ 20ः ऑफ दिस इन्क्रीज्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट इज दि रिटर्न। आर्टिकल 14 ऐण्ड एपेन्डिक्स एफ ऑफ दि कन्सेशन एग्रीमेण्ट कैन नॉट विदस्टैण्ड पब्लिक इन्ट्रेस्ट ऐण्ड देयरफोर, दिस आर्टिकिल नीड्स टु बी डिलीटेड फ्राम दि कन्सेशन एग्रीमेण्ट विद एफेक्ट फ्राम इन्सेप्शन। विद दि एफोरसेड दि आन्सरिंग रिस्पोन्डेन्ट हैज मेड इट्स स्टैण्ड क्लियर इन कम्प्लायन्स आफ दि डाइरेक्शन्स डेटेड 31–01–2013 पास्ड बाइ दिस ऑनरेबिल कोर्ट।''

यह भी अवगत कराना है कि नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी के सम्बन्ध में दिनांक 26–03–2013 मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में यह निर्णीत हुआ कि सर्वप्रथम नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी लि0 द्वारा नियत प्रक्रिया के अनुसार वर्ष 2013 से परिसम्पत्तियां वापस नोएडा को प्राप्त होने के सम्बन्ध में कन्सेशन एग्रीमेन्ट में आवश्यक संशोधन किया जाय।

उपरोक्तानुसार संशोधन की कार्यवाही हेतु पुनः दिनांक 17–06–2015 को मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी। नोएडा, आई0एल0 एण्ड एफ0एस0 एवं नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी के प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए। उक्त बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त निम्न मत स्थिर किया गया :–

(1) नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी तथा आई0एल0 एण्ड एफ0एस0 के प्रतिनिधियों द्वारा अपना यह कमिटमेन्ट पुनः दोहराया गया कि उनके द्वारा डी0एन0डी0 फ्लाईओवर एवं उससे सम्बन्धित अन्य परिसम्पत्तियों को वर्ष 2031 में नोएडा प्राधिकरण को वापस कर दिया जायेगा। इसके लिये वह प्रतिबद्ध हैं।

(2) उपरोक्त कार्यवाही के लिये कन्सेशन एग्रीमेन्ट में जो संशोधन वांछित होगा, उसकी विधिसम्मत कार्यवाही समयबद्ध तरीके से पूरी करायी जायेगी। इसके लिये बोर्ड मीटिंग में प्रस्तुत करने वाले प्रस्ताव का एक आलेख्य सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा 30 जून, 2015 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा को उपलब्ध कराया जायेगा तथा यदि उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन वांछित होगा तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा उससे अवगत करा देंगे।

(3) सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा उक्त अन्तिम किये गये प्रस्ताव पर सभी स्टेकहोल्डर्स से सहमति प्राप्त की जायेगी और तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यह कार्यवाही दिसम्बर, 2015 तक पूरी की जायेगी।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में संज्ञानार्थ है कि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अभी विचाराधीन है जिसमें सुनवाई की अगली तिथि 12–02–2016 नियत है।,

श्रीमती विमला बाथम–

मान्यवर, एक तो यह है कि जब यह एग्रीमेन्ट हुआ था तो उस एग्रीमेन्ट में यह भी लिखा हुआ है कि 30 साल बाद वह हटेंगे या फिर जब उसकी लागत वसूल हो जायेगी तब हटेंगे तो लागत वसूल होने का सवाल नहीं उठता 100 साल तक क्योंकि जो उन्होंने प्लानिंग की है, जो भी उस समय उनके दिमांग में रहा हो जिन्होंने इसे बनाया, इतने शातिराना ढंग से इसकी प्लानिंग की इसका एग्रीमेन्ट तैयार किया कि वह एकतरफा एग्रीमेन्ट था जिसका कोई औचित्य नहीं था। वह एकतरफा एग्रीमेन्ट है अगर कोई गलत एग्रीमेन्ट हो जाय किसी के साथ भी तो क्या उसको सुधारा नहीं जा सकता

है। 408 करोड़ रुपये की लागत से उस समय तैयार होकर चालू हुआ था और अब आज 16 लाख रुपये प्रति दिन वसूली है जबकि इसकी इनकम ज्यादा है और अभी यह कह रहे हैं कि हमारा घाटा पूरा नहीं हुआ क्योंकि इनक खर्चे जो हैं, जो एग्रीमेन्ट है उसमें लिखा है कि आप वकीलों पर कितने करोड़ रूपये खर्च कर लें उसमें कोई भी व्यवधान नहीं आयेगा। इसी तरह जैसे इन्होंने एक सड़क की सरफेसिंग की है उसके ऊपर जो लागत आई उस लागत के ऊपर इनको 20 परसेन्ट चाहिए। इन्होंने अन्धेर मचा रखी है। माननीय मंत्री जी चन्द मुट्ठी भर आई0ए0एस0 अधिकारी जो उसमें बैठे हुए उस समय नोएडा एथारिटी में काम कर रहे थे, जो रिटायर होने वाले थे उन्हीं लोगों ने यह एग्रीमेन्ट किया था और अब उसके मैनेजमेन्ट में वही लोग हैं।

मान्यवर, जो एग्रीमेन्ट है। मान्यवर, वह चन्द मुट्ठी भर लोग हैं 10–12–15 लोग हैं जो इसके ट्रस्टी हैं और वह लाखो लाख जनता को बेवकूफ बना रहे हैं मेरा यह कहना है।

उत्तर प्रदेश के आर0एम0पी0 ग्रामीण चिकित्सकों को चिकित्सा मित्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुदेश शर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(पं0 सुदेश शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य पं0 सुदेश शर्मा उपस्थित नहीं हैं, इसलिये अगली मद लेते हैं।

जनपद बुलन्दशहर के अनूप शहर को नये स्वीकृत ब्लाक की ग्राम पसौरा में भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(चौधरी गजेन्द्र सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य चौधरी गजेन्द्र सिंह उपस्थित नहीं हैं, इसलिये अगली मद लेते हैं।

ऋषि वशिष्ठ सहकारी आवास समिति लि0 के अध्यक्ष एवं उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ की मिलीभगत से समिति के बैंक खाते में गबन किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शारदा प्रताप शुक्ला द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री शारदा प्रताप शुक्ला का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री शारदा प्रताप शुक्ला उपस्थित नहीं हैं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। अब हम उठते हैं। दिनांक 15 फरवरी, 2016 दिन सोमवार को 11.00 बजे पूर्वाह्न फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 03 बजकर 11 मिनट पर सोमवार, दिनांक 15 फरवरी, 2016 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 12 फरवरी, 2016 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 34 विधान सभा (58) 01–06–2016–813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।